खण्ड-247, अंक-6
शनिवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(14 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 247 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सम्बन्धित तीसरे दोष-सिद्ध व्यक्ति श्री केशवसिंह की शास्ति	४–८
कानपुर की एलगिन मिल नं० १ में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	९
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १४––पुलिस (स्वीकृत)	९–६२
इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक विचारोपरान्त पारित)	६२–६४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १४ मार्च, १९६४

13269

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—२७६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री

छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री

महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से संबंधित तीसरे दोष-सिद्ध व्यक्ति श्री केशवसिंह की शास्ति

श्री अध्यक्ष—

मार्शल की रिपोर्ट है कि केशवसिंह, जिनके सम्बन्ध में वारंट जारी हुआ था कि उन्हें गिरफ्तार करके इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, गिरफ्तार होकर आ गये हैं।

माननीय केशरी प्रसाद जी ने एक सुझाव रखा था कि उनकी बेल कर दी जाय अगर वे गिरफ्तार होकर १८ तारीख के पहले ही आ जायं। तो मैंने यह निवेदन किया था कि जैसा अवसर होगा, किया जायगा। या तो बेल कर दी जायगी या फिर जो कार्यवाही उनके विरुद्ध करनी है वह निश्चित तिथि से पहले कर दी जायगी। पूर्व इसके कि श्री केशवसिंह यहां आते, उन्होंने ११ मार्च, १९६४ को एक पत्र लिखा जो किसी पत्र वाहक ने आकर मेरे दफ्तर में पी० ए० को दिया। उस पत्र में लिखा है : "अध्यक्ष महोदय, विधान सभा, लखनऊ द्वारा जिलाधीश, गोरखपुर।

महोदय,

मैं आपकी विधान सभा द्वारा दी गयी प्रताडणा की सजा का विरोध करता हूं क्योंकि विशेषाधिकार समिति के सामने मुझे दो बार नहीं उपस्थित किया गया जब कि मैं उस समय आजमगढ़ जेल में था। इसलिये विशेषाधिकार समिति के सामने मुझे अपने को निर्दोष सिद्ध होने के लिये सभी बातों को कहने का मौका नहीं मिला। प्रताडित करने की जो आज्ञा दी गयी है वह बहुमत का फैसला है। किसी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है, न किसी भी स्वाभिमानी को हिचक होनी चाहिये। श्री नरसिंह-नारायण पांडेय के विषय में बांटे गये पर्चे की बातें अक्षरशः सत्य हैं। किराया ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ जाने का न होने की सत्यता बताने पर नादिरशाही फरमान वारंट जारी करके जनतंत्र पर घोर कुठाराघात किया गया है इसलिये विशेषाधिकार समिति के निर्णय का मैं विरोध करता हूं।"

अब इस पत्र के आने के बाद आज प्रातःकाल मुझे यह सूचना मिली कि श्री केशवसिंह यद्यपि वारंट द्वारा गिरफ्तार करके स्टेशन पर ले आये गये हैं, लेकिन वे वहां प्लेटफार्म पर लेट गये हैं और यहां आना नहीं चाहते। तो उनको पुलिस द्वारा बड़ी मुश्किल से मंगवाया गया। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि उनको बेल पर छोड़ा जाय, उनको यहां उपस्थित कर दिया जाय और सदन के आदेशानुसार जो शास्ति होनी है वह मैं कर दूं ताकि विलम्ब न हो।

मार्शल, केशवसिंह को सदन में उपस्थित किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

जो पत्र केशवसिंह जी का पढ़ा गया है, उसके सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

× × × × ×

श्री अध्यक्ष—

उस पर सदन की जैसी राय होगी, किया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

उससे तो सदन का अपमान होता है।

श्री अध्यक्ष—

शास्ति करने के बाद उस पर विचार किया जायगा।

(मार्शल की सूचना पर कि श्री केशवसिंह सदन में नहीं आना चाहते, श्री अध्यक्ष ने बल प्रयोग कर श्री केशवसिंह को लाने की आज्ञा दी, श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार मार्शल ने काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उनको बलपूर्वक सदन में उपस्थित किया।)

श्री अध्यक्ष--(श्री केशवसिंह से) आपका नाम केशवसिंह है?

(श्री केशवसिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष—

आप अपना नाम बताइये?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

इधर देखिये।

(श्री केशवसिंह ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया।)

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम क्या है?

(पुनः कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

आप इससे इन्कार करते हैं कि आपका नाम केशवसिंह है।

(उत्तर न मिलने पर)

केशवसिंह, मैं समझता हूं कि आपका नाम केशवसिंह है और इस सदन के आदेशानुसार आपकी शास्ति की जाती है। इस सदन द्वारा आपके ऊपर, श्यामनारायण सिंह तथा हुबलाल दुबे

[श्री अध्यक्ष]

को माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरुद्ध एक अपमानजनक पर्चा जिसका शीर्षक था "श्री नरसिंह पांडेय के काले कारनामों का भंडा-फोड़" को छपवाने और विधान सभा के अन्दर और बाहर वितरित कराने के आरोप में आपको विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन का अवमान करने का सिद्ध-दोष ठहराया गया है। इस पर्चे का विषय, प्रसंग व आक्षेप माननीय सदस्य के इस सदन के कार्यों तथा कृत्यों से सम्बन्ध रखते हैं, जो सत्य के नितान्त विपरीत ही नहीं है अपितु माननीय सदस्य को जनता की दृष्टि में निन्दित व तिरस्कृत करने की क्षमता रखते हैं और उनके संसदीय कार्य करने में बाधा डालने की प्रवृत्ति रखते हैं।

स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते आपसे तथा सब से ही यह आशा की जाती है कि इस आदरणीय सदन एवं उसके माननीय सदस्यों के संसदीय आचरण की चर्चा करते समय पर्याप्त सौजन्य तथा सतर्कता बरती जावे और सदन की मर्यादा और गौरव का समादर हो। किन्तु आपका व्यवहार इस सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत रहा, अतः मैं सदन के नाम पर तथा उसके आदेशानुसार प्राधिकृत आपकी इस सदन का अवमान तथा माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, सदस्य विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना करने के अपराध में शास्ति करता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, यह पत्र अभियुक्त को दिखलाया जाय। क्या इस पत्र पर उसके दस्तखत हैं या इस दस्तखत से वह इन्कार करते हैं?

श्री अध्यक्ष—(मार्शल से)

मार्शल, यह पत्र केशवसिंह को दिखलाया जाय।

(मार्शल द्वारा श्री केशवसिंह को पत्र दिखाने पर)

यह पत्र आपने लिखा था?

श्री केशवसिंह—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

क्या इस पर आपके दस्तखत हैं?

श्री केशवसिंह—

जी हां।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि केशवसिंह जी ने जो पत्र लिखा है उसक द्वारा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सदन के सदस्य माननीय नरसिंहनारायण जी पांडेय का और विशेषाधिकार समिति के सभी सदस्यों का अपमान हुआ है। अतः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर भी उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं देखूंगा ही।

(नेता सदन से) मुझे जो पत्र केशवसिंह जी ने ११ मार्च, १९६४ को लिखा है वह मैं आपको फिर पढ़ कर सुनाये देता हूं, आप उस समय उपस्थित नहीं थीं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री केशवसिंह का पत्र पुनः पढ़ा गया।)

अब मैं श्री केशवसिंह के सम्बन्ध में यह बतला दूं कि १० जून और ११ जुलाई को श्री केशवसिंह विशेषाधिकार समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं थे। १० जून को कोई शहादत इनके

विरुद्ध नहीं ली गयी। उसके पहले जब समिति के समक्ष यह प्रश्न आया था तब आप मौजूद थे। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय का बयान आपकी मौजूदगी में हुआ। आपसे कहा गया कि जिरह करना चाहो तो कर लो। आपने जवाब दिया कि मैं जिरह नहीं करूंगा। तदुपरान्त १० जून को जो शहादत हुई समिति के समक्ष, वह आपके विरुद्ध नहीं हुई, अपितु वह केवल महात्तमसिंह जो एक अभियुक्त थे, उनके विरुद्ध हुई। १० जून को यह आदेश हो गया कि ११ जुलाई को जो कुछ इन लोगों को कहना हो वह आकर कहें। ११ जुलाई को माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने अपने आर्ग्यूमेंट्स किये और श्री श्यामनारायण सिंह व श्री हुबलाल दुबे ने अपने आर्ग्यूमेंट्स किये। तदुपरान्त कार्यवाही समाप्त हुई। तो कोई शहादत या कार्यवाही १० जून या ११ जुलाई को नहीं हुई जिसके लिये यह कहा जा सके कि उनकी अनुपस्थिति में समिति ने कोई गलत कार्यवाही की। फिर, जैसा अभी माननीय बृजभूषणशरण ने कहा, यह निर्णय सदन का हो चुका है, हम उस पर अब विचार भी नहीं कर सकते।

अब माननीय हरीशकुमार गंगवार ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में माननीय नेता सदन से पूछूंगा कि उन्हें क्या कहना है।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्री केशवसिंह को सदन में शास्ति किये जाने का आदेश दिया गया था, किन्तु श्री केशवसिंह सूचना पाने पर सदन के समक्ष उपस्थित न हुए। अतः उन्हें अभिरक्षाधीन लाने के लिये आदेश देना पड़ा।

श्री केशवसिंह ने आज सदन में जिस प्रकार का व्यवहार किया है और इससे पूर्व जिस प्रकार वह सदन के आदेशों की अवहेलना करते रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह सदन का अवमान करने पर तुले हुए हैं। चूंकि यह अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ है, अतः यह सदन निश्चय करता है कि श्री केशवसिंह को ७ दिन के लिये कारावास का दण्ड दिया जाय और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में उक्त अवधि के लिये बन्द रखा जाय। अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को आदेश दिया जाता है कि वह श्री केशवसिंह को सदन के बन्दी के रूप में जिला कारागार में रखें।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

अभी मैंने श्री केशवसिंह से पूछा था कि आप क्यों नहीं आये। बार-बार वह अपना कारण किराये का न होना दे रहे हैं। हम लोग उनके किराये का कोई बन्दोबस्त नहीं कर पाये। उनको यह काफी सजा हो गई है कि हिरासत में लाया गया। जेल में रखने से ही क्या बनेगा? इसलिये सदन को उन्हें अब छोड़ देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

हम कोई कार्यवाही श्री केशवसिंह के विरुद्ध नहीं करत यदि उनका रवैया ठीक होता। वह सदन का अवमान करने पर तुले हुए हैं। पहले उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, उसके साथ-साथ जो पत्र लिखा उसमें यह लिखा कि इस सदन की जो कार्यवाही हुई है वह ग़लत हुई है, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना उनका हक़ है, किसी भी स्वाभिमानी को इसमें हिचक नहीं होनी चाहिये। नरसिंहनारायण जी के बारे में बांटे पर्चे को आपने सत्य कहा है, नादिरशाही फ़रमान जारी करना जनतंत्र पर कुठाराघात है। ऐसी तमाम बातें हैं जिनके ऊपर इस आदरणीय सदन ने अपना निर्णय दिया है। अब प्रश्न केवल यह है कि...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णा---

उनका पत्र तो जहां है तहां छोड़ दिया जाय, लेकिन आप जो नाखुश हैं या सदन का अवमान समझते हैं, इसके लिये पर्याप्त है कि पुलिस उन्हें बांध कर लाई। फिर, ७ दिन के लिये जेल भेजने से कोई काफ़ी सजा नहीं होती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

अगर श्री केशवसिंह जी खेद प्रकट कर दें, विनम्र शब्दों में, सदन की भावनाओं का आदर करते हुए, क्षमा याचना कर दें कि उनको छोड़ दिया जाय...

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

मुझे नेता जी के प्रस्ताव में संशोधन करना है कि ७ दिन के बजाय ३ महीने की सजा दी जाय।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इसमें दो मत नहीं हो सकते कि श्री केशव सिंह को ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिये था, उन्होंने अपराध किया। परन्तु मैं अपनी बुद्धि से बहुत दूर तक सोचकर यह समझता हूं कि उनका जुर्म साबित है। उन्होंने अपराध किया है। लेकिन ७ दिन की जो सजेस्टेड सजा है वह बहुत अधिक है। यदि सचमुच वह खेद प्रकट कर दें तो मेरी राय में वार्निंग करना ही पर्याप्त होगा।

श्री अध्यक्ष---

मेरा विश्वास है कि नेता सदन का यह अभिप्राय नहीं है कि उन्हें विनडिक्टिवनैस या बदले की भावना से सजा दी जाय। उन्हें अगर खेद प्रकट करना होता तो वह करते। एक मौका देता हूं कि हाथ जोड़ कर सदन से क्षमा मांगें तो मैं छोड़ दूंगा।

× × × ×

(श्री केशवसिंह द्वारा क्षमा न मांगने पर)

प्रश्न यह है कि श्री केशव सिंह जी ने जो पत्र लिखा वह अवमानसूचक था और जो व्यवहार इस आदरणीय सदन के समक्ष किया है, उनके लिये उन्हें ७ दिन के कारावास की सजा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

श्री केशवसिंह ७ दिन कारावास में रहेंगे जिस प्रकार से प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

मार्शल, इन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल यहां से आदेश लेकर भेजा जाय। मार्शल श्री केशवसिंह को बाहर ले जावें।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

सजा रिगरस होगी या सिम्पिल।

श्री अध्यक्ष---

सिम्पिल होगी।

(श्री केशवसिंह लेट गये और मार्शल उन्हें काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उठा कर बाहर ले गये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर की एलगिन मिल नं०१ में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कल माननीय रक्षपालसिंह का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया था। आज उसी विषय में माननीय हरीशकुमार गंगवार की सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत आयी है। मैंने उनको नियम ५२ में स्वीकार कर लिया है। इस पर १८ तारीख को बयान होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। उसमें एक लाइन नीचे छूट गयी है। माननीय मंत्री जी को मैंने प्रतिलिपि दे दी है हालांकि वह सदन के सदस्य नहीं हैं। यह सदन के सामने की बात है, किसी गवाही की भी जरूरत नहीं है। आपके सामने हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह मालूम हुआ है कि जब मैं वहां आ रहा था तब आपने दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप स्वयं बैठे थे। सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। वह तो उसी समय टेक-अप हो जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

उसे मैंने अभी देखा नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

परसों।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैंने एक नियम ५२ का प्रश्न दिया था। आप मंत्री जी को भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो स्वयं उनको भेज दूंगा।

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—पुलिस (क्रमागत)†

(श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, का नाम पुकारे जाने पर)

***कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—**

श्रीमन्, जो आंकड़े हमें दिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। यह जो डकैती, लूट, हत्या, विद्रोह और सेंध लगाने के आंकड़े हमें मिले हैं, उनसे यह मालूम नहीं देता है कि ये आंकड़े, रिपोर्टस् दर्ज हुई हैं, वे हैं, तफतीश हुई हैं, वे हैं या जो कोर्ट में भेजे गये हैं अथवा वे हैं जिनमें कोर्ट से ऐक्शन लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

पीछे बता देंगे। माधोप्रसाद जी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—**

अध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो साहित्य हम को मिला है, एक तो सदन में आने के तुरन्त बाद मिला है, दूसरे इसके पढ़ने में भी दिक्कत है, तीसरे

---

†१३ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

कल जो मुझे शंका थी, वह सही हुई। कहा गया था कि 'जितना मुझसे हो सकेगा', वैसा ही हुआ। पेपर में एक तरह की रूलिंग इंगलैंड की निकली है, किसी व्यक्ति ने यह कहा कि जो मुझसे हो सकेगा, कहूंगा तो किसी माननीय मंत्री जी ने उस पर यह आक्षेप किया कि यह डेमोक्रेसी की जड़ पर कुठाराघात है। लिहाजा इस तरह का जवाब सरकार की तरफ से भी नहीं आना चाहिये। सरकार की तरफ से हमें जो भी आन्सर मिलना चाहिये वह डेफिनिट मिलना चाहिये।

श्रीमन्, अब मैं आपकी आज्ञा से कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मद--पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, आगे कुछ कहने के पूर्व मैं २१ नवम्बर, १९६४ को कश्मीर के फ्रंट पर हमारे जो जवान मारे गये हैं उनके प्रति मैं अपनी श्रृद्धांजली अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि सारा विरोधी दल, सरकार और उस पक्ष के सब माननीय सदस्य मेरी इस राय से सहमत होंगे कि उनके लिये जो कुछ भी सरकार की ओर से किया जायगा उस सबमें हम उसके साथ हैं। हमें उनके और उनके परिवार वालों के साथ पूरी हमदर्दी है। जो लोग ऐसी परिस्थितियों में, पहाड़ों पर अथवा और स्थानों में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना अपने प्राण की बाजी लगाकर करते हैं, उनके परिवार वालों को जो भी तनख्वाह या पेंशन दी जाय अथवा और भी उनको रिहैबिलिटेड करने के लिये सरकार कुछ दे, उस सबके लिये हम सरकार के साथ हैं। हमको उसमें कुछ कहना नहीं है।

इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी कहा करते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग खड़े हो कर ऐसे व्यक्तियों की आलोचना करते हैं जो यहां नहीं होते। हम भी इस चीज का अनुभव करते हैं। यही प्रश्न एक बार इंगलैंड में भी उपस्थित हुआ था और वहां मंत्री जी ने यह कहा था कि आप जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं वह यहां नहीं है लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर कोई गड़बड़ी है और आप मेरा सिर चाहते हैं तो मेरा सिर हाजिर है। लेकिन ऐसा आप नहीं कहते। अगर आपका कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो आप अपना सिर यहां रखने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये हम मजबूर होते हैं उनकी आलोचना करने के लिये ताकि वे अपने उस विभाग को संभाल सकें।

जब हम पुलिस विभाग को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सचमुच जनतंत्र में इस विभाग का बड़ा भारी महत्व है। विशेषकर उस समय जब कि चारों तरफ अधिनायकवाद की लहर जोर पकड़ रही है, इसके अलावा पाकिस्तान और चीन का गठबंधन हो रहा है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम जनता में इस चीज की आस्था पैदा करें कि इस राज्य में जनता के जन-जीवन की पूर्ण रूप में सुरक्षा होगी हम उसके मन में यह विश्वास पैदा करें कि जो भी संकट होगा, हम उसका सामना करेंगे, लेकिन श्रीमन्, हम देखते हैं कि इस बात की कैसे जांच हो। इसको हम जांच सकते हैं इनके कर्तव्यों के द्वारा, इनकी करनी के द्वारा। जब हम इसकी छानबीन करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आखिर पुलिस का कर्तव्य यही है कि वह जुर्म की रोकथाम करे, सबके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करे, सारे देश में आन्तरिक शान्ति स्थापित करे, ये मोटी-मोटी बातें हैं। लेकिन जब हम जुर्म की तरफ आते हैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले १५ वर्षों में हम देखते हैं और इनकी गति से ऐसा लगता है कि जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम किसी जगह चैलेंज करते हैं कि आंकड़े कम दिये गये हैं, उसका कारण यह है कि आंकड़े दबा दिये गये हैं, तो उसे हम सदन के सामने रखते हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भी मालूम पड़ जाता है कि आंकड़े घटा कर दिखलाये गये हैं। १९५० में ८१,८२१ टोटल जुर्म हुये और सन् १९५९ में इनके आंकड़े के मुताबिक ७३,८७२ जुर्म्स हुये। उदाहरण स्वरूप कानपुर में तो ३३ परसेंट जुर्म बढ़े और लखनऊ में ३३ परसेंट ही घटे। लखनऊ में ३,३७४ जुर्म ५१ में हुये और ३,१६८ जुर्म्स ५९ में हुए।

श्रीमन्, कहा गया है कि सरकार की ओर से आदेश है कि आंकड़े और रिपोर्ट सही-सही लिखे जायं लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है। रिपोर्ट सही लिखी जाती है या नहीं, यह तो मैं बाद में कहूंगा। ३१ मार्च, १९६१ के बाद आपके आदेशानुसार थानाध्यक्षों ने या सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार लखनऊ में डकैती १८ परसेंट बढ़ी, राहजनी ९४ परसेंट बढ़ी, और कत्ल २३ परसेंट बढ़े। आखिर ये क्यों बढ़े? इसके लिये यह कहा जाता है कि सरकारी आदेश के अनुसार रिपोर्ट सही-सही लिखी जाती है, इसलिये १९६० के अनुपात में इधर जुर्म की संख्या बढ़ी मालूम होती है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि सारे देश में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमारे उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड क्राइम्स में ६७ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, ऐसे वह इससे भी अधिक है, लेकिन इतनी तो लिखित बढ़ोतरी है। जल्दी में सारे आंकड़े तो मैं नहीं दे सका हूं लेकिन एक दो तरह के जुर्म के आधार पर कह रहा हूं कि इस से दो चीजें निकलती हैं। एक तो यह कि जुर्म बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे यह कि हमारी पुलिस या हमारी सरकार इनको किसी प्रकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे तो मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं लेकिन एक दो उदाहरण ही देता हूं।

झांसी से मुझे सूचना मिली है कि वहां पर डाकुओं ने एक तरह की लेवी लगा रखी है। जिस क्षेत्र में भी वे अपना कैम्प लगाते हैं उस क्षेत्र की जनता से वे पैसे वसूल करते हैं और जनता भी उनको इसलिये पैसे देती है कि वह समझती है कि पुलिस से अधिक उनके हाथ में ही उनके जानमाल की सुरक्षा है। कहने के लिये तो यहां तक भी कहा जाता है कि पुलिस वाले भी उनसे मिले रहते हैं। इसी तरह से ललितपुर में ५ आदमियों को जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया। यह तो मैंने केवल दो उदाहरण दिये, ऐसे तो सारे प्रदेश में यह स्थिति है। बस्ती जिले में चार माह के अन्दर २१ मर्डर हुये। इस से यही पता चलता है कि इस प्रदेश में कम्पलीट लालेसनेस है। इस राज्य में किसी के लिये भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी जान व माल सुरक्षित है। हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पुलिस विभाग की किसी प्रकार की आलोचना न की जाय। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब वे अमेरिका का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि अमेरिका में तो ३२ मिनट में एक रेप होता है और इतने ही मिनट में एक हत्या होती है। क्या आपके कहने का मतलब यही है कि हमारे यहां भी वही होना चाहिये। इस तरह का उदाहरण देना बिलकुल गलत है। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि पुलिस ला ऐंड आर्डर की रोकथाम ठीक प्रकार से नहीं कर सकी है। हम समझते हैं कि यदि किसी दूसरे देश में यह स्थिति होती और इतने आंकड़े जुर्म के दिखलाये गये होते तो सम्बन्धित मंत्री को वोट आफ कांफिडेंस सीक करने की आवश्यकता पड़ गयी होती। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि जब लड़ाई चल रही थी तो एक भीषण परिस्थिति इंगलैंड की कैबिनेट के सामने आई कि देश की सिक्योरिटी के हित में यहां की कोई बात बाहर न जानी चाहिये। तब चर्चिल ने कहा था कि यहां वोट आफ नो कांफिडेंस की बात नहीं है।

मुझको संतोष है इसलिये हम आप से वोट आफ कांफिडेंस चाहते हैं। लेकिन आज जैसी हमारे यहां की दशा है यदि दूसरे देशों की होती तो ये मंत्री वोट आफ कांफिडेंस मांगते।

पुलिस की एफिशियेन्सी के बारे में मैं २–१ उदाहरण देना चाहता हूं। पुलिस की इनएफिशियेंसी इसलिये है कि आन्तरिक व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है हमारे माननीय सदस्यों ने इसी सदन में यह कहा कि कितने ट्रांसमीटर्स चल रहे हैं पर हमारी सरकार एक का भी पता नहीं लगा पायी। लखनऊ में स्टेशन वैगन स्टोर्स पर जलते हैं पर सरकार पता नहीं लगा पाती है। विस्फोट देहरादून, फैजाबाद और बस्ती में हो जाते हैं पर हमारी सरकार इसके बारे में नहीं सोच पाती। बहराइच में ८ फरवरी को भयानक विस्फोट होता है इसके बारे में सरकार नहीं सोच पाती। खाकसारों की सभा में भी विष वमन किया गया लेकिन इस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। श्री गंगा प्रसाद, जो यहां के भूतपूर्व एम०एल०ए० थे, के यहां पर एक मर्डर हुआ। पर आज तक उसका इनवेस्टीगेशन नहीं हुआ। अगर यह आंकड़े दिये होते कि यह

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

अभियोग कब हुआ और पुलिस ने कब कार्यवाही की तो मैं समझता कि हमारी पुलिस कितनी एफिशियेन्ट है, पर श्रीमन्, यदि हमारे कृषक जो कि पाले से ग्रसित हैं या क्षति की परिस्थिति में प्रदर्शन करते हैं तो इस पर हमारी पुलिस सतर्क रहती है, उनको दंड देने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है लेकिन जब देश की आन्तरिक स्थिति का प्रश्न आता है तो यह कम्पलीटली असफल रहती है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं पुलिस के डिमोरेलाइजेशन और पोलिटिकल प्रेशर के बारे में । हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है । अगर हम देखें तो इस में सबसे बड़ा हाथ हमारी सरकार का ही है । उदाहरण के रूप में मैं निवेदन करूं कि अभी श्रीमन्, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि श्री योगेन्द्र, एस० आई० जिन्होंने इलाहाबाद में रिट फाइल की है, उसके सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्यों यह हुआ, पर क्या उचित था कि हमारे गृह मंत्रीजी ने हस्तक्षेप कर दिया । दूसरे डिमोरेलाइजेशन कैसे न बढ़े । हमारे डी० आई० जी० जो लखनऊ में हैं उनके यहां एक भार्गव साहब हैं उनके खिलाफ कितने ही अभियोग लगाये जाते हैं ट्रांसफर या दफा ७ के बारे में । उनका ट्रांसफर हुआ । पर मुझे सूचना मिली है कि गृह मंत्री जी की आज्ञा से यह कैंसिल हुआ और यह उसी वक्त रोका गया ।

तीसरी बात श्रीमन्, जौनपुर के धर्मापुर प्रधान का कत्ल में हाथ के सम्बन्ध में है । श्रीमन्, मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा व्यक्तिगत आक्षेप करूं, लेकिन हम कैसे उनकी निष्पक्षता की आशा कर सकते हैं । इस मामले में ऐसा हुआ कि इनका कत्ल में हाथ होते हुये एक डी० वाई० एस० पी० वहां पहुंचे, उन्होंने अपने हाथ से फर्स्ट हैन्ड इन्फार्मेशन लिखी । उन्होंने रिपोर्ट में यह लिखा कि यह आदमी मौजूद था । बाद को हमारे माननीय मंत्री महोदय २५ या २६ तारीख को वहां पहुंचते हैं, रिपब्लिक डे मनाने के लिये जाते हैं और उसी डी० वाई० एस० पी० से पुनः एक रिपोर्ट करवाते हैं कि यह निर्दोष है । १६९ की रिपोर्ट हो जाती है लेकिन उसमें वह यह लिख देता है कि डी० वाई० एस० पी० के परामर्श से मैंने यह लिखा है कि यह व्यक्ति निर्दोष है । तो वही पुलिस जिसने पहले बेल एप्लीकेशन को अपोज किया था फिर उसे अपोज नहीं किया और उस से सहमत होती है कि हां, बेल ग्रांट कर दी जाय और लुटावन राम बाद में सस्पेंड हो जाता है कि उसने परामर्श क्यों लिया । मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि जब उनसे कहा गया कि सदन के सामने तथ्यों को रखें तो उन्होंने क्यों नहीं रखा । अगर वह रख देते तो मुमकिन है कि मालूम होता कि गृहमंत्री के हाथ साफ हैं लेकिन उन्होंने नहीं रखा और वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई । तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस का मोरेल इस से ऊपर उठेगा ?

दूसरी बात मैं होमगार्ड्स के बारे में कहना चाहता हूं । उसमें जितने एप्वाइंटमेंट्स हुये मैं एक-एक का नाम नहीं लेना चाहता । इस में मेरा मन बड़ा दुखी है । मैं तो जानता हूं कि इस सरकार में दूसरी पोलिटिकल पार्टीज का कोई स्थान नहीं है । मैं जनसंघ का आदमी हूं । मैं जानता हूं कि कितने आदमियों का महज इसलिये कि वे, मेरे साथ बैठते थे, ट्रांसफर कर दिया गया । एक सज्जन को वैसे ही यह कह दिया गया कि मेरी लड़की की उनके साथ शादी हुई है । एक गलत आदमी ने ऐसी रिपोर्ट देदी, उसकी जांच भी नहीं की गयी और उनको सस्पेंड कर दिया गया ।

एक दूसरा मामला सीतापुर का है । वहां मेजर पृथ्वीपाल सिंह कमांडर बैटालियन हैं । वे कदाचित अध्यक्ष पद के लिये लड़े । लेकिन वह ५ तारीख को गये और ७ तारीख को सस्पेंड हो गये । वह सेक्रेटरी साहब के यहां रहे । वह सेक्रेटरी साहब के शायद भाई हैं लेकिन दोनों आदमियों में बनती नहीं । कोई इंक्वायरी नहीं की गयी । पोलिटिकल रीजन्स से उनको सस्पेंड कर दिया गया । मैं एक उदाहरण और देता हूं । जिस तरह से खिचड़ी को देखने के लिये एक या दो चावल देखे जाते हैं उसी तरह से मैं दो, एक उदाहरण ही दूंगा । इसी सदन में माननीय शर्मा जी के प्रति कहा गया कि उन्होंने एक डकैत के बारे में सार्टिफिकेट दे दिया ।

में इतना ही कह कर रहने दूंगा। क्या सत्य है यह तो माननीय मुख्य मंत्री पता लगायेंगे। यह सब पुलिस से सम्बन्धित हैं।

माननीय मुजफ्फर हसन साहब के बारे में कहा गया कि एक आदमी कत्ल क मामले से सम्बन्धित था। उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट की जीप से कोर्ट में भेजा। क्या कारण है। कहा जा सकता है कि इसलिये भेजा कि उनके रिश्तेदार थे। एक बड़ा उच्च पद उनको दिया गया। लेकिन इसका असर क्या हुआ? पुलिस ने सोचा कि यह तो मिनिस्टर से सम्बन्धित है, मजिस्ट्रेट ने सोचा कि यह तो मिनिस्टर से सम्बन्धित है। नतीजा यह हुआ कि मर्डर के केस में उनकी बेल एप्लीकशन मंजूर हो गयी। मैं बहुत से मामले इसलिये नहीं कहना चाहता कि कदाचित् श्रीमन् के मन में यह भावना आये कि मैं व्यक्तिगत हमला कर रहा हूं। इतना मैं अवश्य कहूंगा, मुझे जनसंघ का आदमी कहा जाता है। मैं बिरादरी वाला आदमी नहीं हूं और न जनसंघ का कोई आदमी इस तरह का हो सकता है, क्योंकि चन्द इनेगिने आदमियों में से ही तो वह चुन कर आते हैं और उनमें भी अगर वह इस तरह की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं केवल यह कह कर आगे चलता हूं कि मैं एक मर्तबा माननीय मंत्री जी के पास गया था। मुझे बड़ा दुःख हुआ। ४० मिनट तक होम मिनिस्टर से मिलने के लिये बाहर बैठा रहा। दूसरे लोग आते रहे और मिलते रहे। वहां के लोगों ने कहा कि आपके लिये अभी स्थान नहीं है, आप रुकें। मैंने सोचा कि १० मिनट तक और इन्तजार करूंगा नहीं तो वापस चला जाऊंगा। फिर मैं जबरदस्ती अन्दर घुस गया तब मुलाकात हुई। यह कोई एक महीने की बात है। तो यह डिमोरेलाइजेशन किसके द्वारा हो रहा है। क्या कम्युनिस्ट डिमोरेलाइजेशन कर सकते हैं, क्या जनसंघ, सोशलिस्ट या पी० एस० पी० डिमोरेलाइजेशन और पोलिटिकल प्रेसर ला सकते हैं? कदापि नहीं।

कहते हैं बहुत से आंकड़े दिये। इसलिये मैंने कोई आंकड़े नहीं पढ़े, कोई साहित्य नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि बहुत सी पोलिटिकल पार्टी के साथ बैड कैरेक्टर्स हैं। मैं मानता हूं, आपने आंकड़े दिये और माननीय चरणसिंह जी ने आंकड़े दिये। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि जिस समय उन्होंने एग्रीकल्चर का विषय रखा तो उन्होंने अपनी खामियों को भी बताया। उन्होंने किसी बात को छिपाया नहीं। मैं मानता हूं कि खामियां मुझमें हो सकती हैं, मेरे दल में ऐसे आदमी हो सकते हैं, अन्य दलों में हो सकते हैं और कांग्रेस में भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई दल वाले उनको प्रोत्साहन देते हैं कि तुम डकैती करो? आज हम देखते कि न जान कितने कांग्रेस के आदमी गड़बड़ करते हैं लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि तुम गड़बड़ करो। यह तो व्यक्ति के नैतिक चरित्र के स्तर पर निर्भर रहता है। एक व्यक्ति ने अमेरिका में स्वामी विवेकानन्द जी से पूछा, जैसे कि आज कल प्रथा हो गई है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म पर आघात करो तो पोलिटिकल गेन होगा और पोलिटिकल गेम भी होगा, कि आपके देश में अयोध्या में रंडियों को क्यों नचाया जाता है देवताओं के सामने? उन्होंने फौरन जवाब दिया, भावात्मक दृष्टि से कहा कि मैं नचाता हूं क्योंकि मेरा धर्म है कि जो सबसे ज्यादा पतित है उसको ऊपर उठाओ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक आदमी पतितों को ऊपर उठाता है। मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि किसी पार्टी का कोई अधिकारी कभी-कभी किसी भी बैड कैरेक्टर को उत्साहित करेगा कि तुम जा कर आफेन्स करो। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की यह दलील गलत है। उल्टे सरकार के प्रेसर के सामने हमारी कौन सुनता है तो आप ऐसी अव्यवहारिक बात क्यों कहते हैं?

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं। लेकिन मुझे उनसे एक शिकायत है कि पिछले इलेक्शन में मेहदावल में माननीय मुख्य मंत्री जी वहां थीं। हमारा कैन्डीडेट इलेक्शन लड़ रहा था। लेकिन वहां का बी०डी०ओ० जिसने कांग्रेस के कैंडीडेट का समर्थन किया था, आज भी वहीं पर मौजूद है और वहां का एस० ओ० जिसने कांग्रेस के इलेक्शन में साथ दिया था, वह भी वहीं मौजूद है। क्या यह डिमोरेलाइजेशन नहीं है। आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा काम करें तो आप हमें रौंद दीजियेगा लेकिन पोलिटिकल

[श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी]

प्रेशर का नाम ले कर दूसरी पार्टियों के कंधों पर पैर रख कर बाहर निकलिये मत । अगर हम लोगों का पोलिटिकल प्रेशर १० परसेन्ट है तो आपका ७५ परसेंट है । सी० आई० डी० के रूप में जाकर आज आप किसी भी आफिसर से पूछिये, पहले अपनी यह टोपी उतार लीजिये फिर देखिये कि वह आप से क्या कहता है ? यह सब क्यों है ? मेरी माननीया मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है और मैं समझता हूं, कि वह एक स्त्री होने के नाते अपने अधीन अधिकारियों को और पार्टी के लोगों को कस नहीं पाती हैं, उनके साथ कड़ाई नहीं कर पाती हैं । क्या कारण है जब आपके सामने सब बातें आती हैं और आप यहां कह देती हैं कि कड़ा कदम उठायेंगे और जांच करायेंगे । लेकिन हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखें शासन को कसने के लिये, कड़ा करने के लिये आप क्या कदम उठा रही हैं ?

श्रीमन्, कैबिनेट से कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो कांग्रेस दल में से कोई उसकी जगह मिनिस्टर हो सकता है, सोशलिस्ट नहीं हो सकता, कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है और अन्य किसी दल में से नहीं हो सकता है । आपके दल में से ही होगा । आज आपके ४–५ मिनिस्टरों के ऊपर चार्जेज हैं । आप उसका कोई प्रबन्ध क्यों नहीं करती हैं ? मैं इसके लिये उचित शब्द नहीं पाता, यों आप पोलिटिकल आफेन्स की बात किया करती हैं ? तो आप लोग कुर्सी का ख्याल करते हैं, अगर कोई साम्प्रदायिक मामला आ जाय तो भी पोलिटिकल गेम खेला जाय । मैं श्रीमन्, से कहूंगा कि मुझे दुख हुआ जब आपने भी उस बात को मान लिया । ऐसी अवस्था में यह खयाल नहीं किया जाता है कि वह कौन से तत्व हैं जो पोलिटिकल प्रेशर रखेंगे । सरकार इस बात को नहीं सोचती है और हमारे ऊरपर आरोप लगा देती है ।

दूसरी करप्शन की बात है । मैंने निश्चय किया है कि केवल सिद्धान्त की ही बात कहूंगा । आप कहते हैं कि एक को भी छोड़ेंगे नहीं, सबको कसेंगे, किसी तरह से करप्शन चला जाय । कल गृह मंत्री जी ने यह कहा कि थोड़ी तनख्वाह देते हैं और सोचते हैं कि सब हरिश्चन्द्र हो जायं, युधिष्ठिर हो जायं । श्रीमन्, यह मोरेल ऊंचा रखने के लिये क्या सबको हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिर बनायेंगे ? हरिश्चन्द्र ने सत्य के ऊपर अपनी स्त्री का आंचल तक ले लिया था, लेकिन आप क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं युधिष्ठिर का । युधिष्ठिर वन में रहे थे । यह उदाहरण पेश करके आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि चाहे जो भ्रष्टाचार करें, सब क्षम्य है । पुलिस वाले हमीं में से हैं। हम उनका आदर करना चाहते हैं। हमारी जान माल की रक्षा करते हैं। फिर आप खामख्वाह क्यों समझ जाते हैं कि पुलिस वाले हम को पसन्द नहीं हैं ? हमको अपनी जान माल की रक्षा की अधिक आवश्यकता है । इसलिये हम उनका ज्यादा खयाल करते हैं । लेकिन इस तरह से उदाहरण दे कर हरिश्चन्द्र के नाम का गलत उपयोग न कीजिये ।

जस्टिस मुल्ला ने स्ट्रिक्चर्स पास किया, पुलिस को बचाने के लिये सुप्रीम कोर्ट तक चले गये । लेकिन जिसके विरुद्ध जस्टिस मुल्ला ने स्ट्रिक्चर पास किया उसको कम्पल्सरी रिटायरमेन्ट तक की सजा नहीं दी । वह हरदोई या कहां काम कर रहा है । मि० नईम या कौन है । उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। आज पुलिस फोर्स को इस बात का विश्वास है कि जो कुछ हम करेंगे सरकार हमारे साथ है । आप इंगलैन्ड और अमेरिका का उदाहरण देते हैं । इंगलैण्ड की पुलिस का क्यों नहीं उदाहरण देते ? इंगलैण्ड की पुलिस बन्दूक और फोर्स के साथ नहीं जाती । वहां की पुलिस को अधिकार है कि अगर एक कांस्टेबिल ने हाथ से मोटर को रोका और उसको गाड़ी का धक्का लग गया तो वह कम्पेन्सेशन क्लेम करता है। इसके विपरीत अगर पुलिस किसी को मार दे, अगर गलत अरेस्ट करे तो वह पुलिस पर दावा करके कम्पेन्सेशन और डैमेजेज ले सकता है। यहां वह मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचने नहीं पाता । फिर कैसे पुलिस का मारल ऊंचा रखना चाहते हैं । इनवेस्टीगेशंस में डिले होती है। आपको है कि कितने इनवेस्टीगेशंस हुए, कब फाइनलाइज हुए ? आपने एक नहीं दिया । कितने की कम्पलाएंस हुई, कितनी रिपोर्ट आयीं, कितनी लिखी गयीं कितनी नहीं लिखी गयीं, कितने काग्नेजिबिल आफेंसेज की थीं, कितनी नान काग्नेजिबिल आफेंस की थीं आपने दिया ? कितने अक्विटल हुए, कितने कनविक्शंस

हुए, एक भी नहीं दिया। तत्व को समझिए, अन्दर जाइये। यह तत्व को समझना नहीं चाहते। कुर्सी पर बैठे हैं। एस० पी० ने अपना रेकार्ड ब्राइट करने के लिये डी० आई० जी० को लिख दिया, डी० आई० जी० ने अपना रेकार्ड ब्राइट करने के लिये आई० जी० को लिख दिया। आई० जी० ने यहां भेज दिया। माननीय नरसिंहनारायण और माननीय उग्रसेन सच कहते हैं कि आज इतना ज्यादा पालिटिकल प्रेशर उधर से है कि जन जीवन खतरे में है।

एक्सटार्शन पुलिस में बहुत हैं। मेरे पास ऐसा गंदा उदाहरण, आप विश्वास करें न करें, मुंह से नहीं निकलेगा। पता लगा कर होम मिनिस्टर से कहूंगा एक्सटार्शन रोकना चाहिए।

एफ० आई० आर० नहीं लिखी जाती। आपने उदाहरण दे दिया कि सही रिपोर्ट लिखी जाये, वह ब्रह्म वाक्य नहीं है। अगर कोई डकैती लिखाने जाता है तो कहते हैं कि इनका नाम लिखा दो, इनको लिखा दो, और अगर हमारे बताये हुए आदमी को नहीं लिखाओगे तो हम नहीं लिखेंगे। हम वर्क आउट कैसे करेंगे? अभियुक्त की सजा नहीं हो पायेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। दस रोज हुए बमनी थाने पर किसी कांस्टेबिल ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मैंने उससे लिख कर मांगा क्योंकि मैं कभी कोई प्रमाण के बिना नहीं बोलता। उसको यह कह कर वापस कर दिया कि क्या बवाल करते हो जो हुआ वह हुआ। डाकू चारपायी में बांध कर लूट ले गये। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एफ० आई० आर० लिखी नहीं जाती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ७५ परसेंट नहीं तो ६७ परसेंट तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट है लेकिन असल में ९५ परसेन्ट जुर्म बढ़े हैं। लेकिन वह जुर्म लिखे नहीं जाते। हमें इससे कोई डर नहीं है कि जुर्म बढ़े हैं, हम इसमें आपके साथ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप मौके पर जाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें जुर्म करने से रोक नहीं सकते। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि आप तथ्य छिपाइये मत। हम जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं वह इसलिये करते हैं कि उनको सम्हालिए, पुलिस के अवगुण को दूर करिये। हमें आप यह मत समझिये कि हम आपके दुश्मन हैं। जैसा हरगोविन्दसिंह जी ने कल कहा, ठीक कहा कि बहुत से मामलों में हम आपके साथ हैं। हम इसी को मातृभूमि, पितृभूमि और अपनी देवभूमि सब मानते हैं। हम कब चाहेंगे कि दूसरा कोई हमारे ऊपर आकर झपट पड़े? आप हमसे ज्यादा उसकी रक्षा की चिन्ता नहीं रखते। हम चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए आपसे ज्यादा इस मामले में सोचते हैं।

हमसे कहा जाता है कि हम पुलिस वालों को बेईमान कहते हैं। लेकिन आपका कानून क्या कहता है? आपने कानून बनाया कि अगर मुलजिम दारोगा के सामने तसलीम करता है कि उसने जुर्म किया तो उस पर कभी विश्वास न करो। दरोगा पर यह अविश्वास तो आप स्वयं कानून बनाकर करते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम हमारी पुलिस को करप्ट कहते हो, जब चोर ने पुलिस के सामने कह दिया कि हमने चोरी की थी तो कहा जायगा कि स्टेटमेन्ट बिफोर दि पुलिस इज इनऐडमिसिबिल। क्यों साहब? ऐसा क्यों? अगर आप उनमें विश्वास करते हैं तो कहिए। सर्विसेज में अगर कोई कमी है तो उसको ऊपर उठाइए। फेस दि सिचुएशन।

दूसरी बात जूडिशियरी को भी आपने करप्ट किया है। मैजिस्ट्रेट बैठता है उसके सामने जुर्म करने वाला जाता है और कहता है कि उसने कत्ल किया तो फौरन देखता है कि कहीं दरोगा पीछे तो नहीं खड़ा है और अगर खड़ा है तो ऐडमीशन मेड बिफोर दि मैजिस्ट्रेट इन प्रेजेंस आफ दि सब-इंसपेक्टर इज इनऐडमिसिबिल तो आप तो अपने कानून के द्वारा ही यह कहते हैं कि दरोगा बेईमान, मैजिस्ट्रेट बेईमान। एक बात उन्होंने कही कि अगर हम रेक्रूटमेन्ट करते हैं आई० पी० एस० का या दरोगा का तो क्या वह बेईमान हो कर आते हैं। सही बात है वह बेईमान नहीं होता है। हालांकि आज रेलीजस और मारल टीचिंग हम नहीं करते लेकिन फिर भी वह उतना बेईमान शुरू में नहीं होता है जितना कि बाद में हो जाता है। उनको बेईमान बना दिया जाता है। हमारी सरकार उनको बेईमान बना देती है। आई० जी० लिखेंगे एस० पी० को कि तुम्हारे यहां क्राइम बढ़ रहा है। आज पुलिस वालों की तरक्की या पदोन्नति इस पर निर्भर नहीं करती कि उन्होंने कैसे मामलों को वर्क आउट किया, कितना सक्सेसफुल रहे, बल्कि वह

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

इस पर निर्भर करता है कि कितना जुर्म हुआ। तो वह एस० पी०, एस० ओ० से कहते हैं कि जुर्म घटाओ, रिपोर्ट न लिखो। तो जुर्म नहीं लिखे जाते, एस० पी० भी इस बात को जानता रहता है। किसी एस० ओ० ने रिपोर्ट नहीं लिखी, एस० पी० के यहां शिकायत की, वह तो इस बात को जानता ही रहता है मामला हश कर दिया जाता है। यह तो एस० पी० की बात हो गई। वैसे एस० पी० जानता है, एजूकेटेड होता है, लेकिन क्या करें गवर्नमेन्ट मेक्स हिम करप्ट।

दूसरी बात एस० ओ० के करप्शन की ले लीजिए। एस० ओ० की सफलता इस पर निर्भर करती है कि कितनों की वह सजा कराता है। चन्द्रबली सिंह के केस में मैं जानता हूं कि एक दरोगा ने नाराज होकर उनकी २० वर्ष की सजा करा दी। मैं उस केस को कान्डक्ट कर रहा था। तो दरोगा की सफलता कितने कन्विक्शन्स उसने कराये इससे ली जाती है। इन्वेस्टीगेशन कैसे किया, उसमें कितनी कुशलता से काम किया, इन सब बातों को नहीं देखा जाता। तो नतीजा क्या होता है कि गलत आदमियों को फांसकर वह सजा दिला देता है। डी० आई० आर० अगर ब्लैक मार्केटिंग इत्यादि ए जंगल आफ लाज एकार्डिंग टु मिस्टर जस्टिस महाजन है, दरोगा क्या करता है, किसी ने एफ० आई० आर० लिखाया, उसमें शिनाख्त पर सजा होनी है, दरोगा ने अपने दस विरोधी आदमियों का नाम, उसमें लिखा दिया और बुलाकर उनकी शिनाख्त करवा दी। न माल बरामद हुआ न कोई और बात का पता लगा और उनको सजा हो गई। केवल ३ समाअत पर उसको ३ वर्ष की सजा कर दी जाती है। पुलिस जानती है कि वह कभी डकैत नहीं रहा। पब्लिक जानती है कि वह ऐसा आदमी नहीं है। पब्लिक उसके लिये गलत शहादत देने के लिये तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानदार आदमी बहुत से मामलों में फांस दिये जाते हैं। इस डेमोक्रेसी में हमारी पब्लिक इस पुलिस के ऊपर विश्वास करे यह असंभव है जब तक कि इस सारे पुलिस के ढंग को बदल न दिया जाय।

मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि पुलिस रुपया लेकर डकैत को छोड़ देती है। एक तरह से विशेष सर्किल बनी हुई है। वह डाका डालता है और उसके बाद पुलिस को उससे रुपया मिलता है। पुलिस उसको छोड़ती है तो फिर वह काम करता है। इसी प्रकार से दरोगा अपने एस० पी० को रिपोर्ट करता है। एस० पी०, आई० जी० को भेजता है और आई० जी०, मिनिस्टर को रिपोर्ट भेजते हैं। बस एक ही बात की पुष्टि होती चली जाती है। भगवान् जाने किस प्रकार से इस डेमोक्रेसी में पुलिस के शासन से यहां पर सुधार होने वाला है।

अब मैं कुछ सजेशन सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ६० वर्ष पहले एक पुलिस कमीशन की स्थापना यहां पर हुयी थी जिसके चेयरमैन सर फलेमिंग के० सी० एस० आई० थे। उन्होंने इस बात को कहा था कि एक सम्पर्क अधिकारी रहना चाहिये जो इस बात का पता रखे कि पब्लिक क्यों नाराज है दरोगा से या और किसी पुलिस अधिकारी से। वे क्या बातें हैं जिनसे पब्लिक में असन्तोष है इस बात का पता अधिकारियों को होना चाहिये जिससे वे इस पर विचार करें। पुलिस सर्विस कंडीशन्स को जरूर इम्प्रूव किया जाय। जो आपके यहां इनएफिशियेन्ट अफसर हैं उनको रिटायर किया जाय। कांस्टेबिल कहीं पर हिम्मत का काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाय और उनके लिये फैसिलिटी को बढ़ाया जाय। बार्डर एरिया में जो हमारी पुलिस रहती है उनके लिये ट्रान्सपोर्ट की सुविधा दी जाय, वायरलेस सेट उनको दिये जायं ताकि वे वहां पर अच्छी तरह से काम कर सकें और स्थिति को काबू में रख सकें। इन्वेस्टीगेशन और प्रासिक्यूशन को अलग-अलग किया जाय। आज हालत यह हो गई है कि बेल एप्लीकेशन के लिये बिना पैसे कोई रिपोर्ट नहीं करता। जब यहां पर प्रश्न होते हैं तो मैं मौन ही बैठा रहता हूं और खड़ा भी नहीं होता हूं।

एक सिस्टेमैटिक अटैक हम लोगों पर किया जाता है कि ये कम्युनल हैं। हमको कम्युनल इसलिये कहा जाता है कि हम भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं। हम कम्युनल इसलिये हैं कि हम भारतवर्ष को अपना सर्वस्व समझते हैं। हम कम्युनल इसलिये कहे

जाते हैं कि हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। हम कम्युनल इसलिये कहे जाते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति का, जिसका संसार के किसी देश में स्थान नहीं है, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। हम सब भारतवासियों से प्यार करना चाहते हैं फिर भी हमको कम्युनल कहा जाता है। श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने पार्लियामेन्ट के अन्दर कहा था कि इस पर फुल डिबेट हो जाय किस प्रकार से हम कम्युनल हैं। मैं यह समझता हूं कि उस कास्टीज्म से तो यह कम्युनलिज्म ही बैटर है जिसके आधार पर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मैं यादव हूं वहां से खड़ा नहीं हूंगा। तो मैं ठाकुर हूं वहां से नहीं खड़ा हूंगा। यह किस प्रकार का जातिवाद है। हमको एक उदाहरण बतलाया जाय कि जहां पर कोई मुसलिम जनरल कांस्टीट्यूएन्सी से लड़ कर आया हो। यहां खड़ा होकर मैं यह बात कह रहा हूं कि यह अटैक यहां क्यों है? इसलिये कि यदि भारतीय नेशनलिज्म घर कर गया तो दूसरी विचारधाराओं के लिये स्थान नहीं है। और अब तो विशेषकर जब से पाकिस्तान और चीन का गठबन्धन हुआ है हमारे कम्यूनिस्ट भाई और जो उस विचारधारा से संबंध रखते हैं वह सब मिलकर एक हो जाते हैं। एक पूछता है कि क्या इसके पीछे किसी कम्युनल आर्गनाइजेशन का हाथ है। माननीय गृह मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि 'हां, है तो'। आप यहां खड़े होकर कह लें, हम भी समझते हैं कि वास्तकिता क्या है लेकिन खाली मुंह से कह देने से वास्तविक आग को जो छिपाया जा रहा है वह हो नहीं सकता। वास्तविकता तत्व को समझिये। जनसंघ को खत्म किया जा सकता है लेकिन जो वास्तविकता है वह आग एक दिन सामने आयेगी कोई रोक नहीं सकता है। आप कम्युनल हमें कह लीजिये, हमें संसार के सामने कम्युनल नाम से पलेश कर दीजिये लेकिन हमारा हृदय बिलकुल स्पष्ट है। अगर आप हमारे नाम पर जनता में ला ऐन्ड आर्डर को डिस्टर्ब करते हैं तो आप सारे भारतवर्ष का अहित करते हैं। भारतवर्ष के हित की बात में हम गृहमंत्री जी के साथ हैं। उनसे आगे हैं। आप कहते हैं कि ८ लाख आर० एस० एस० के वालंटियर्स हैं। आप उनसे डरते क्यों हैं। जहां भारत पर मुसीबत पड़े लीजिये उनको,उन्हीं दिनों के लिये तो हमने इन्हें छिपा कर रखा है। उन्हीं समयों के लिये तो भारतवर्ष को बचाने में इनका उपयोग कीजिये। जिस वक्त लड़ाई में जरूरत पड़े हम और यह सारे सिपाही भारत मां के, आपके चरणों में हैं, किन्तु आप इनसे इतना क्यों चौक पड़ते हैं। आप हमें कितनी भी सजा दें, हम अपनी जनता से, अपने प्यारे देश से, अपनी प्यारी मां से स्नेह करते हैं, अपनी जननी से प्यार करते हैं हम आपसे द्वेष नहीं कर सकते।

आप क्यों भूल जाते हैं कि हम कम्युनल नहीं हैं। कम्युनलिज्म की प्रेरणा तो उन लोगों ने दी जिन्होंने पार्टीशन कराया और पाकिस्तान को लाकर आज भारत के सामने खड़ा कर दिया। आज माइनारिटीज का एक्सटर्नमेन्ट हो रहा है पाकिस्तान में, वह केन्द्र का विषय है मैं उस पर नहीं कहूंगा। किसने किया? जनसंघ तो भारत और पाकिस्तान दोनों को एक करना चाहता है। प्रेम से एक करना चाहता है, द्वेष से नहीं, बैर से नहीं। गोवध की बात कही जाती है और जहां कहीं गोवध हो जाता है और झगड़े हो जाते हैं, जनसंघ ने करा दिया, कह दिया जाता है। गो हमारा मानविन्दु है। हम दूसरों की उपासना पद्धति का आदर करते हैं। हम गो का आदर करते हैं तो महात्मा गांधी की खड़ाऊं के सामने नतमस्तक होते हैं और कृष्ण को गौ के समक्ष भी झुकते हैं। हम कहते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारी भावनाओं का भी आदर करिये उलटे, अगर कहीं गड़बड़ी हो गयी, देहात के रहने वालों ने कहीं गड़बड़ कर दी तो आप हमें दोषी ठहराते हो। आप सख्त से सख्त सजा दीजिये जो कानून तोड़ता है, लेकिन क्या कानून जो आपने गौ रक्षा के संबंध में बनाया है उसमें २ परसेंट भी कन्विक्शन हुआ है। मैं किसी विरोध के कारण नहीं कहता लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तत्व को देखें।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं और हमारी जनसंघ ने कभी नहीं कहा कि अगर कोई हिन्दू गड़बड़ करता है तो उसको सजा आप मत दीजिये। आप उसको भी सजा दीजिये। मैं और जनसंघ कभी भी किसी प्रकार उसकी हिमायत नहीं कर सकता लेकिन जो तत्व हैं उसे

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

समझिये। माननीय मुख्य मंत्री जी कहती हैं कि यह बातें नहीं उठनी चाहिये। उससे हवा बहुत गन्दी फैलती है। तो मैं उनसे कहता हूं कि पाकिस्तान से जो लोग भाग रहे हैं और चारों तरफ जो हवा फैल रही है उनके लिये भी कहिये कि उनको नहीं उठाना चाहिये। मैं चार्ज करता हूं चीफ मिनिस्टर को कि इस तरह से पोलिटिकल गेम मत खेलिये,इस तरह से पोलिटिकल ट्रेंगिल मत बनाइये। हम होली का रंग खेलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो उस समय तक मौन रहिये, इतना बरदाश्त कर लीजिये, हम आपका कितना बरदाश्त करते हैं। लेकिन यह कम्युनल बात कही जायगी।

तीसरी बात श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं और बड़े दावे से यह बात कहता हूं कि हम हिन्दू, मुसलमान और इसाई सब की उपासना पद्धति की कद्र करते हैं। हम कब कहते हैं कि मुसलमान चले जायं इस देश से। वे इस देश में रहें लेकिन इस देश को अपना देश समझ कर अपनी भूमि समझ कर। वे भी इस देश के अंग हैं, लेकिन वे इस देश के प्रति भक्त भी बनें। इसके लिये आप हमें कम्युनल कहिये लेकिन जिन्होंने कम्युनलिज्म के नाम पर भारतवर्ष के दो टुकड़े करा दिये, जो आज भी भारतवर्ष में रहकर भारत की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं वे नान-कम्युनल। यह कहां का न्याय है? इसी तत्व की बात को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि माननीय उपनेता विरोधी दल ने सत्यासत्य बातें जो इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत कीं, उनको हम एक-एक शब्द बिलकुल चुप सुनते रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ४५ मिनट के भाषण में एक भी तरदीद हमने नहीं की, अब मेरे १५ मिनट के भाषण में आप इंटरेप्शन करने की कोशिश न करें। मुझे दुख है कि माननीय उपनेता विरोधी दल ने एक तहसील के वकील का केस पुट अप किया। विरोधी दल के उपनेता की हैसियत से उन्होंने कहा कि सारे उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग कैसा होना चाहिये। बतलाया कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उस कातिल की जमानत कर ली गयी, मैं जमानत की ही एक बात बतलाना चाहता हूं। मेरे जिले में लूमामऊ का मुकदमा अभी भूला नहीं होगा आप लोगों को। उसमें पूरा जनसंघ जमानत पर है। उसमें तीन मारे गये थे, लेकिन उसके लिये एक ने भी जेल की सड़क नहीं देखी, सब लोग जमानत पर हैं। मुझे खुशी है कि उपनेता विरोधी दल ने जो २३ जवान पी० ए० सी० के काशमीर फ्रन्ट पर मारे गये थे उनके लिये श्रद्धांजलि दी। उसमें सारा सदन सम्मिलित था, लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की जो गांवों की सुरक्षा में ८१ मारे गये और ६०० जख्मी हुए। यह नाइंसाफी है।

मैं पुलिस को तीन भागों में बांटता हूं। एक है पी० ए० सी० उसके लिये सब एक मत हैं कि वह अच्छी है। दूसरा विंग है सी० आई० डी० उससे इंक्वायरी कराने के लिये रोज मांग होती है और उसे भी सभी लोग अच्छा मानते हैं। तीसरा विंग है सिविल पुलिस। उसमें भी किसी कप्तान के खिलाफ उपनेता विरोधी दल को कुछ नहीं कहना है। उनका चार्ज है सब-इंस्पेक्टर और उसके नीचे के स्टाफ पर। उसको गृह मंत्री जी भी मानते हैं कि जगह-जगह कमी है और उस पर काबू किया जाना चाहिये। उसका पूरा इन्तजाम है लेकिन मेरा सजेशन है कि उस पर आप काबू तभी पा सकेंगे कि जब आप जाब्ता फौजदारी के कानून को गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से अमेन्ड करा दें।

शान्ति के मुताल्लिक उपनेता विरोधी दल को एक लफ्ज भी नहीं कहा। कहें कैसे? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खुलना और नारायणगंज के राइट्स बंगाल में हुए, यहां की पुलिस और खास तरीके से माननीय गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहीं जन-जीवन को साम्प्रदायिक भावना से कलुषित नहीं होने दिया। लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न रोज पूछे जाते ह उनका भी आपके पास कोई इलाज है, जैसे उस नींव में गाय का खून डाला गया? और

कोई नौबत आयी, पाकिस्तान के हमले की तो क्या क्विट इंडिया की तरह कोई लिस्ट आपके पास है, न हो तो तैयार कर लें। श्रीमन् (गृह मंत्री से) मैं आप से कह रहा हूं। जो साम्प्रदायिक शांति भंग कर सकते हैं उनकी लिस्ट जरूर तैयार करा लीजिये मेहरबानी करके, साम्प्रदायिकता को काबू पाने के लिये और अपने आई० जी० और पुलिस से कह दीजिये कि गाफिल न रहें। अगर पाकिस्तान की गोली दग गयी तो घर-घर गोली दगने लगेगी। (विरोधी दल की ओर इशारा करके) मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। आपको सावधान रहना चाहिये उनसे जो आन्तरिक अशान्ति का फायदा उठाना चाहते हैं, यह मशविरा मैं आपको देता हूं और इसमें चन्द्रजीत यादव और जितनी प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं वह सब शामिल हैं। पूरी लिस्ट क्विट इंडिया की तरह तैयार रखिये। अगर कहीं नौबत आयी (तो तीन बार चुटकियां बजायीं।)

इसके अलावा जब माननीय जगमोहनसिंह नेगी का बजट था तो बड़ा शोर मचाया गया कि यह बाजार लुट गया वह लुट गया, एक हफ्ते तक हल्ला रहा। लेकिन यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की बदौलत ही आपने काबू पाया था, मारवेलस अचीवमेन्ट था और ला एण्ड आर्डर को मेनटेन रखा जिससे आगे कोई गड़बड़ी नहीं हो पायी।

करप्शन की बहुत बात की जाती है, मैं एक बड़ा भारी भंडा फोड़ कर रहा हूं। बार-बार ४–५ मंत्री, ४–५ मंत्री, कहकर इशारा किया जाता है। लेकिन सुन लीजिये, आपसे कह रहा हूं। कानपुर से दो पूंजीपति ४ लाख रुपया लेकर परसों इस उत्तर प्रदेश के कैपिटल में वोट खरीदने आ गये हैं। आपकी पुलिस और सी० आई० डी० सावधान हो जायं। मंत्री जी, आप गाफिल हैं। यह करप्शन वोट खरीदने का पिछली बार भी हो चुका है कि वोट बिक चुके हैं। क्या आपने कोई तहकीकात आज तक बैठाली? आप विरोधी दल के पोषक मालूम होते हैं। यह आपके ऊपर चार्ज है।

श्री अध्यक्ष—

मुझ से बातचीत कीजिये, उनसे नहीं।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां ७५ हजार रुपया लिया गया नकद एक मुश्त पिछली बार राज्य सभा के चुनाव में और १०–१० हजार का वोट बेचा गया और ४ लाख रुपया पिछली किस्त में फिर आया है ७२ वोट खरीदने के लिये। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री जी को सावधान करता हूं कि लगा दीजिये सी० आई० डी० प्रदेश में, वरना पूंजीवाद के ठेकेदार .....(व्यवधान) श्रीमन् चिढ़ने लगे!

श्री अध्यक्ष—

चिढ़ने की बात नहीं है, आप इस किस्म की बात मत कीजिये, यह गलत है। और यह न कहा गया होता तो अच्छा था जिस तरह से आपने कहा।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं तो कोई बात नहीं कहता।

एक सदस्य—

यह तो आप ही इजाजत दे रहे हैं और दूसरों को भी मौका दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस किस्म की कोई इजाजत नहीं देता हूं, इस तरह से रिफलेक्शन सब पर पड़ रहा है।

श्री ज० पी० मिश्र—

मैं आपका हुक्म एक एक शब्द मानता हूं। हम तो आपके हुक्म के बन्दे हैं। आप जिस किस्म का आदेश देंगे हम उसको तामील करने में पीछे नहीं हैं और न हम हिम्मत करेंगे आपके आदेशों का उल्लंघन करने की, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कोई चार्ज सबमिट करें तो जिस

तरह से माननीय विरोधी दल क सदस्य चार्जेज लगाते हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट एश्योरेंश देती है, अगर हम लाते हैं तो उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं निवेदन कर दूं। यह मैं किसी का दिल दुखाने के लिये नहीं कह रहा हूं लेकिन सूरत यह है कि सरकार इस उत्तर प्रदेश के राज्य का संचालन करती है, इसलिये उसकी आलोचना होनी चाहिये। हर एक सदस्य को अधिकार है कि सरकार की जो त्रुटि हो वह उसे सामने रखे और इस तरह से वे अपने कर्तव्य का पालन भी करेंगे। लेकिन अगर उसके लिये आप किसी पर लांछन लगाते हैं तो उससे किसी को लाभ नहीं होगा।

श्री जे० पी० मिश्र--

श्रीमन्, मेरे इसमें जो ५ मिनट चले गये हैं, उनका ध्यान रखा जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पी० ए० पी० बेदाग है, सी० आई० डी० बेदाग है, हायर आफीसर्स बेदाग हैं, केवल नीचे के लेविल पर गड़बड़ है, उसके लिये यह सरकार और हम सब की जिम्मेदारी है, उसको हमें ठीक करना होगा। मुझे पूरी आशा है उसको ठीक करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जायगा।

एक बात की मुझे जरूर खुशी है कि एक शिकायत की जाय जिसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी केवल ४ दिन में दे देते हैं और इस प्रकार शिकायत की तहकीकात के इतिहास में एक हिस्ट्री बना दी। इस तरह से उन्होंने जो तहकीकात करने की मशीनरी तैयार की है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जो मामूली किस्म की शिकायत हों उनको एक हफ्ते के अन्दर तहकीकात करा के जवाब दे दिया करें। इस तरह का विश्वास आपको जनता में पैदा करना पड़ेगा तभी जनता यह समझ सकती है कि यह वेलफेयर स्टेट है। हम में प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला करने की क्षमता होनी चाहिये। हमें देखना होगा कि शिकायत की जड़ कहां है और उसका उपचार क्या है। जब माननीय मंत्री जी इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में ला एण्ड आर्डर पर काबू पाने में समर्थ हो सकेंगे।

श्रीमन्, कुछ सैद्धांतिक बातें भी कही गयीं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कितनी ही पार्टियां हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे यहां किस तरह के पार्टी संगठन हैं और किस तरह से पार्टीज ला एण्ड आर्डर का संकट पैदा कर देती हैं। आज जो क्राइम्स की बढ़ोत्तरी की बात कही जाती है, मेरा यह दावा है कि इन क्राइम्स की वृद्धि में माननीय विरोधी दल के सदस्यों का कन्ट्रीब्यूशन होता है। हमें उस कन्ट्रीब्यूशन को दूर करना होगा। एक जुर्म कानून से नहीं बनता है लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखायी जाती है। दस्तन्दाजी जरायम बनता नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। जब इस तरह की बातें दूर हो जायेंगी तब इनमें रोक हो सकेगी।

इसके अलावा कुछ सेक्शन्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १०७ एक ऐसा सेक्शन है जिसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनका अख्तियार सीनियर आफीसर्स के हाथ में दे दिया जाय। इसी तरह से सेक्शन १५१ है उसका निफाज भी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के लेविल के आफिसर को दिया जाना चाहिये। इसके अलावा दफा १०९, और ११० में भी आपको मोडिफिकेशन करना होगा। दफा १०९ और ११० ऐसी हैं कि जिनमें जिसको सब-इंन्सपेक्टर चाहता है बन्द कर देता है। इसलिये माननीय गृह मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि दफा १०७, ११७, १५१, १०९ और ११० में सीनियर पुलिस आफिसर्स को अधिकार दे दिये जाने चाहिये और लोअर रैंक के आफीसर्स से इनका अधिकार विदड्रा कर लेना चाहिये। आखिर में उपनेता, विरोधी दल से मेरा निवेदन है कि "ऐ विरोधी दल के आलोचको, जरा आंख में भर लो पानी--जो शहीद हुए हैं सुरक्षा में, उनकी याद कर लो कुरबानी"।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, माननीय त्रिपाठी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह जो पुलिस विभाग है उसके अन्तर्गत पुलिस का काम है कि वह जनता के जान माल की हिफाजत करे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? रोजाना इस बात की शिकायत सुनने को मिलती है कि चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है और पुलिस उसको रोकने में अपने को असमर्थ पा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर पुलिस विभाग ईमानदारी से काम नहीं चला सकता है तो इस विभाग को तोड़ देना चाहिये। मैं इलाहाबाद के सोरांव क्षेत्र से आता हूं जहां पंडित जवाहर लाल जी चुने गये हैं। उस क्षेत्र में दो साल के अन्दर १४०–१५ डकैतियां पड़ी हैं लेकिन पुलिस उनका पता लगाने तथा डाकुओं को पकड़ने में असमर्थ रही है। इसके अलावा चोरियां जितनी हो रही हैं उनकी कोई गिनती ही नहीं है। अभी हाल ही में ४ या ५ आदमियों का कत्ल हो गया है दिन में ४ बजे। पुलिस थाना वहां से तीन मील दूर था लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंच पायी। यहां तक कि उन आदमियों का कत्ल करके उनके चेहरे को काट कर गंगा में डाल दिया जो पास ही में है लेकिन पुलिस उनका पता नहीं लगा सकी। फिर ४ दिन के बाद गंगा में ढूंढने पर उनका पता लग सका। बड़े आश्चर्य की बात है कि पुलिस जो लोगों को सुख व आराम पहुंचाने के लिये रखी गयी है। हमारे इलाके में तो रात को सोना व कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है। चाहे उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी, किसी भी इलाके में चले जाइये पुलिस का सिपाही हर क्षेत्र में दिखलायी देता है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि ये जरायम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस विभाग के हाथ में आपने दफा १०९ व ११० को दे दिया है। अगर कोई चोरी होती है तो वही गरीब बेचारा पकड़ा जाता है जो निर्दोष है और जो सही में बदमाश, गुंडे व डकैत होते हैं वे पुलिस से मिले रहते हैं, इसलिये उन्हें पुलिस नहीं पकड़ती है। हमारे क्षेत्र में पुलिस का काम है गांजा बेचवाना, जगह जगह जुए खेलाना। पुलिस का यह एक मामूली-सा कार्य हो गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर पुलिस इस दिशा में कुछ करना चाहती है तो वह इस ओर कदम उठावे वरना सारे उत्तर प्रदेश में एक खतरे की हालत हो जायगी।

पुलिस विभाग के जरिये जरायम किस तहर से बढ़ रहे हैं उसका एक उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का देना चाहता हूं। एक गांव में एक बनिये के यहां छोटे दरोगा गये और उससे कहा कि मैं डकैत हूं। वह बेचारा डर के मारे पीछे की तरफ से दीवार लांघ कर भाग गया और चारों तरफ हल्ला मच गया कि डाकू आये हैं। बाद में उसने जाकर थाने में रिपोर्ट की तो सर्किल आफिसर ने उस केस को दबा दिया और कहा कि तुम झूठ बोलते हो और बेचारा बनिया घर छोड़कर बाहर भाग गया पुलिस के डर से। जिनके पास गांव में पैसा है वह शहरों में आ रहे हैं। लोग इस तरह से परेशान हैं और सरकार चुप बैठी है। अगर पुलिस जनता की सुरक्षा सही माने में नहीं करेगी तो प्रदेश की हालत बिगड़ जायगी। पुलिस व्यवस्था को ठीक करने का एक ही उपाय है कि कड़ाई के साथ कदम उठाया जाय।

पुलिस में जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जायं, बेचारा चौकीदार दिन भर काम करता है और तनख्वाह उसको ५ रु० मिलती है। पर इसके साथ यह भी है कि तमाम जुर्मों में जो यह लोग साथ देते हैं इसको कड़ाई से बन्द करना चाहिये। ताज्जुब की बात है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के क्षेत्र में १४ डकैतियां पड़ीं तथा तरह-तरह के जुर्म वहां हो रहे हैं। और क्षेत्रों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। अभी उत्तरी इलाके में कत्ल हुआ। जिसमें जनता ने डकैत को पकड़ने में पुलिस का साथ दिया, उसके यहां कत्ल हो गया उसमें हमारे उन साथियों को पकड़ा गया जो पुलिस का साथ दिये थे और झूठे कत्ल का इल्जाम लगाया गया। मैंने कहा सी० आई० डी० के द्वारा जांच होनी चाहिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इन जुर्मों को कम करने के लिये सरकार सही कदम उठाये। अभी हाल में ४ बाजार लुट गये, कौड़ियार का बाजार लुटा पर पुलिस इंतजाम करने में असमर्थ रही। अगर पुलिस इस तरह इंतजाम

[श्री मेवालाल जायसवाल]

करने में असमर्थ है तो सी० आई० डी ० द्वारा इंतजाम करायें और गावों में पंचायतों से प्रबंध करायें। नवाबगंज थाने में डकैती पड़ी, इलाहाबाद शहर में कत्ल हो रहे हैं। हर थाने में जगह-जगह पर दलाल हैं पुलिस के। सरकार से यह कहा गया कि दलालों की लिस्ट बनायी जाय लेकिन नहीं बनी। मैं चाहता हूं इनकी लिस्ट सदन के सामने सरकार रखे ताकि हमको पता चले।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, टाइम लिमिट कर दें थोड़ी सी।

श्री अध्यक्ष—

८ मिनट है। लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन है जैसा आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाय।

* श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, कल पुलिस अनुदान का समर्थन विरोधी सदस्यों ने प्रतीक के रूप में विरोध करके किया और एक पृष्ठभूमि उन लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया जिससे पुलिस के अनुदान पर गर्मागर्मी से विवाद हो सके। देश के अन्दर एक वर्ग ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है, चैतन्य है उनको पुलिस के प्रति रोष की भावना होती है। हमारे देश पर चीन का जब आक्रमण हुआ, पुलिस को चीन समर्थकों की जांच करनी पड़ी, स्वाभाविक था कि एक राजनीतिक दल कुछ न कुछ उससे दुःखी हो। इसी प्रकार हमारे सामाजिक क्षेत्र में नाना प्रकार के आन्दोलन हुआ करते हैं। पुलिस को राजकीय नीतियों के अनुसार राजनीतिक आन्दोलन को दबाना पड़ता है और साधारण रूप से राजनीतिक व्यक्ति जो हैं, जो कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध हैं, उनको पुलिस के प्रति रोष आता है। लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी राज्य की कल्पना न होगी जिसमें पुलिस न रहती हो। लोकतंत्र में, डिक्टेटरशिप में या कम्युनिस्ट देश में जहां भी देखें पुलिस का होना आवश्यक है। माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी की कल्पना है कि मुख्य मंत्री के अपने चुनाव में पुलिस के दरोगाओं का उपयोग किया। पर क्या आपने नहीं किया? वे भूल गये कि उसी बस्ती में जनसंघ वालों ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध इतने गन्दे आरोप लगाये कि उनको उनके पति ने छोड़ दिया। यदि डैमोक्रेसी न रही होती तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। (जनसंघ के सदस्यों की ओर से—यह असत्य है)। माधव प्रसाद जी कहते हैं कि आज मुझ पर कम्युनल होने का आरोप लगाया जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

इन आरोपों को दोहरा कर क्या आप उनकी बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं?

श्री कृष्णानन्द राय—

पुलिस के प्रति या किसी राजनीतिक व्यक्ति के प्रति इतने बड़े आरोप लगाने पर उनको समझना चाहिये कि वे समाज का कौनसा चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।

अपराधों के प्रति जो पुलिस का रवैया है वह स्वाभाविक नहीं है, रोष प्रकट किया जाता है। हम लोग जिस मनोवैज्ञानिक वातावरण में पले हैं उसमें भी विरोध उत्पन्न होता है। मुझे एक सच्ची घटना याद आ गयी। एक आदमी शाम को अपने घर के सामने सो रहा था। सारे मोहल्ले में सुनसान पड़ा हुआ था। उसको रात में कत्ल कर दिया गया। लोग कहने लगे कि अब तो घर के बाहर भी नहीं सो सकते हैं। उसके बाद ५–४ राउंड अप किये गये। उसके बाद वे ही मोहल्ले वाले लोग डेप्युटेशन बनाकर पहुंचते हैं।

एफिशियेंसी की बात कही जाती है और मुकाबला किया जाता है अमेरिका से। सारी दुनिया जानती है कि कनेडी की हत्या हुई पर अमरीका की पुलिस केनेडी की हत्या का पता नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगा सकी । एक व्यक्ति ओसवाल्ड नाम का पकड़ा गया जिस पर दुनिया भर की थीसिस निकली कि यह हत्यारा नहीं था और जब वह पुलिस के कब्जे में लिफ्ट से नीचे उतर रहा था तो किसी ने उसे गोली मार कर जो कुछ एविडेंस था उसको भी समाप्त कर दिया । यह अमरीकन पुलिस की हालत है । माननीय सदस्य इंगलैंड की पुलिस की बड़ी तारीफ करते हैं । लेकिन जिस पुस्तक में उन्होंने वहां की पुलिस की तारीफ पढ़ी है क्या उसमें यह नहीं पढ़ा है कि वहां का कांस्टेबिल केवल एक टार्च लेकर रात में गलियों में घूमता रहता है और बड़े से बड़े बर्गलर पर टार्च जलाकर अगर वह हैंड्स अप कह देता है तो वह बर्गलर उस पर पिस्तौल नहीं चलाता है और अपने को सरेंडर कर देता है । तो यह कह देना कि यहां की पुलिस भ्रष्टाचारी है, निकम्मी है, मैं इसमें विश्वास करने को तैयार नहीं हूं । सिविल पुलिस को छोड़ कर जो थानों, चौकियों और कोतवालियों पर स्टेशन्ड हैं और मुकदमों की जांच करती हैं उसी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते तो किसी हद तक उचित भी हो सकता था, लेकिन पुलिस के तो अनेक सेक्शन्स हैं और हर सेक्शन पर आप यह आरोप नहीं लगा सकते । आर्म्ड पुलिस का ६० रुपये का जवान सुबह से शाम तक परेड करता है, खजाने की रक्षा करता है उस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते । पी० ए० सी० पुलों की रक्षा करती है, और स्ट्रेटेजिक स्थानों की रक्षा करती है, उस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते । सी० आई० डी० पर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते । बड़े-बड़े कबाल टाउंस में पुलिस का फायर ब्रिगेड है । उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता । पुलिस के कई सेक्शन्स हैं और कर्तव्य हैं । हमारे गृह मंत्री जी ने जिस दिन से चार्ज लिया उस दिन से जहां-जहां गये हैं अपने भाषणों में कहा है कि पुलिस भ्रष्टाचारी है । जब हमारे पुलिस मिनिस्टर स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि पुलिस भ्रष्टाचारी है, हम तो कहते नहीं हैं, तो हमारी समझ से उनको कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये ।

पुलिस में नाना प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन में पुलिस के ऊपर विवाद का सब से वैज्ञानिक तरीका यह हो सकता है कि माननीय सदस्य यह मान कर चलें कि स्टेट में पुलिस की व्यवस्था रहेगी जब तक चोरियां होंगी, कत्ल होंगे, डकैतिया होंगी । लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि पुलिस के जिन कार्यों को आप गलत समझते हैं उन पर रोक लगे । मैं आज माननीय गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि केवल अखबार में जो आपने बयान दिया है कि पुलिस में भ्रष्टाचार है इससे आप भ्रष्टाचार रोक नहीं सकते । आज सारी स्टेट का ऐडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटाइज होता जा रहा है लेकिन पुलिस को आप अनडेमोक्रेटिक बनाये हुये हैं । आपके एस० पी० बंगले पर बैठे रहते हैं । जिला परिषद् की बैठक होती हैं, सभी अफसर आते हैं और कृषि, प्लानिंग, इन्डस्ट्री आदि के बारे में आलोचना सुनते हैं । क्या एस० पी० की इज्जत घट जायगी अगर वे भी जिला परिषद् की मीटिंग अटेंड किया करें ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

ऐसा सर्कुलर भेज दिया है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे मालूम नहीं । यहां पर आई० जी० बैठे हुये हैं । हर साल बजट के संबंध में हम पुलिस की आलोचना करते हैं । आपके एस० पी० बंगले में बैठे रहते हैं । आप उनको लिखिये कि वे जिला परिषद् की मीटिंग अटेंड करें । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो एस०पी० से कहिये कि वह जिला परिषद् की मीटिंग, थानेदार ब्लाक समिति की मीटिंग और चौकीदार गांव सभा की मीटिंग को अटेंड किया करें । आप पुलिस फोर्स को डेमोक्रेटाइज कीजिये । लन्दन में वहां की समस्त पुलिस मेयर के अधीन होती है जो आपकी पुलिस से कहीं ज्यादा एफिशेंट होती है । केवल सर्कुलर से काम नहीं चलेगा । जिला परिषद् का चेयरमैन जो कि पहला नागरिक होता है, कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन जो कि पहला नागरिक होता है उनके पास आपके पुलिस अधिकारी जायं,उनसे अदब

[श्री कृष्णानन्द राय]

से बात करें, उन्हें नमस्कार करें, उनके सुझाव लें, उन्हें जनता का प्रतिनिधि समझें। भ्रष्टाचार स्वयं रुक जायगा।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस का आउट लुक इस समय केवल प्रिवेंटिव है वह केवल अपने बंगले पर बैठी रहती है कि हजरतगंज के मुहाने पर कहीं खून हो तब हम पहुंचें और लोगों को गिरफ्तार करें। वह बात खत्म कीजिये जो आपने कह दिया है कि जितना मन हो थाने में रिपोर्ट लिखो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह गलत प्रवृत्ति है। जिस के चार्ज में ज्यादा अपराध हो उसको सैक किया जाना चाहिये। अंत में मैं कहूंगा कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स आने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने की आज्ञा प्रदान की। आज जो अनुदान प्रस्तुत है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी देश और प्रदेश की उन्नति के लिये वहां सुरक्षा कायम रहने की विशेष आवश्यकता है। आज प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुये जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है यह बहुत कम है। जनसंख्या के अनुपात से हमारे यहां की पुलिस बहुत कम है। इस प्रदेश में सुरक्षा कायम रखने के लिये आवश्यकता है कि हमारे यहां पुलिस फोर्स और बढ़ाया जाय। जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक प्रदेश में सुरक्षा कायम नहीं रह सकती है जिसकी कि हम कल्पना कर रहे हैं। आज देहात में एक सब-इंस्पेक्टर और १० कांस्टेबिलों के थाने पर नियुक्त होने से काम नहीं चल सकता जबकि उनका एरिया २०–२२ मील तक का होता है। १५ मील के फासले पर अगर किसी आदमी के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो पुलिस उसकी तत्काल मदद नहीं कर पाती है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ध्यान देंगे।

दूसरी बात यह है कि पुलिस फोर्स को चार भागों में बांटा गया है। पी० ए० सी०, सी०आई० डी०, गजेटेड आफिसर्स और चौथे इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल। हमारे पी० ए० सी० के जवान देश की रक्षा कर रहे हैं और वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे यहां सी० आई० डी० भी बहुत योग्य है और उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है। लेकिन सिविल पुलिस का और इसका रिक्रूटमेंट एक ही तरीके से होता है, वह ठीक नहीं है। इससे उनका आचरण ऊंचा नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव है कि सी० आई० डी० का सिविल पुलिस से कोई संबंध नहीं होना चाहिये जिससे वह इन्वेस्टीगेशन में निष्पक्ष होकर काम कर सके और गृह मंत्री जी जैसा आवश्यक समझें इसकी व्यवस्था करें। यह मेरा सुझाव है जिससे सी० आई० डी० की शुद्धता कायम रह सके। भ्रष्टाचार के आरोप जो सिविल पुलिस के खिलाफ हैं और जिनको गृह मंत्री जी भी मानते हैं, वे सी० आई० डी० में भी फैल जायेंगे। वह महकमा और उसका रेक्रूटमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि जो मिश्रा जी ने कहा कि आफिसर क्लास करप्शन से एग्जेम्ट है, मैं इससे बिलकुल असहमत हूं। आज कल करप्शन टाप से है, नीचे से नहीं है। करप्शन एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० से शुरू हो रहा है थानेदार और इंस्पेक्टर से नहीं शुरू हो रहा है। फैजाबाद जिले की जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं। माननीय गृह मंत्री को भी जानकारी होनी चाहिये। उस जिले का करप्शन एस० पी० के लेविल से है। मैं अपने रेंज के डी० आई० जी० को अवश्य धन्यवाद देता हूं। उनके सामने वस्तुस्थिति लायी गयी। उसके सम्बन्ध में जांच की और उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जो दोषी पाये गये। परन्तु गजेटेड अफसरों का तबका भ्रष्टाचार से परे है मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूं। मेरा माननीय गृह मंत्री से नम्र निवेदन है कि आप आफिसर तबके की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। तब इनका भ्रष्टाचार कम होगा। थानेदार और इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार कर नहीं सकते हैं जब तक डी० वाई० एस० पी० और एस० पी० शरीक न हों।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री ने जो डिमांड पेश किया है २३ करोड़ २२ लाख ३८ हजार १ सौ रुपये का उसका पूरे तौर से मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरे भाषण में कोई 'इफ' और 'बट' नहीं मिलेगा । पूरी तौर से सपोर्ट है । क्यों मैं इस डिमांड को पूर्णतया सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं उसका कारण मैं बतला देना चाहता हूं । आजादी हमको मिली लेकिन इस आजादी को कायम रखने की और इस देश की रक्षा के लिये दो ही शक्तियां हमारे पास हैं—हमारी सेना और पुलिस । अगर हमने त्रुटियां बतलाने के हेतु, देश हित के बहाने, इन दोनों शक्तियों पर आक्षेप किया और उनकी नुक्ताचीनी करने लगे तो हमको स्मरण रहे कि जो हमारे लिये फ्रंटियर में लड़ रहे हैं और पुलिस के सिपाही जो सारे देश में शान्ति रखे हुये हैं उन पर क्या असर होगा । वह इस बात की आशा करते हैं कि हम पूरी तरह से अपने सिपाहियों और पुलिस का समर्थन करेंगे । हां, हमारी पुलिस में त्रुटियां हो सकती हैं । उनको दूर करने का तरीका यह नहीं है कि हम आम तौर से उनके ऊपर नुक्ताचीनी करें ।

अध्यक्ष महोदय, जमाना बहुत गुजर गया है । मुझे आज से ४० वर्ष पहले की याद आ रही है जब मैंने पहले पहल पुलिस पर भाषण दिया था १९२४ की विधान परिषद् में उस वक्त पुलिस के लिये सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपये की डिमांड थी । आज मांग करीब १४ करोड़ है । उस जमाने में सारे स्टेट की व्यय की मांग १४ करोड़ से कम थी । आज हमारे १४ करोड़ की डिमांड केवल पुलिस की हैं । तब से हम कितना सफर कर चुके हैं । कितना अधिक दायित्व पुलिस पर आ गया है । मैं समझता हूं कि यह जो डिमांड है यह भी नाकाफी है । पुलिस फोर्स बढ़ना चाहिये । अभी हाल ही में २३ हमारे P. A. C. के सिपाही हमारी सीमा पर पाकिस्तान के आक्रमण के शिकार बने । इसी तरह से और भी हमारे पी०ए०सी० के बहुत सारे अफसर हैं जिनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है । दो वर्ष पहले की एक बात मैं याद दिलाऊंगा । आनन्द सिंह नेगी एस० पी० पी० जोशी मठ के समीप ऊपर चट्टान गिर जाने से दबकर मर गये । अपनी ड्यूटी अदा करने में इस तरह भी उनको कष्ट सहने पड़ते हैं और उनकी मौतें हो जाती हैं ।

(इस समय १२ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

आज से ४० वर्ष पहले की बात है । कौंसिल में मैंने एक पुलिस अफसर मि० यंग की तारीफ की थी । उस वक्त वह तारीफ मैंने इसलिये की थी कि सुल्ताना डाकू को मिस्टर यंग पुलिस आफिसर ने बड़े-बड़े कष्ट सहकर पकड़ा था । लेकिन आज तो पुलिस अफसरों ने न जाने कितने डाकुओं को पकड़ा है । उस वक्त मैंने कहा था Mr. Young S.P. के विषय में —

"I take this opportunity to convey our congratulations and admiration to Mr. Young and his gallant band of police force who brought to book Sultana and his gang. We admire his valour."

यह कोट करने का मेरा आशय यह है कि मैं आज पहली बार ही पुलिस की तारीफ नहीं कर रहा हूं बल्कि हमेशा से मेरी यह धारणा रही है कि अगर हम पुलिस की तारीफ नहीं करते, पुलिस को सहारा नहीं देते तो हमारे देश में शान्ति और सुरक्षा नहीं रह सकती । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि हम में से बहुत से लोग पुलिस के शिकार रह चुके हैं । मैं भी उनमें से एक हूं । मेरे विद्यार्थी जीवन में वह कालेज के अन्दर मेरे साथ विद्यार्थी बनकर रहा करते थे यह देखने के लिये कि क्या राजनीतिक कार्यवाही मैं करता हूं । यह मैं जानता हूं कि करीब करीब हर सदस्य इस सदन का ऐसा होगा जो कि एक न एक दिन पुलिस का शिकार अवश्य बना होगा । पर क्यों ? इसलिये कि उस वक्त शान्ति स्थापना के अपने कर्त्तव्य का पालन पुलिस ने किया । हम लोग इस बात के लिये तैयार थे कि हम शान्ति नहीं रहने देंगे और हम शान्ति भंग करके स्वराज्य लेंगे और जब हमारा यह ध्येय था तो पुलिस को भी अपने कर्त्तव्य का पालन करना ही था । इसी तरह से मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने उस वक्त कहा था कि पुलिस को अगर हम अपनायें, तो उनसे हम समाज सेवा का काम ले सकते हैं । विलायत में अबसे

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

ज्यादा सर्विसेबल पब्लिक सर्वेन्ट पुलिस मैन ही है। उसे वहां "बाबी" कहते हैं। एक बार लन्दन में मैं अपना रास्ता ढूंढ़ रहा था। मैंने बाबी से पूछा तो उसने मेरी कमर पर धपकी दी और कहा—माई सन, हियर इज इज। तो अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने यहां लागू किये हैं तो उसी तरह से पुलिस फोर्स से भी हम काम लें जिस तरह से कि विलायत में और अन्य देशों में उनसे काम लिया जाता है।

अब मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि पुलिस का सिर्फ यही काम नहीं है कि वह शान्ति और सुरक्षा बनाये रखे बल्कि आपको मालूम है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जरिये और जेलों के जरिये कितना औद्योगिक काम हो रहा है, कितनी हुनर की चीजें और तरह-तरह के काम जेलों में वह करते हैं। हमारे सूबे में सबसे बढ़िया कारपेट आगरे की जेल में बनती है। हमारी पुलिस इस वक्त कैदियों को जेल के बाहर छोड़कर उनसे काम लेती है। करीब ८ लाख का काम बन्दियों ने चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में किया है। इसी तरह से जुवेनाइल के जेलों में देख लीजिये। जूवेनाइल जैल बरेली में चार जूवेनाइल्स ने मैट्रिक पास किया, कैद में रहते हुए दो ने बी० ए० पास किया। इसी तरह से सोशल सर्विस के कितने कार्य हमारे पुलिस भाई कर रहे हैं। भाई शब्द मैं इरादतन कर रहा हूं क्योंकि हमको यह नहीं भूलना है कि वे हम में से ही हैं। अगर उनमें भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं तो क्या हम पर उसका दायित्व नहीं है। कौन उनको रिश्वत देता है, हमी लोग अपने फायदे के लिये उनको रिश्वत देते हैं।

हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि पुलिस ने बड़े-बड़े हमारे यहां काम किये हैं। हमारे माननीय सदस्यों को मालूम नहीं होगा कि ९८० पुलिस के सिपाहियों ने पिछले साल इस प्रदेश की सेवा करने में अपने जीवन का बलिदान किया है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिये। इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना होगा कि इस समय हमारी पुलिस पर और भी कई काम आ गये हैं। उन कामों को करने के लिये हमारी पुलिस को हर तरह से तैयार होना है। हमारे साथियों ने देखा होगा कि पुलिस ने एक नई चीज निकाली है। पुलिस अब कुत्तों से भी काम लेने लग गई है। आपने देखा होगा कि कुत्तों के जरिये कई चोरियों और डाकों का पता लगाया गया है। मैं पुलिस विभाग से यह निवेदन करूंगा कि अब तक वह विदेशी कुत्तों से काम लेते हैं किन्तु अब उनको इंडियन डाग जैसे राम हाउंड और भोटिया कुत्तों से भी काम लेना चाहिये और उनको ट्रेन्ड करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कल यह कहा था कि जो सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं उनको समय दिया जायगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा भी ध्यान रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी का खयाल करना पड़ता है। अपोजीशन का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री बनवारीलाल विप्र—

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे ट्रेजरी बेन्चेज के भाइयों की तरफ से बहुत से लोगों ने पुलिस के कार्यकलाप के बारे में प्रशंसा की। मिश्र जी इस समय यहां से चले गये, उन्होंने जो पुलिस की तारीफ और गृह मंत्री जी की तारीफ यहां पर की उससे मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से कोई कमजोर मुद्दई

एक होशियार वकील के पास जाता है और वह वकील उसकी वकालत करने लगता है । इसी तरह से मिश्रा जी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे थे । इन सब बातों के प्रकाश में मैं यह समझता हूं कि इस तरीके की डिबेट अगर हम असेम्बली में करेंगे तो हम जिस तरीके से अपने प्रदेश से करप्शन को मिटाना चाहते हैं वह किसी कीमत पर मिट नहीं सकता है । इसके बीच में स्पीकर महोदय ने इस सदन को यह बतलाया कि सब सदस्यों का यह फर्ज हो जाता है कि चाहे कुछ भी पुलिस की तारीफ की जाय लेकिन हमारा यह नैतिक कर्त्तव्य है कि जो चीजें जनता के हित की हों उनको यहां पर लाया जाय । इसीलिये मैंने भी अपना फर्ज समझा कि पुलिस की उन तमाम बातों का नहीं कम से कम कुछ बातों का जिक्र करना अपना फर्ज समझता हूं ताकि सदन उन पर विचार कर सके ।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश की पुलिस ने जो कुछ कार्यवाही की है, मैं यह समझता हूं कि हमारे हाउस की इसमें दो राय नहीं है, कि उनके जितने भी तमाम काम हुये हैं वह इसी बात पर निर्भर करते हैं कि प्रदेश की सरकार उसको अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं जो देश की रक्षा मजबूती से करे और वे प्रदेश के नागरिकों के अधिकारों की कहां तक रक्षा योजनाओं को पसन्द करते हैं । मेरी निश्चित जानकारी यह है कि जहां तक हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रश्न है उनकी रक्षा पुलिस के हाथ में सेफ नहीं रह गई है । पुलिस के छोटे-छोटे कांस्टेबिल और सब-इन्सपेक्टर का यह काम हो गया है कि जब कभी कोई केस उनके हाथ पड़ा तो रस्सी का सांप और सांप की रस्सी बनाना उनके बायें हाथ का काम है । इस प्रकार से जब एक ऐसी कानूनी व्यवस्था करना प्रदेश की पुलिस पर है तो उनका, चाहे छोटे हों या बड़े, फर्ज हो जाता है कि उनका ईमानदारी से निर्वाह करें । प्रदेश के लोगों का जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा की पुलिस को गारन्टी लेनी चाहिये । गृह मंत्री जी इस बात का खयाल रखेंगे कि उन सब बातों की जानकारी कम से कम हाई लेविल पर आफिसर्स मीटिंग में हो जिससे आम जनता को दिक्कत न हो । यों तो अपने डिपार्टमेंट के कर्त्तव्यों के पालन की जिम्मेदारी सब डिपार्टमेंट्स पर हैं लेकिन पुलिस पर विशेष जिम्मेदारी इसलिये है कि वह देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाये रखने में बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं ।

मैं जो इस डिपार्टमेंट की जो कार्यवाहियां हैं उनका जिक्र करना भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं । मैं ऐसी जगह से सम्बन्ध रखता हूं जिसे डकैतों का एरिया कहा जाता है । खुल्लमखुल्ला डकैती पड़ जाना उस क्षेत्र में आम बात है । पुलिस चाहे जैसा केस भी बना सकती है, उसमें संदेह नहीं है । मैं इसका एक उदाहरण दूं । हमारे बाह इलाके में जब से यह कानून बना कि खांड और दूसरी चीजें एक जिले से दूसरे जिले को नहीं जायंगी खैरागढ़ की पुलिस और थानेदार ने विशेष रूप से ऐसा विजनेस किया है कि पत्रकारों ने और जनता ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान उस ओर दिलाया कि क्या तमाशा हो रहा है । उन्होंने तुरन्त सारा माल राजस्थान की तरफ उतार दिया और ऊंटों की गाड़ियां भर-भर कर तमाम खांड भिजवा दिया । कोई भी पालन कानून का नहीं किया गया । जब हमारे बाह इलाके में ऊंट पकड़े गये तो उनके मालिकों ने बताया कि हमारा क्या है । पुलिस के इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबिल सब इसमें शरीक हैं । उस ब्लैक मार्केट के माल में सब का बटवारा है । डी० एस० पी० ने एस० पी० को बताया कि क्या वाक्या है तो उन्होंने उस इलाके के थानेदार और ३ कांस्टेबिलों को सस्पेंड किया । खैरागढ़ थाने का तो यह रवैया रहा है कि १, २, ३ ट्रकें पास कर दी गयीं और तब दूसरी तरफ जाकर कांस्टेबिल और सब-इंस्पेक्टर उससे पांच छः हजार की रकमें ले लेते हैं । तो इस तरह से तो न पुलिस का प्रशासन अच्छे ढंग से चल सकता है और न जो सुरक्षा की गारन्टी पुलिस की है वही पूरी होती है ।

जहां तक इस बात का सवाल है कि पुलिस आफिसर्स के कुछ राइट्स होते हैं काग्निजेबिल आफेंसेज में तो उसमें भी हमेशा वही सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने का जो पुलिस का तरीका है, वह सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है और मैं इसीलिये जिक्र करना चाहता हूं

[श्री बनवारीलाल विज]

जिससे मंत्री जी अपने आफिसर्स का ध्यान ऐसी चीजों की ओर दिलावें । सेक्शन १५६ सी० आर० पी० सी० में लिखा हुआ है :—

"156 Any officer incharge of a police station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the Local Area within the limits of such to station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XV relating to the place of inquiry or trial.

(2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate."

तो इस कदर पावर्स जब इंचार्ज को हैं तो वह कर सकते हैं लेकिन स्थिति को बिलकुल बदलने के लिये वह १५७ में कर देते हैं । हालांकि उसकी जिम्मेदारी है कि वह मौके पर जांय और देखें लेकिन वही सांप का रस्सी और रस्सी का सांप बनाने वाली बात, अपनी जिम्मेदारी से अलग हटने के लिये १५७ पुलिस के उच्चाधिकारी से आदेश लेने का बहाना बना लेते हैं । वह स्वयं सेक्शन १५६ के अन्दर लेकर जनता को फायदा दे सकते हैं लेकिन जो उनके काबू के अन्दर हैं वह भी टाल देते हैं ।

इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस चौराहे पर खड़ा हो कर जो ट्रक या जितना माल उधर से निकलता है उससे एक रुपया, दो रुपया, चार रुपया की गाड़ी ले लेना अपना कर्त्तव्य समझता है । वहां न तो कानून सामने आता है और न कोई और चीज, न मिनिस्टर का डर है न किसी और का । अगर पुलिस कानून का पालन नहीं करती तो मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के मुख्य मंत्री का अपमान करती है । ट्रैफिक पुलिस का यह रवैया रोकना बहुत आवश्यक है ।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । पुलिस के संबंध में क्वेश्चन आवर में रोज ही कुछ न कुछ कहा जाता है और विरोधी दल की ओर से सिवाय गालियों के कुछ नहीं मिलता । संभव है कि पुलिस में भ्रष्टाचार हो, लेकिन जिस हद तक वह कहा जाता है वह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । पुलिस में भ्रष्टाचार के लिये हम लोग भी जिम्मेदार हैं । हम अपने अधिकारों के लिये तो लड़ते हैं लेकिन अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है । जब तक हम अपनी ड्यूटीज के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक काम नहीं चल सकता । पी० ए० सी० और सी० आई० डी० में विरोधी दल को कोई खराबी नहीं दिखायी पड़ती । केवल इंवेस्टीगेशन ब्रांच में खराबी है । लेकिन इंवेस्टीगेशन ब्रांच के सामने कुछ मजबूरियां हैं । क्राइम जो बढ़ रहे हैं उसमें उनकी अकर्मण्यता नहीं है । गांव में पंचायत एलेक्शन्स ने रंजिश का काटा बो दिया है । वहां उनके चलते रोज ही झगड़े होते हैं और पुलिस को उसमें घसीटा जाता है और रोज उस पर पोलिटिकल प्रेशर पड़ते हैं । वह कितना ही अच्छा काम क्यों न करे उसे बदनामी ही मिलती है । हमारे लेखपाल भी क्राइम बढ़ाने में सहायक होते हैं । वे गलत इंदराज करते हैं और उनके कारण हुए झगड़ों में पुलिस को परेशान होना पड़ता है ।

जनतंत्र के लिये एक सबल विरोधी दल की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि वह अच्छे और ठोस सुझाव दे, लेकिन हमारे यहां उसके स्थान पर केवल गालियां ही दी जाती हैं और उस समय पुलिस की परिस्थितियां और परेशानी भी नहीं देखी जातीं । इसके अतिरिक्त जेल में अभियुक्त की शिनाख्त नहीं होने दी जाती और इससे जुर्म बढ़ते हैं । भ्रष्टाचार दूर करने के लिये आवश्यक है कि कैदियों को जो रियायतें दी जाती हैं वह रोक दी जायं। पहले कहीं चोरी होने पर तीन आदमी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिम्मेदार होते थे—गांव का सभापति, पुलिस और चौकीदार चोरी का सामान न मिलने पर वे चोरी का सामान देते थे। इसके साथ ही साथ हमको देखना पड़ेगा कि पुलिस को जनता का कितना सहयोग मिलता है। आज कोई भला आदमी पुलिस की शहादत देने को तैयार नहीं होता। अगर किसी को पता भी होता है कि अमुक डकैत वहां ठहरा है तो भी कोई पुलिस अधिकारी को बतलाना नहीं चाहता और अगर पुलिस अपने सुराग से उसे पकड़ लेती है तो भी लोग एप्रोच करते हैं कि उसे छोड़ दिया जाय। पुलिस लाचार हो जाती है, इसलिये जब तक हम लोग अपने आचरण को ऊंचा नहीं उठायेंगे तब तक पुलिस का भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकेगा। सब से पहले हमको अपनी विचारधारा को बदलना होगा। जो बात भी आपको मालूम हो तो उसको सही रूप से यहां रखा जाना चाहिये। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पी० ए० सी० ने नेफा और लद्दाख में जो काम किया है वह किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में अभी जो जम्मू और काश्मीर में हमारे यहां के पुलिस के अधिकारी मारे गये तो उस प्रकार से उसने हमारा सर ऊंचा किया है, उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि अधिक से अधिक सहायता जो उनके संबंधियों को दी जा सके वह दी जानी चाहिए ताकि उनको आगे के लिए प्रोत्साहन मिले और पुलिस अपनी ड्यूटी को ठीक प्रकार से देशभक्तिपूर्वक अंजाम दे सके। हमारे गृह मंत्री ने जो यह ऐलान किया है कि अगर कोई अधिकारी या पुलिस कर्मचारी मारा जायगा तो उसकी ५५ साल पूरे होने तक तनख्वाह मिलती रहेगी, उसकी पेंशन भी मिलेगी जब तक विधवा जिन्दा रहेगी इससे जैसा कि मुझे बात करने पर मालूम हुआ अधिकारियों और पुलिस वालों का हौसला बढ़ा है।

फूड रायटिंग के संबंध में भी पुलिस ने काफी कंट्रोल किया। हरिद्वार कुंभ में इतने बड़े मेले का उसने कंट्रोल किया। जनरल इलेक्शन जो सन् ६२ के हुए उनमें एक आध जगह को छोड़ कर कहीं लड़ाई भगड़ा नहीं हुआ। सुरक्षा का प्रबंध हमारे पुलिस अधिकारियों ने काफी अच्छा किया। कहा जाता है कि गृह मंत्री सुनते नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि वह चाहते हैं कि फैक्ट्स और फिगर्स लिख कर उनको दे दिये जायं तो वह फौरन ऐक्शन लेते हैं। दो इंसटेंस मैं बताता हूं। मेरे यहां शाहजहांपुर में सदर बाजार थाने में कुछ औरतें रहती थीं पुलिस में। गृह मंत्री जी हालांकि परेशान थे, लेकिन जब मैं ८ बजे रात को पहुंचा तो मैंने सारा विवरण लिख कर दिया। फौरन उन्होंने एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को टेलिफोन पर कंटैक्ट किया। जब मैं शाहजहांपुर लौटा तो हालांकि मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चला कि सदर बाजार के पुलिस कर्मचारी सब ससपेंड कर दिये गये हैं और वहां एक तहलका मचा हुआ था और जो औरतें थीं, वे यतीमखाने भेज दी गयीं। इससे ज्यादा प्रांम्प्ट ऐक्शन क्या लिया जा सकता था? एक करनल जो नेफा में एक ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं अलीगढ़ में उनके भाई का मर्डर हो गया। उनको ऐसा लगा कि पुलिस ने इंक्वायरी में कोई विशेष ध्यान नहीं दिखलाया। वे मेरे पास आये, मैं उनको गृह मंत्री जी के पास ले गया। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया और उन्होंने यह महसूस किया कि नेफा पर जो अफसर लड़ रहा है उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिये। कल उस अफसर की मेरे पास चिट्ठी आयी, वह मैं लाया नहीं हूं, उसमें उन्होंने मुझे और मंत्री जी को धन्यवाद दिया है और वह अब बिलकुल निश्चिन्त हैं कि जो इंक्वायरी सी० आई० डी० की चल रही है वह सुचारुरूप से काम हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पुलिस का महकमा ब्रिटिश सरकार ने इसलिये स्थापित किया था कि भारतीय जनता का दमन होता रहे और अंग्रेजी शासन कायम रहे। वही परम्परा अभी भी चली आ रही है। पुलिस विभाग बराबर जनता को दबाता है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और प्रमोशन भी उन्हीं का होता है

[श्री मंगलप्रसाद आर्य]

जो रुपया देते हैं। जूनियर और सीनियर का खयाल नहीं रखा जाता है। जब तक ऊपर के भ्रष्टाचार को नहीं रोका जायगा तक तक विभाग से यह खराबी दूर नहीं हो सकती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री मंगलप्रसाद आर्य---

मान्यवर, दिन प्रति दिन जरायम बढ़ते जाते हैं और पुलिस का अत्याचार रोजाना की समस्या बन गई है। चोरी और डकैती तो समय पाकर रात के अंधेरे में होती है मगर पुलिस विभाग दिनदहाड़े वर्दी पहनकर लूट करता है। मैं अपने जिले बहराइच का हाल बताता हूं। थाना सुनवा, मौजा कठौतिया में बलवा हुआ। वहां के थाना इंचार्ज उसकी सही तरीके से ईमानदारी से जांच कर रहे थे। मगर डी० वाई० एस० पी० शिवदरस राय ने उनसे अपने हाथ में इनक्वायरी लेकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी जिसे अदालत ने मंजूर नहीं किया। सुना यह है कि उन्होंने लोगों से ६,००० रुपया लेकर ऐसा किया था। आज तक उस डी० वाई० एस० पी० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दूसरे थाना इकौना, मौजा चैनपुर में नूर मुहम्मद नाम का एक व्यक्ति मार डाला गया था। २० दिन तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और फाइनल रिपोर्ट देना चाहती थी। मुझे मालूम हुआ तो मैं जाकर डी० सी० से मिला और कहा कि अगर कत्ल के मामले में इस तरह से लापरवाही होती रहेगी, तो भेड़ बकरी की तरह कत्ल होने लगेंगे। उन्होंने एस० पी० को फोन किया। वह मुकाम पर इनक्वायरी करके चले आये और दूसरा थाना इंचार्ज सदर से भेज दिया। इकौना के दरोगा और वह दरोगा मिल गये और नूर मुहम्मद के कुछ आदमियों को ही फंसा दिया जिससे केस न चलने पावे। मैंने एस० पी० से बात की लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था वह भी उसमें शरीक हो गये। यह मैं नहीं कह सकता हूं। ३, ४ दिन हुए, मेरे पास सूचना आई है कि मुसम्मात महाराजी का एक इकलौता लड़का है जिसकी उम्र १४, १५ साल है। इकौना के थानेदार ने रफीक सिपाही को भेजकर उस लड़के को बुलवाया और उसे २, ३ दिन थाने में रखा। जब उस बेवा औरत ने थानेदार की खुशामद की तो २०० रुपये मांगे और १५० पर मामला तय हुआ। ८० रुपये तो उसने थाने पर दे दिये और चली आई। उसके गांव के पास मौजा तिलकपुर में दरोगा जी गये उसे बुलवाया और रुपया मांगा। उसने २० रुपये इधर-उधर से करके फिर दे दिये। अब उससे यह कहा जा रहा है कि अगर रुपया पूरा नहीं करोगी तो तुमको और तुम्हारे लड़के को किसी केस में फंसाकर चालान कर दिया जायगा। मैंने मंत्रीजी को इस बात की सूचना दे दी है।

१६ जनवरी को थाना इंटियाथोक, मौजा कहला (लालनगर) में मुसम्मात सुन्दर के यहां लगभग ४००-५०० रुपये की चोरी हुई। १७ तारीख को वह थाना इंटियाथोक में रिपोर्ट करने के लिये गई। दिन भर उसे थाने में बैठाये रखा और शाम को ५०६ का केस लिख दिया। वह पढ़ी-लिखी नहीं थी। मेरे क्षेत्र की तो नहीं है लेकिन मैं बहुत नजदीक पड़ता हूं। वह मेरे पास आई। मैंने डी० वाई० एस० पी० को यह सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्यवाही करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसकी सूचना मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है। यहां तक कि उन चोरों का झोआ वहां छूट गया, उसकी नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी गयी लेकन फिर भी उसकी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसी तरीके से नकबजनी की रिपोर्ट थाने वाले नहीं लिखते हैं। उसके लिये वे कहते हैं कि हमारा एचीवमेन्ट इससे खराब होता है।

दलाल लोगों के द्वारा पैसा कमाया जाता है। दलाल लोग तरह-तरह के केसेज बनाया करते हैं और इधर-उधर फर्जी आदमियों को फंसा कर रुपया कमाने की कोशिश की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इन दलालों के गिरोह को बन्द किया जाय और इस तरह रुपया कमाना समाप्त किया जाय।

मेरा सुझाव यह है कि पुलिस विभाग में हरिजनों का १८ प्रतिशत रिजर्वेशन पूरा किया जाय। चौकीदार के वेतन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनका वेतन कम से कम ५० रुपये कर दिया जाना चाहिये। कांस्टेबिलों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी जाय। उनके लिये थाने पर क्वाटर्स बनाये जायं। कांस्टेबिलों का वेतन १५० रुपये कर दिया जाय। प्रमोशन में भी हरिजनों का १८ फीसदी कोटा रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक अंग्रेज वैज्ञानिक रुपर्तेतिक हुआ है उसने लिखा है कि शक्ति के प्रयोग से कभी भी किसी देश की ग्रोन लालेसनेस नहीं दूर हो सकती, अगर वह दूर हो सकती है तो केवल जनता के सहयोग से। "बिल्ड आन फोर्स इज वेस्ट आफ स्टेट"। हम अपने प्रांत में जो कानून बनाते हैं उसके लिये हमें देखना भी चाहिये कि उसके पीछे, उसको कार्यान्वित करने में जनता हमें कितना सहयोग देती है, यदि जनता का सहयोग ९९ प्रतिशत या ९० प्रतिशत से अधिक हमें मिलता है तो कानून अवश्य कामयाब होगा और अगर उसके पीछे जनता का सहयोग नहीं है तो वह कानून फेल हो जायगा। इसमें किसी मंत्री का दोष नहीं होगा, इसमें किसी शासन का दोष नहीं होगा, किसी राज्य का दोष नहीं होगा। अस्तु, आज हम जहां इंगलैंड का उदाहरण देते हैं तो उस उदाहरण में और हिन्दुस्तान के उदाहरण में बड़ा अन्तर है। जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर इंगलैंड का बना है और जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर हिन्दुस्तान का बना है, उन दोनों की इकाइयों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिये जिस हद तक इंगलैंड में डेमोक्रेसी कामयाब हुई है उसी हद तक हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी का कामयाब होना जरा दुश्वार है।

उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक मामूली सी बात हमें यह देखनी पड़ेगी कि जो कानुन हम बनाते हैं, उसमें हमारी जो इकाइयां हैं उनका कहां तक सहयोग प्राप्त है। एक सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस से मेरी बातचीत हुई। मैंने उसे पूछा कि क्या बात है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और देश के रत्न हैं, फिर भी देश से व प्रांत से भ्रष्टाचार दूर नहीं होता। इस पर उसने मुझे बतलाया कि आपका कहना सही है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन जिस समय हमारे पुलिस के आदमी देहातों में इनवेस्टिगेशन करने जाते हैं तो हमें देहातों में या शहरों में भी शहादत नहीं मिलती। लोग शहादत देने में झिझकते हैं और उसके लिये तैयार नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते, तो फिर हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें करकस पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसा न करें तो फिर हम कैसे किसी का चालान करें यदि कहीं से शहादत न मिले। इस-लिये हम एक तरीका निकालते हैं कि कुक्स को काम में लाते हैं, बदमाश को पकड़ने के लिये बदमाश की मदद लेते हैं। हर थाने में कुक्स होते हैं जो हमको बताते हैं किसने जुर्म किया और शहादत भी मुहैया कराते हैं। इसलिये जब जनता का सहयोग नहीं मिलता तो मजबूर हो कर क्रिमिनल की सहायता लेनी पड़ती है, जो किसी तरह मुनासिब नहीं है। मगर मजबूर हैं, अगर जनता का सहयोग मिले तो ऐसा न हो। अब ऐसी परिस्थितियों में यह तो नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार एकदम समाप्त हो जायगा, यह तो सामाजिक सुधार के साथ ही खत्म होगा। हमने अपने यहां क्या किया कि हर गांव में सुपरिंटेन्डेन्ट की सम्मति से उस थाने के थानेदार को बुलाकर एक रक्षा समिति बनायी और कोशिश की कि उसमे भले आदमी हों और उनको आश्वासन दिया कि तुमको कोई बदमाश धमका नहीं सकता और हमारी सहायता सदा

[श्री नौरंग लाल]

प्राप्त होगी। इससे पुलिस को इनवेस्टीगेशन में सहायता मिली और काफी कामयाबी हमें मिली। इसलिये अगर हर गांव में रक्षा समितियाँ कायम करें, या पंचायत में करें, तो इनवेस्टीगेशन में सहायता मिलेगी और शहादत भी मिलेगी।

दूसरी शिकायत यह है कि डकैतियां काफी होती हैं। ऐसी सूरत में कोई भी शासन क्यों न हो जब तक आमूल परिवर्तन न करें सामाजिक व्यवस्था में तब तक इनको कम नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि किसी सरकार को अपनी प्रजा का अविश्वास नहीं करना चाहिये और लोगों को आर्म्स के लाइसेंस से बरी कर देना चाहिये, जो लोग रख सकें। इससे डकैतियां अपने आप कम हो जायंगी। गन और रिवाल्वर के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, क्योंकि लाइसेंस देने में रेड टेपिज्म होती है। दो बन्दूक धारी बदमाश सारे गांव को भेड़ बकरी की तरह हंका लेते हैं। अगर हमारे पास आर्म्स होंगे तो कोई डकैत नहीं आ सकेगा।

पुलिस फोर्स की जिस समय बुराई करते हैं तो बड़ी शरम आती है, क्योंकि वह भी हमारे ही लड़के, भाई हैं। किसी की बुराई करने से पहले अपना चेहरा देखना चाहिये। मेरा सुझाव है कि जो एजुकेशन पुलिस कर्मचारियों को मिलती है उसमें परिवर्तन होना चाहिये, सोशल सर्विस की ट्रेनिंग उनको देनी चाहिये, हर थानेदार और एस० पी० को सोशल सर्विस करना लाजिमी हो जाना चाहिये जिससे उनके दिल में सेवा भाव हो। हुकूमत करने की बू न हो जो पुराने नौकरशाहियत के जमाने में थी। हर पुलिस अफसर के लिये लाजमी हो कि जिस वक्त उसको सेवा में रखा जाय उसे सोशल वर्क की ट्रेनिंग मिले। ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस अफसरों को रोटीन वर्क से भी फुरसत नहीं मिलती जिससे कि वे इन्वेस्टिगेटिंग कर सकें। मेरी राय में उनका जो लिखने-पढ़ने का काम है यह सब पंचायतों को दे दिया जाय और अगर पढ़ाई-लिखाई का काम इससे निकल जायगा तो जो समय बचेगा वे इन्वेस्टिगेशन में और समय दे सकेंगे और अपने प्रांत की ला एण्ड आर्डर की पोजिशन को और अच्छी तरह से संभाल सकेंगे। हमारे प्रासिक्यूशन के कानून ठीक नहीं हैं उसके कारण जो हमारे प्रासिक्यूटिंग इन्स्पेक्टर हैं उनकी लियाकत और उनका तजुर्बा इतना वसी नहीं होता कि वे १०-१२ केसेज इतने थोड़े समय में कर सकें। सरकार को चाहिये कि एक प्रासिक्यूटिंग इंस्पेक्टर को रखे और बाकी जो पैनल लाइयर्स होते हैं उनमें से पैनल आफ लाइयर्स बना दे वे इन कामों को करें जैसा कि सेशन केसेज में होता है। वे खामियां जो प्रासिक्यूटिंग इंस्पेक्टर कर जाते हैं वे उनमें न होंगी और जो केसेज हमारे अपीलों में फेल होते हैं, वे भी न होंगे। यह मुमकिन नहीं है कि एक दम भ्रष्टाचार सारे का सारा पुलिस में से निकाल दिया जाय, लेकिन हमें भी खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें इस बारे में भी फौरन कदम उठाने चाहिए। सारे देश मे ला ऐण्ड आर्डर मेनटेन करना इन्हीं का काम है, इसलिये सारे देशवासियों की नजर इन्हीं पर पड़ती है। अगर ये चमकते नहीं और गन्दे ही रहे तो हम और डिपार्टमेंट को नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए हमारा पहला कदम इस पुलिस को सुधरने के बारे में उठना चाहिये। मुझे खुशी है और उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देंगे। अगर हम इस विभाग में सुधार नहीं कर सके तो न तो जनता का हमें सहयोग मिलेगा और नहीं हम अपने प्रांत में भ्रष्टाचार कभी भी समाप्त कर सकेंगे।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहली बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर के दौरान में इतनी बात कही कि कुछ लोग हिन्दुस्तान में भी ऐसे हैं जो चाइनीज को बुलाना चाहते हैं। मैं उस सिलसिले में यह कहूं कि माननीय गृह मंत्री, हरगोविन्दसिंह जी ने अन्ध कम्युनिस्ट विरोधी, शायद यह रास्ता जो हिटलर, मुसोलोनी, तोजो, चांगकाईशेक का है उसे अख्तियार किया है। इस रास्ते पर वे कदम रखने की कोशिश न करें। आपको याद होगा कि जब भारत पर

132697

चाइना ने आक्रमण किया तो आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने जो रेजोलूशन पास किया उसके लिये हर हिस्से से बधाई दी गयी। इसके सम्बन्ध में सेन्टर में माननीय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यह प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो कि देश के लिये हिमायती प्रस्ताव है। सेन्ट्रल गृह मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पार्लियामेंट में बोलते वक्त कहा था कि यह कम्युनिस्ट पार्टी का यह प्रस्ताव है बहुत ही बोल्ड और करेजिएस है। इस से बढ़ कर आप क्या चाहते हैं? तो मैं ठाकुर साहब से अपील करूंगा कि आप गलत रास्ते पर चलने की कोशिश न करें।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पुलिस ने बिलकुल नादिरशाही कायम कर रखी है। हमारे साथी पञ्बर राम जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं, म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, हमारे पुराने साथी राजनार्थसिंह जो पुराने क्रांतिकारी हैं, जिन्हें डबल कालापानी की सजा हुई थी, हमारे साथी शिवमूर्ति सिंह जो सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से सदस्यों को ले कर अभी-अभी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुये और जन्नतखां जो एक ऐक्टिव कार्यकर्त्ता है, इनका वहां से निष्कासन कर दिया। जब हम मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि इनके निष्कासन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। सीधे गाजीपुर की पुलिस यहां रिपोर्ट भेजती है और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी गवर्नर से दस्तखत करा के निष्काशन का आदेश जारी करा देते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि मंत्री जी को पता भी नहीं होता। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सदन में स्पष्ट कहें कि क्यों उनको धोखा दिया गया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह मेरा विभाग नहीं है।

श्री रघुवीर—

पुलिस विभाग आप ही का तो है। कासिमाबाद के थानाध्यक्ष के खिलाफ १२ हजार जनता का प्रदर्शन हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और विनोबा भावे के दल के लोग थे। आगे हर पार्टी का झंडा और लीडर थे, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने जब यह प्रश्न किया कि क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के एक थाना कासिमाबाद के अध्यक्ष के खिलाफ १६ जनवरी, १९६४ को परशुराम सिंह नामक एक व्यक्ति भूख हड़ताल करने वाले थे और उसी दिन थाने के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियों ने प्रदर्शन किया था? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें थीं? तो उसका जवाब मुझे यह मिला—जी हां, परशुराम सिंह नामक एक व्यक्ति थानाध्यक्ष, कासिमाबाद, जिला गाजीपुर के विरुद्ध १६ जनवरी, १९६४ को भूख हड़ताल करने वाले थे, किन्तु उन्ह ने हड़ताल नहीं की। उस तिथि को केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मीटिंग की जिसमें थानाध्यक्ष के तुरन्त स्थानान्तरण के लिये मांग थी। मैं चैलेंज करता हूं। मंत्री जी, आप फिर से जांच कराइये। अगर कांग्रेस पार्टी, विनोबा भावे के दल के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिल कर वह प्रदर्शन न किया हो तो मैं सदन में इस्तीफा दे दूंगा। आपके कर्मचारी क्यों आप को धोखा दे रहे हैं? आप मौके पर जा कर देखिये और जो मुनासिब सजा समझिये वह दीजिये उन गलत जवाब देने वालों को।

दूसरी बात दिलदार नगर थाने के बारे में कहना चाहता हूं। गहमर थाने के ऊपर भी प्रदर्शन हुआ और इसलिये हुआ कि वहां का थानेदार गंगा नदी, कर्मनाशा नदी से स्मगल करके जो चावल बिहार भेजा जाता था उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वहां की जनता उठ खड़ी हुई, लेकिन वहां के थानेदार और एस० पी० ने अपने नंगे नाच को दबाने के लिये इन साथियों का निष्काशन किया। आज तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर कौन-कौन से चार्ज लगाये गये हैं जो उनको निष्कासित किया गया है।

मान्यवर, मुहम्मदाबाद थाने के थानेदार ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से मिल कर २२ हजार रुपया चावल का स्मगलिंग करने वालों से ले कर १४ हजार एस० पी० को दिये और ८ हजार

[श्री रघुवीर]

स्वयं खा गया।" सत्यनारायण सिंह सिपाही ने थानेदार से कहा कि हम ट्रक पकड़कर लाते हैं, इसलिये हमारा भी हिस्सा होना चाहिये, लेकिन थानेदार ने कहा कि नहीं दिया जायगा। तब उसने गाजीपुर जाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट से शिकायत की। उसको धक्का देकर निकाल दिया गया और उसको थानेदार और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मिलकर घर में १२ दिन तक छिपाये रखा। जब मैंने प्रश्न किया और मंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया तो करीमुद्दीनपुर थाने में कत्ल करवाकर उसकी लाश एक कुवें में डलवा दी गयी। उसकी लाश ताजी थी और कहा जाता है कि वह २० दिन से गायब था। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच की जाए। उसके हिस्सा मांगने पर उसका मर्डर कर दिया गया।

दूसरी बात यह है कि यहां के सेक्रेटेरियेट की बाउण्ड्री के अन्दर तृप्ति होटल है, जहां चारों तरफ आपकी यू० पी० की पुलिस पड़ी रहती है, वहां भी चोरी हो गई। इस से बढ़कर और क्या घटना हो सकती है?

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान संख्या १४ माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें सन्देह नहीं है कि जब से वर्तमान गृह मंत्री जी ने इस विभाग को संभाला है तब से इसमें सुधार हुआ है और अपराधों की संख्या में भी कमी हुई है। इस महत्वपूर्ण विभाग के लिये जो अनुदान रखा गया है वह बहुत कम है। इसमें ८० प्रतिशत तो वेतन और भत्ते में ही चला जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस को आधुनिकतम हथियारों से सज्जित किया जाय जिससे वह अवांछनीय तत्वों को दबाने में सफल हो सकें। इसमें प्रचुर मात्रा में धनराशि को व्यय करने की आवश्यकता है। प्रदेश की ७ करोड़ की आबादी को देखते हुये ७८३५४ जो पुलिस दल की संख्या है अगर इनमें चौकीदारों को भी सम्मिलित कर दिया जाय तो वह संख्या बढ़ कर १,२४,२४९ हो जाती है, यह बहुत ही कम है और इसमें वृद्धि होनी चाहिये।

श्रीमन्, अपराधों की संख्या में कमी हो। इसके लिये आवश्यकता है कि थानों की संख्या में काफी वृद्धि होनी चाहिये और थानों पर टेलीफोन और तार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि आवश्यकतानुसार जिले की पुलिस से सम्पर्क स्थापित किया जा सके और वहां से सहायता ली जा सके। तीन-चार थाने अगर मिले हों तो वहां एक जीप की व्यवस्था की जाय। अगर धन की कमी के कारण यह व्यवस्था न हो सके तो ब्लाकों की जीप को इस्तेमाल करने का अधिकार पुलिस को इमरजेंसी के समय होना चाहिये, लेकिन उस इमरजेंसी को पूरी तरह से डिफाइन किया जाना चाहिये, इमरजेंसी उसी समय मानी जाय जब कि कोई अपराध होने वाला हो और यह शंका हो कि यदि उस अपराध के स्थान पर पुलिस नहीं पहुंचती है तो अपराध हो जायेगा रुकेगा नहीं।

श्रीमन्, कांस्टेबिल का वेतन बहुत कम है। वह बढ़ना चाहिये। इसका परिणाम यह होता है कि वेतन की कमी के कारण भ्रष्टाचार में अधिक बढ़ावा होता है। पुलिस के कांस्टेबिल को रात दिन काम करना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था में ४०-७० का वेतन-क्रम बहुत कम है। वह बढ़ना चाहिये।

अपराधों की रोकथाम के लिये ग्राम सुरक्षा समितियों को संगठित किया जाना चाहिये और जहां पर संगठित हैं वहां उन्हें इफेक्टिव बनाया जाना चाहिये। मैंने पिछले वर्ष भी यह सुझाव दिया था कि इस प्रदेश में अवांछनीय तत्वों पर कंट्रोल करने के लिये एक्सटर्नमेंट के कानून को लागू किया जाना चाहिये। इस साल भी मैं सुझाव दे रहा हूं। इस राज्य के कुछ उच्च पुलिस अधिकारियों का ख्याल है कि अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। उनका ख्याल है कि उन्नाव जिले में जो अपराधों की वृद्धि है कानपुर के गुंडों के

आ जाने से हुई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उन्नाव में अपराधों की वृद्धि के लिये वही तत्व जो कि कानपुर से एक्सटर्न किया हुआ है, दोषी हो ऐसा नहीं है उन्नाव की अपनी समस्याएं हैं। वहां कुटीर उद्योगों की कमी है। बेकारी बढ़ी हुई है और वहां अनधिकृत अग्नेय अस्त्रों के कुटीर उद्योग चल रहे हैं जिनकी रोकथाम की दिशा में वहां की पुलिस इफेक्टिव नहीं है। मैंने माननीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा मेरा खयाल है कि माननीय गृह मंत्री उस दिशा में उचित कदम उठा रहे होंगे। पुलिस में भ्रष्टाचार के लिये बहुत कुछ कहा जाता है मैं इस बात के लिये अपने गृह मंत्री और गृह उप मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस दिशा में इफेक्टिव कदम उठाया है। माननीय गृह उप मंत्री ने स्थान-स्थान पर जो सरप्राइज विजिट किये हैं उसका बड़ा असर पड़ा है। गृह मंत्री से मैंने शिकायतें कीं उन पर उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के ऐसे मामले जो साल-साल भर से पड़े हुये थे उन पर एक हफ्ते के अन्दर कार्यवाही हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मैंने शिकायतें की उनमें पुलिस अफसर और सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई, लेकिन गवाहान ने हलफनामें लगा दिये। इस प्रकार के हलफनामें लगाने में जिले के पुलिस अधिकारी भी छूट दिये रहते हैं। हलफनामे लगाने और दफा सात की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब फाइल ऊपर आयी तो यहां से गृह मंत्री महोदय ने फाइल को वापस कर दिया और पुनः वह अधिकारी सस्पेंड है। मैं अपने जिले के बारे में निवेदन करूंगा कि मेरे जिले के इंटीरियर भागों में इस बात की आवश्यकता है कि नई चौकियां खोली जायं, हसनगंज तहसील में, कोटरा में, उन्नाव तहसील के पडरी कलां में और पुरवा तहसील के जबरैला गांव में चौकियों की सख्त आवश्यकता है और इससे अपराधों की रोकथाम में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा जिन ब्लाकों में थाने नहीं हैं उन ब्लाकों के केन्द्रों पर भी चौकियां खुलनी चाहिएं।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। सर्वप्रथम तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि १९५९ के बाद हमें आंकड़े क्यों नहीं दिये गये जि के ऊपर कि कल इतना शोर मचा था, उसका कारण था। वह कारण क्या था, १९५७ से ६३ तक के जुर्मों के आंकड़े में पेश करता हूं। उन्हीं से मालूम हो जायगा कि क्यों नहीं वह आंकड़े दिये जा रहे थे। घृणित अपराधों की संख्या जो पुलिस की तरफ से जांच करके कोर्टस् में भेजे गये, मैं समझता हूं कि वही पूरे अपराध हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के बारे में मंत्री जी से मैंने पूछा था कि ये आंकड़े किस प्रकार के हैं, उस पर कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिये उन्हीं के आधार पर मैं यह समझता हूं कि यह वही आंकड़े हैं कि जिनके केस पुलिस ने अदालत में दिये। सन् १९५७ में इनकी संख्या ८,३६४ थी, १९५८ में ९,२७१, १९५९ में ८,९९३, १९६० में २०,६१७, १९६१ में ३७,६१३, १९६२ में ४२,३८० और १९६३ में ४७,६३२। यह इतने केसेज हुये। अब आप देखें कि १९६० के बाद एकदम से तादाद फ्लेयर अप की है। इतने अपराध बढ़े हैं कि जिनको इमेजिन नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि जिस कारण आंकड़े नहीं दिये जा रहे थे। (व्यवधान) अब आप बतलाइयेगा जो कारण हो, मगर मेरी समझ में तो यही कारण आ रहा है। एक चीज और है। बड़े जोर के साथ अभी यह कहा गया। कई लोगों ने कहा, मिश्रा जी ने तो बड़े ही जोर से कहा कि यह जो पेंशन के बारे में आश्वासन दिया गया है बड़ी श्लाध्य वस्तु है। वास्तव में श्लाध्य है। परन्तु है क्या इसके लिये मैं यही कह सकता हूं कि जैसे जारज पुत्र को अपनी गोद में खिलाते हुये कोई व्यक्ति अपने को पिता अनुभव करे, क्योंकि आप देखें १९६१-६२ के अनुदान को उपस्थित करते समय तत्कालीन गृह मंत्री, चौधरी चरणसिंह ने अपने वक्तव्य में कहा था—

"वैसे जिस वक्त वह आदमी मरता है उस वक्त जो तनख्वाह उसको मिलती होगी वह तनख्वाह पूर्ववत् उसको यह मानकर मिलती रहेगी कि उसका पिता जिन्दा है। यह ५८ वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

की उम्र तक मिलेगी। जब ५८ वर्ष की उम्र हो जाय उसके बाद पेंशन उसके रूल्स के मुताबिक मिलेगी। यानी जो तनख्वाह ५८ वर्ष की उम्र में पाता उसके हिसाब से जो पेंशन होती वह उसको मिलेगी।" यह चीज पुरानी है, लेकिन इसको ले कर अपने हाथ से अपने गले में फूल माला पहन ली गई।

श्रीमान् जी, मैंने आश्वासन समिति का १८वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पुलिस विभाग के आश्वासन जो हैं उनमें ६०.८ प्रतिशत मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है।

जितने आश्वासन होते हैं, मैं यह कहता हूं कि वे कितनी छानबीन के बाद आते हैं और उनमें आप यह समझिये कि ६०.८ प्रतिशत में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। जो असली केसेज होते होंगे उनमें कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता होगा, यह आप अपने मस्तिष्क से सोच सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ थोड़ी-सी मिसाल और आपके सामने रखना चाहता हूं जिनके बारे में बड़ा शोर के साथ कहा गया कि पुलिस विभाग में कोई बुरी बात नहीं है। कहा गया है कि इतनी खूबियां उसमें हैं जिनका बयान नहीं किया जा सकता। मिश्र जी ने बहुत जोर से कहा और उस ढंग से सोचने वाले भाइयों से मैं कहूंगा कि वह अपना चश्मा उतार कर देखें तो असली शक्ल उनके सामने आयेगी कि हम जो सोचते हैं वह सही है या गलत। जो चीज हम सही समझते हैं उसकी आलोचना नहीं करते हैं। जहां पर हमको गलती दिखाई देती है उसकी ही हम आलोचना करते हैं। पी० ए० सी० अच्छा काम करती है। देश की रक्षा करती है, डाकुओं को पकड़ती है। उसकी तारीफ हम जरूर करेंगे। सी० आई० डी० के आदमी यदि अच्छा काम करते हैं, गलत लोगों को पकड़ते हैं तो उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन वे भी अपनी कांफिडेन्शियल रिपोर्ट में चाहे कुछ न लिखें, लेकिन मंत्री जी के लिये कुछ लिख ही देते हैं, लेकिन अगर कोई दरोगा किसी डाकू को पकड़ता है और उस से कहा जाय कि तुम इसको छोड़ दो तो इसकी हम तारीफ हर्गिज नहीं करेंगे। करेन्ट अखबार में निकला है कि माननीय गृह मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो गयी है, क्योंकि उन्होंने किसी दरोगा को सस्पेंड किया था। एक तो उसने डाकू को पकड़ा, लेकिन उस से कहा जाता है कि तुमने डाकू क्यों पकड़ा। दरोगा को वह डाकू छोड़ देना चाहिये। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

बड़े जोर के साथ यह कहा जाता है कि सुरक्षा के बड़े-बड़े काम किये जा रहे हैं। मैं छोटी-सी लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपया उत्तर दें कि उन्होंने इन मामलों में क्या किया? जब से चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हो गया है तब से हमारे देश के अन्दर जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उसके लिये और भी खतरा उत्पन्न हो गया है। उसके लिये प्रमाण है। हमारे प्रदेश में प्रतिदिन ऐसी घटनायें हो रही हैं। रोजाना इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कि उकसाने वाली बातें और भड़काने वाली बातें कुछ खास तरह से लोग न करते हों। मगर सरकार उसके लिये क्या कर रही है? जो ये घटनायें हो रही हैं क्या किसी घटना को उन्होंने पकड़ा कि कौन इनको कर रहा है, किस कारण से ये हो रही है। मुरादाबाद में एक पोस्टर चिपकाया गया जिसके लिये यहां सदन में भी प्रश्न किये गये, लेकिन उसके बारे में यह नहीं समझ सके कि वह पोस्टर किसने छपवाया और किस कारण से उसको वहां चिपकाया और उस प्रकार की जो उसकी भाषा इस्तेमाल की गई थी वह किस लिये इस्तेमाल की गयी थी। हमारी सरकार को कोई पता अब तक नहीं चला। खोरी से उर्दू का एक पत्र निकलता है "उभरती किरणें"। यदि आप इसके लेख को पढ़ने की कृपा करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसलिये यह निकलता है और इसका काम क्या है। एक विशेष जाति के लोगों को उकसाने के लिये, उनके अन्दर यह भावना पैदा करने के लिये कि इस देश में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम सेकेन्ड क्लास के

नागरिक यहां पर समझे जाते हो। फैजाबाद में एक संसद् सदस्य ने वक्तव्य दिया और उसमें भारतवर्ष के खिलाफ बातें कही गई थीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे पुलिस मंत्री रहे या नहीं और हम भी यहां रहें या नहीं, लेकिन अगर देश नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। तो जो सज्जन वक्तव्य दे रहे थे उनको आपने पकड़ा ?

५ मार्च और ९ मार्च को लखनऊ और कानपुर में जो बेलचेधारी खाकसार थे, जिन्होंने देश के बटवारे में पूरा जोर लगवाया था और बेलचे से देश की मिट्टी उखाड़कर फेंकी थी, आज फिर देश का बटवारा हो जाने के बाद भी सर उठा रहे हैं। उनके बारे में क्या किया गया ? (लाल बत्ती होने पर) श्रीमान्, जी, ५ मिनट और समय दे दिया जाय, क्योंकि मुझे आपने ही १५ मिनट दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके १० मिनट हो चुके। २ मिनट और हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

खैर, देहरादून में जो बम विस्फोट हुआ उस पर क्या पता लगा ? लखनऊ के अन्दर ९ मार्च वैगन में अग्निकांड हुआ और लाखों रुपयों का सरकारी सामान जल गया उसके बारे में क्या पता लगा ? आज भी तमाम जगह-जगह घूम-घूम कर मीलाद और वाज के नाम पर सभायें की जाती हैं और गांवों में यह कहा जाता है कि कलकत्ते में मुसलमानों को मार डाला गया, सफाई कर दी गयी ? जो वक्तव्य पाकिस्तानी अखबारों में निकलते हैं वही वक्तव्य यहां दोहराये जाते हैं और कलकत्ते के मुसलमानों के नाम पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। उनमें एकाध जगह तो पैसा इकट्ठा करने वाले लोग घूम रहे हैं और इस नाम पर चन्दा वसूल कर रहे हैं। पता नहीं उस चन्दे से वह क्या करेंगे, भगवान जाने।

जिला सीतापुर में एक महौली थाना है। हां, कालीपाखर नामक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। वहां के दरोगा ने जाकर उनको पकड़ लिया। मगर एक व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पर पहुंच रखता था यहां टाप पर आया और यहां से उस मामूली मामले की जांच के लिये डी० आई० जी० साहब गये। बात सही थी, लेकिन जब उसके खिलाफ कुछ नहीं निकला तो उस दरोगा का ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह से रसूलपना ग्राम, सिधौली थाने जिला सीतापुर में हैं। वहां एक आदमी को गोली मार दी गयी पर जो उसकी रिपोर्ट हुई और तफ्तीश शुरू हुई तो वही साहब जिन्होंने रिपोर्ट की थी यहां आये और यहां लखनऊ में फाइल मंगाकर रख ली गयी और पता नहीं यहां से क्या जांच उस सम्बन्ध में हो रही है।

मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि जिस समय यह गृह विभाग मंत्री जी ने लिया तो उस समय कहा था कि कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन गृह विभाग में करने हैं। तो सबसे पहले क्रांतिकारी परिवर्तन यह हुआ कि पहले कोई भी गृह मंत्री रोडवेज की बस नहीं चेक करते थे हमारे मंत्रीजी ने रोडवेज की तीन बसें जौनपुर में चेक की हैं और भी दोही के रशीद नामक कंडक्टर को गुस्से में आकर झापड़ भी मार दिया था। दूसरा क्या सुधार हुआ कि अनुशासन भंग होने लगा। मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि अगर पुलिस दरोगा से बात करनी होगी तो बीच में डी० आई० जी० और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को काट दिया जायगा और अगर सिलसिला जुड़ गया तो उसको सीधे बुलाकर बातचीत की जाती है। जब यह अनुशासन पुलिस और फौज जैसी फोर्सेज में भंग किया जाता है तो उसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, उसका नतीजा सोचा भी नहीं जा सकता। आप सोचिये कि किस तरह से पुलिस विभाग को डिमारलाइज किया जा रहा है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

सब बातें आपको विश्वस्त सूत्र से ही मालूम हुई हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह ---

जी हां, और मैं एकान्त में आपको नाम बताऊंगा तो आप फौरन कह देंगे कि बिलकुल सही बात है ।

अब एकाध बात, हमारे मंत्री जी अंग्रेजों के जमाने की शिकायत बहुत करते हैं, यद्यपि खुद उसी पर बैठे हुये हैं और एक इंच भी नहीं खिसके हैं । २ रुपये जो कपड़े का भत्ता उनको पहले जब २ आना गज आम छाप मारकीन मिलती दिया जाता था आज भी वही दो रुपये माहवार भत्ता है । अब उसमें कौनसा कपड़ा वे खरीदकर बनवायेंगे । इसके अलावा जो पुलिस के कर्मचारी सइन में लगे हुये हैं इनका १०दिन तक १ रुपया रोज और उसके बाद ६०दिन तक १२ आना रोज और उसके बाद कुछ नहीं । अब अगर असेम्बली ७० दिन से ज्यादा चल गयी तो भत्ता बन्द, कहां से भोजन करेंगे बेचारे । अगर इनको पेट भर भी नहीं दिया जायगा तो भ्रष्टाचार नहीं, तो करेंगे क्या ? इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त ।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो पुलिस का अनुदान उपस्थित किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जैसे अभी एक मित्र ने आवाज कसी कि वह तो आप करेंगे ही मैं अपने मित्रों को बतलाना चाहता हूं आज सुबह से यहां जितने भी भाषण हुये हैं वह सब मैंने बड़े गौर से सुने और मैं एक मिनट के लिये भी इस असेम्बली के बाहर नहीं गया ताकि कोई बात छूट न जाय । मैं अपने मंत्री जी को बधाई देता हूं इस बात के लिये खास कर कि एक भी प्वाइंट ऐसा नहीं कहा गया पुलिस के क्रिटिसिज्म में कि जिसका जवाब दिया जा सके । मैंने पन्ने के पन्ने काले कर डाले यह सोचकर कि शायद कोई भी कोई बात कह दे, लेकिन इस तरह की एक बात भी नहीं कही गयी कि जो कामन ढंग की न हो । तब आप किस तरह से कहते हैं कि पुलिस के बजट में कटौती कर दी जाय ? हमने यह तसलीम किया था कि पुलिस के कांस्टेबिल्स की तनख्वाह कम है । यह भी ठीक है कि पुलिस पर्सनल्स की संख्या आबादी के हिसाब से कम है । यह भी ठीक है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, डी० आई० जी० और आई० जी० अपनी-अपनी जगह पर ठीक हैं । यह बात जरूर कही गयी कि निम्न पुलिस कर्मचारी कहीं-कहीं इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि जिसका बुरा असर पड़ता है । आप सोचिये कि ७८,००० आदमियों का यह फोर्स है । उसमें १०, २०, ५० आदमी जरूर खराब होंगे और जैसा गृह मंत्री जी ने खुद ही कहा है, वह उसे ठीक कर रहे हैं । उनकी खराबियों के कारण ही आपने तमाम लिस्टें पढ़ीं, आपने बताया कि यहां उसको सस्पेंड किया गया, वहां सस्पेंड किया गया, तो वह सब ठीक है और उनके लिये जो जरूरी है कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त एक खास शिकायत है जिसे अभी दो वक्ताओं ने कहा कि एक विशेष जाति है, एक वर्ग है, जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं है ।

जहां तक पुलिस का ताल्लुक है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है । और मैं इसे भी नहीं मानता कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ न हो, लेकिन अगर इत्तफाक से न हो तो अब आप यह बात उनके नोटिस में ले आये हैं । अब देखिये कि वह इस पर कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं । जहां तक सुरक्षा का ताल्लुक है, मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी और कुंवर श्रीपालसिंह जी को उसकी चिन्ता है उस से कम चिन्ता माननीय हरगोविन्दसिंह जी को न होगी ।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि सरकार ने स्वयं ही पुलिस को डिमारेलाइज कर रखा है । मैं कोई उनके सामने कंफेशन नहीं देना चाहता । मुमकिन है कि कहीं सही बात न सुनी जाती हो, लेकिन उसके लिये माननीय मंत्री जी को बात मालूम पड़ने पर सही कार्यवाही करने म कोई संकोच न होगा । और मैं इस बात का समर्थक हूं कि सही बातें

बतलानी चाहिये । जब तक हम पुलिस कांस्टेबिल को और अधिकारियों को सही बातें नहीं बतलायेंगे, उनको अपना विश्वास नहीं देंगे तब तक वे अच्छे नहीं होंगे न अच्छे काम ही कर सकते हैं । जिस अफसर या कर्मचारी की प्रेस्टिज कायम न रहेगी, ऊंची न रहेगी वह कभी एफीशियेन्सी के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग ही हल्ला मचाइये कि पुलिस राज हो गया, पुलिस राज हो गया तो यह कहां तक ठीक होगा । क्रिटिसिज्म करते समय जो बात भी कही जाती है उस समय उसके क्या कांसीक्वेंसेज होंगे यह नहीं सोचा जाता । अभी एक मित्र ने सुझाव दिया कि धारा १५१ को पुलिस कांस्टेबिल और सब-इंस्पेक्टर्स के अधिकार से निकाल दिया जाय और पुलिस कप्तान से अनुमति ले लेने के बाद ही उसमें कोई कार्यवाही की जाय। मैं नहीं जानता कि किस तरह से यह बात कह दी जाती है । उन्होंने शायद यह समझा ही नहीं कि धारा १५१ में क्या लिखा है। यह धारा उस समय काम में लायी जाती है कि जब इमीडियेट ऐक्शन लेने की जरूरत हो,उसके बिना रोका न जा सकता हो,तो उस समय इस धारा का उपयोग किया जाता है । अगर वह पुलिस सुपरिंटेंडेन्ट के बंगले पर जा कर उनसे अनुमति ले और फिर ऐक्शन ले तो उसके बाद, इतना समय मिल जाने पर तो १५१ में कोई कार्यवाही करने की गुंजायश ही नहीं रह जाती । यह मामूली बातें है । यहां यह रोज का किस्सा है कि गृह मंत्री जी ने डकैतों को छुड़ा दिया । रोज जुडीशियल इंक्वायरी कराने की बात यहां की जाती है । अगर किसी को इस तरह से छोड़ दिया गया ह तो उसके लिये जुडिशियरी मौजूद है । वह मिनिस्टर के हुक्म को देख सकती है । आप उसको प्रोसीक्यूट कर सकते हैं ? फौजदारी के मुकदमें में किसी तरह की कोर्टफीस भी नहीं लगती । मैं कहता हूं कि यह डकैतों को छुड़वा देने की बात बिलकुल रिपल्सिव है । कोई जुर्म जब तक साबित नहीं होता, उसके पहले ही आप किसी आदमी को डकैत बनाना शुरु कर दें, यह कहां तक ठीक है ? इसी चार्ज पर तो महज कार्यवाही नहीं की जा सकती । जहां तक १५९ की कार्यवाही का ताल्लुक है पुलिस अपने आप उस पर कार्यवाही नहीं कर सकती । वह अपने आप नहीं छोड़ सकती । वह मैजिस्ट्रेट के यहां केस जाता है और मैजिस्ट्रेट जब कंविंस्ड हो जाता है कि इसमें काफी मसाला नहीं है तो मुल्जिम छोड़ दिया जाता है। तो यह कहना कि १५९ की रिपोर्ट लिखी गयी और मुल्जिम को पुलिस ने छोड़ दिया यह गलत है । अगर सारी की सारी स्टेट बेईमान है तो पुलिस भी होगी । अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम सब को संतोष ही करना होगा । अगर हम ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना चाहते हैं, अगर पुलिस के वर्ताव को हम जनता के प्रति ठीक करना चाहते हैं तो जैसा आपने कहा है, उनकी तनख्वाह बढ़ाइये और उनको सम्मान का स्थान दिलवाइये । कितना ही बुरा अधिकारी होगा अगर आप उसको अच्छा कहेंगे तो उसकी आत्मा उसको अच्छा बनने के लिये प्रेरणा देगी, लेकिन हमने तो यहां तक सुना कि एक साहब ने यहां तक कह दिया कि डी० एस० पी० से आई० जी० तक सब करप्ट है, नीचे के कर्मचारी ठीक है । यहां तो लाइसेंस है, जिसकी जो समझ में आता है वह कह देता है। आप समझ नहीं सकते कि ऐसी बातों का क्या प्रभाव होता है और पुलिस वालों को हमारे और आपके प्रति कैसे बुरे खयालात है । वह सबको बुरा समझते हैं । वह कहते है कि इनमें इतनी आनेस्टी आफ परपज नहीं है कि हमको क्रिटिसाइज कर सके । माधो प्रसाद जी ने कहा कि एक मंत्री जी ने किसी को एक सार्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वह आदमी अदालत से छूट चुका है, उस पर जुर्म साबित नहीं हो सका । जजमेन्ट में यह कहीं नहीं है कि उसने ऐसा काम किया जिससे वह कहीं एम्पलाय नहीं किया जा सकता । तो ये छोटी-छोटी बाते हैं । ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक ह्यूमन टच की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस स्वयं शासन नहीं कर सकती । मंत्री इसीलिये ऊपर बैठाये गये है कि वह एक ह्यूमन टच दें, इन्सान को इन्सान कहें । मुमकिन हो सकता है कि हमारे अफसरान प्रेस्टिज के मातहत जो कोई काम कर चुके है उसी पर अड़े रहे, इसलिये मंत्री जी को बैठाया गया है कि वह यह देखें कि कोई इंसानियत के विरुद्ध कार्य न हो ।

यह कोई चार्ज नहीं है कि पुलिस में भ्रष्टाचार है । यह भी कहा गया है कि पुलिस में ही या सिविल सप्लाईज डिपार्टमेन्ट में, पी०डब्लू०डी० में सब से करप्शन है । तो करप्शन-करप्शन

(श्री बृजभूषणशरण)

चिल्लाना तो हमारा वे आफ लाइन बन गया है, लेकिन जब हमारा अपना काम पड़ता है तो हम सब हद और सीमाएं भूल जाते है । जिस वक्त वह बात निकल जाती है और माननीय कमलासिंह का किस्सा आता है तब कहा जाता है कि गलत काम करवाते हैं । इसलिये सब लोग एक ही स्टाक के मालूम पड़ते हैं । हजारों वर्ष इस भ्रष्टाचार को हो गये । थोड़ा सा अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में बना था । अब हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव कर रहे हैं । क्या पहले किसी मैजिस्ट्रेट या पुलिस को कोई तनख्वाह दी जाती थी ? केवल उनकी सेवाओं के लिये कुछ इनाका दे दिया जाता था । आजकल पुलिस में कौन जाता है ? हमारे और आपके बच्चे ही तो जाते हैं, लेकिन जिस दिन वह लाल साफा पहन लेता है, उसी दिन से आप उसे बेईमान कहना शुरू कर देते हैं । अगर उनमें कोई खराबी है तो उस को दूर करनी होगी । इसके साथ ही साथ जो चार्ज लगाये जाते हैं, वह स्पेसिफिक होने चाहिये । अगर आप यह कहते कि फलां आदमी के बारे में हमने माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था और उन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया , तब तो मैं समझता कि आपने चार्ज ठीक लगाये, लेकिन आपने जो जनरल कह दिया कि साहब उस जिले में बहुत डाके पड़ते हैं । उसके लिये तो बहुत सी बातें हो सकतीं है, एकोनामिक कंडीशन्स वहां की खराब हो सकती हैं ।

माननीय रघुवीर राम जी ने कह दिया कि फलां थानाध्यक्ष के सामने हमने और कांग्रेस-वालों ने मिल कर प्रदर्शन किया । आपको बराहरास्त काम करना चाहिये था । आप पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जाते, फिर डी० आई० जी० के पास जाते फिर हरगोविन्दसिंह जी के पास आते, अगर फिर भी आपका काम न होता तो आप शिकायत कर सकते थे ।

श्री रघुवीर—

प्रदर्शन का रास्ता तो महात्मा गांधी ने दिखाया था, इसको आप क्यों ठुकराते हैं ।

श्री बृजभूषण शरण—

यह बात सही है, लेकिन उन्होंने दुराग्रह के बारे में भी तो बताया था । सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ किया जाता था जबकि हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती थी, लेकिन आज डेमोक्रेसी है। हर पांचवें साल इलेक्शन आता है, आप गवर्नमेन्ट को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से उसके खिलाफ एजीटेशन करते हैं तो डेमोक्रेसी की जड़ों को ही हिलाते हैं और ऐसी हालत पैदा करते हैं जिससे कानून तोड़ने पर लोग आमादा होते हैं और ऐसे समय में गुण्डे लोग फायदा उठाते हैं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि देहरादून में विस्फोट हुआ उसका क्या पता लगाया । वे वैगन्स तो साउथ इंडिया से आयीं थीं, मालूम नहीं उसमें क्या चीज़ थी । मिलिटरी वाले उसका इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं । हो सकता है कि उसके बारे में सुरक्षा की दृष्टि से न बताया जा सके । अगर देहरादून के किसी आदमी का काम होता तब तो देहरादून में पता लगाया जाता और अगर पता न लगता तो माननीय मंत्री जी की निष्क्रियता होती । मुमकिन है सुरक्षा की दृष्टि से यह भी न बताया जा सके कि उसमें क्या-क्या चीजें थीं ।

लखनऊ स्टेशन की आग का भी जिक्र किया गया । क्या उसके यह माने हैं कि वहां सैबोटेज हुआ ? वह तो वह शेड था जहां टूटी हुई गाड़ियां खड़ी रहती है जो मरम्मत के लिये आती है उनमें आग लग गयी । कोई उसमें मिलिटरी इम्पार्टेंस का मामला तो नहीं था जो सैबोटेज समझा जाता ।

इन शब्दों के साथ में माननीय गृह मंत्री जी व उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई देता हूं कि उनका काम ऐसा रहा कि माननीय सदस्य उनके खिलाफ कुछ न कह सके । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता ।

श्री खयालीराम—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि बड़ी मेहनत के बाद आपने पुलिस विभाग पर जो बहस चल रही है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसका अपने प्रदेश की लगभग साढ़े ७ करोड़ जनता की सुरक्षा से संबंध है। कल मैंने माननीय गृह मंत्री जी की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने अमेरिका और लन्दन में जो ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं उससे हिन्दुस्तान में हो रहे क्राइम्स से तुलना की। अमेरिका में ६ प्रतिशत और लन्दन में ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष क्राइम्स में वृद्धि होती है, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका और लन्दन जहां के अधिकांश लोग पड़े लिखे होते हैं, वहां पर कोई जुर्म छिपाया नहीं जा सकता और हमारे प्रदेश में जहां की जनता अशिक्षित है, देहातों के अन्दर अक्सर मैं देखता हूं कि ९९ प्रतिशत क्राइम्स छिपाये जाते हैं और एक प्रतिशत भी थाने में दर्ज नहीं होते। तो माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि जहां वे क्राइम्स की वृद्धि में उनसे यहां की तुलना करते हैं वहां उन देशों के पुलिस के रवैये से भी यहां की पुलिस के रवैये की तुलना करें। आज भी यहां की पुलिस द्वारा ९९ प्रतिशत से ज्यादा जुर्म छिपाये जाते हैं।

श्रीमन्, मुझे माननीय जे० पी० मिश्र की बातों को सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने इस सदन के विरोधी पक्ष के सदस्यों के ऊपर यह लांछन लगाया कि उनको कानपुर के पूंजीपतियों ने खरीद लिया है। इस अवसर पर मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आता है।

"बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न दीखा कोय,
जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय।"

तो वे अपनी तरफ देखें। क्या यह बात सही नहीं है कि जिस वक्त सुचेताजी और श्री कमलापति त्रिपाठी के बीच मुख्य मंत्री पद के लिये चुनाव हो रहा था तो २० सितम्बर की शाम को श्री कमलापति त्रिपाठी को समर्थन करने की प्रतिज्ञा १८६ कांग्रेसी सदस्यों ने की थी और उसी दिन शाम को कानपुर के एक पूंजीपति से १४ लाख रुपये लेकर, बहुत से कांग्रेसी सदस्यों के वोट खरीद कर सुचेता जी को मुख्य मंत्री बना दिया गया? क्या यह बात सही नहीं हो सकती है? मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक इनक्वायरी कमेटी बैठायी जाय जो उसकी इनक्वायरी करे और जो भी सदस्य इस मामले में दोषी पाये जायं उन्हें सजा दी जाय। इस असेम्बली के मेम्बर लगभग २ लाख जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अगर इस सदन के सदस्य इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते रहें तो चाहे प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर करने की यहां जितनी चर्चा की जाय, वह कतई नहीं मिट सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इसकी इनक्वायरी के लिये एक आयोग बैठावें। आज पुलिस विभाग पर जो बहस चल रही है, उस विभाग में इतना पक्षपात हुआ है कि हर जिले के पुलिस अधिकारियों व थाना इंचार्जों की ईमानदारी के प्रमाणपत्र रोके गये हैं। इस प्रदेश के अनेकों ऐसे थाना इंचार्ज हैं जिनकी ईमानदारी के प्रमाणपत्र सन् १९६१-६२ और ६३ के रोके गये हैं। चूंकि समय कम है इसलिये उनकी पूरी व्याख्या तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन दो चार नाम मैं जरूर बतलाऊंगा। श्री बी० एन० मिश्रा थाना इंचार्ज जो शआदतगंज में रहते हैं, उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट रोका गया है। श्री बलराम सक्सेना इंचार्ज थाना, बधौन, जिला हरदोई, उनकी ईमानदारी का प्रमाणपत्र लगातार तीन साल से रोका जा रहा है। कुन्दनसिंह का प्रमाणपत्र रोका गया है। और भी २०–२५ ऐसे थाना इंचार्ज हैं जिनकी ईमानदारी के प्रमाण-पत्र रोके गये हैं, लेकिन उनको न तो रिवर्ट किया गया और न उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है। बाराबंकी में एक हरिजन

(श्री खयालीराम)

थाना इंचार्ज श्री घासीराम थे मोहम्मदपुर थाने का उसकी ईमानदारी का प्रमाणपत्र एल० के० पी० अग्रवाल, श्री डी० आर० अग्रवाल ने तस्दीक किया और उनके बदलने के बाद जो दूसरे एस० पी० आये उन्होंने रोक दिया, इसलिये कि वह हरिजन था। यह अवैधानिक भी है और उस थाना इनचार्ज को रिवर्ट कर दिया और बाराबंकी कोतवाली में सेकेन्ड अफसर बनाया गया। उसने एम० सी० दिया और उसके बाद उसको सस्पेन्ड कर दिया। यह वातावरण अच्छा नहीं है।

जहां तक पुलिस के भ्रष्टाचार का संबंध है इस समय डी० आई० आर० लागू है, घबड़ाता हूं पुलिस अधिकारियों की शिकायत मैंने इसी सदन में १९६० में की थी और वही बात हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरणसिंह ने कही जब विरोधी पार्टी की ओर से प्रश्न किए गये जिसमें उन्होंने कहा कि लखनऊ के एस० एस० पी० को इसलिये सस्पेन्ड किया, क्योंकि वह शाहजहांपुर में थाने बेचते हैं। अगर यही बात मैं कहता तो मुझे फंसाने की धमकी दी जाती। अतः गृह मंत्री होने के नाते आपसे निवेदन है कि पुलिस की बुराइयों को दूर करें। इसी जनवरी में बारा बंकी कोतवाली के अन्तर्गत एक आदमी की हत्या की गई, शरीफाबाद जगह का नाम है, महादेव कुरमी की हत्या की गई। ४ भाई थे, अच्छे खाते पीते थे। दो भाइयों को बुलाकर कोत वाली में हिरासत में रखा गया, एक भाई को प्रधान के यहां हिरासत में रखा और जब तक १,५०० रु० नहीं ले लिये जो डाकखाने में जमा थे तब तक नहीं छोड़ा। मैं चाहूंगा इसकी सी० आई० डी० से जांच करायें। आपके दर्शन भी इतने दुर्लभ हैं कि शायद किसी गृह मंत्री के इतने नहीं रहे। एक वाकया गोसाईगंज थाने में हुआ, छेदा नाम का आदमी डाके में निर्दोष फंसा दिया गया जब कि उसका कोई रिकार्ड खराब नहीं था, जनता को कोई शिकायत नहीं थी, महज़ पुलिस ने इसलिये फंसा दिया कि उससे झूठी गवाही दिलाना चाहते थे। उस नाम का आदमी दूसरा है जो बाराबंकी में है, लेकिन उसने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया था, इसलिये फंसाया गया। मंत्री जी से कहा तो कहते हैं बात समझ में नहीं आती। उसमें २३ गवाह थे, एक ने भी उसकी शिनाख्त नहीं की और शिनाख्त के बाद भी ४ दिन जेल में बन्द रखा, १६९ की रिपोर्ट अब तक नहीं दीगई। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं मंत्री जी पुलिस विभाग की बुराइयों को दूर करेंगे।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ा दुःख हुआ जब कि मैंने भाई श्रीपालसिंह जी के वे शब्द अभी-अभी सुने जिसमें उन्होंने कहा कि आज मीलाद होता है और बहकाया जाता है। आज मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि भारत का कान्सटीट्यूशन सेक्युलर है और जो भी भारत में पैदा होता है आज जातिपांति के नाम पर उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। मैं अपने गृह मंत्री और पुलिस को भी बड़ी बधाई देती हूं कि उन्होंने उन फिरकापरस्तों की उस साजिश को, जो चाहते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, उसका बदला लिया जाय, नहीं उभरने दिया, लेकिन पाकिस्तान एक मजहब के लिये और एक जाति के लिये बनाया गया था। हिन्दुस्तान में जो भी पैदा हुआ है उसको बराबर का हक हासिल है। जो पाकिस्तान का बदला लेना चाहते थे हमारे प्रदेश में पुलिस ने और हमारे गृहमंत्री ने उनकी साजिश को पूरा-पूरा असफल कर दिया आज उस पर मैं बधाई दिए बगैर नहीं रहूंगी। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहती हूं वह यह है कि इस हाउस में पुलिस का बजट जितना बड़ा इस साल आया इससे पहले कभी पेश नहीं हुआ। ९१ लाख रुपये का इजाफा है और पुलिस के बजट में इजाफे का होना सिविलाइज्ड मुल्कों में कुछ अच्छी बात नहीं समझी जाती। बहरहाल पुलिस की तनख्वाहों को भी बढ़ाया गया और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, लेकिन अभी करप्शन में कमी नहीं हुई है। हमारे कुछ अन-सोशल एलीमेन्ट्स का ताल्लुक पुलिस से है। वे बहुत ही नाजायज चीजे हैं जो हमारे प्रदेश में हो रही हैं। बहुत से स्थानों पर पुलिस के ताल्लुक से कच्ची शराब बनाई जा रही है एक तरफ तो वे गवर्नमेन्ट की ड्यूटी को छिपाते हैं और दूसरी तरफ वे लोगों की सेहत खराब करते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे काम करने वालों को सख्त सजा देंगे ?

जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, पुलिस में जितने ऊंचे अफसर हैं उनमें तो कोई खराबी नहीं है। वे अपने फरायजों का पूरी तरह से अन्जाम दे रहे हैं पर सिपाहियों की हालत ठीक नहीं है। वे रात को अपने एरिया में जुआ कराते हैं। उनकी अखलाकी हालत खराब है। उनको तालीम देनी चाहिए। मेरी तो राय में उनके कैरेक्टर को सुधारने के लिये एक कमीशन मुकर्रर होना चाहिये। वह कमीशन इस बात की जांच करे कि पुलिस वालों के कैरेक्टर में, उनके चरित्र में क्या क्या खराबियां है। और क्यों ?

जहां तक डकैती का सवाल है इसमें हमारी पुलिस बहुत कामयाब हुई है। जैसा कि गृह मंत्री जी ने फरमाया कि "चम्बल घाटी में डकैती करीब करीब खत्म हो गयी है।" पर मैं माननीय मंत्री से कहूंगी कि मामूली चोरियों जिनमें बरतन वगैरह उठ जाते हैं का पता नहीं चल पाता। उनको ढूंढने में हमारी पुलिस नाकामयाब होती है। यह ठीक नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगी कि हमारे यहां रामपुर फाइनेन्सियर के नाम से बैंक खोला था जिसका मालिक बहुत ही धोखेबाज था और जो लोगों का रुपया जमा कर रहा था तो उन्होंने उसका बहुत माकूल इन्तजाम किया और उसके पीछे सी० आई० डी० लगा दी और जब वह रुपया लेकर भागा तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसका रिकार्ड वगैरह भी हासिल कर लिया और इस तरह से उन्होंने अपने फरायज पूरे किये और अपने फरायज को अन्जाम देने में कोई कमी नहीं की। इसके लिये मैं माननीय गृह मंत्री और उन पुलिस अफसरों का शुक्रिया अदा किये बिना नहीं रहूंगी जिन्होंने इसमें मदद की।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष १३,८२,३८,१०० रुपये की जो मांग पेश है उसमें जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से आया है मैं उस पर अपने बिचार आपके सामने रखूंगा। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक डकैती और कत्ल का सवाल है बुन्देलखन्ड की हालत सारे प्रदेश के मुकाबले में सब से ज्यादा खराब है। वहां हालत इतनी खराब है कि एक जैनियों को मेला लगता है जिसमें उनका एक रथ निकलता है। उस मेले में से सिंघई जैन नामक व्यक्ति को डाकू लोग उठा कर ले गये और उनका खुद का बयान था कि डाकुओं ने उनको इतनी अच्छी तरह रखा कि जैनी लोग रात को खाना नहीं खाते इसलिये उन्होंने उनको दूध, मिठाई और फल वगैरह खिलाये, लेकिन जब सिंघई जैन सो रहे थे तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि यह बनिया कहां से पकड़ लाये, हमने तो इन्दिरा को उठाने के लिये सोचा था, चूंकि इन्दिरा गांधी और सुशीला नैयर, दोनों उस मेले में आयी थीं, ताकि चाचा नेहरू यह समझें कि बुन्देलखण्ड में हुकूमत उनकी नहीं बल्कि हमारी है। उसके बाद भी आपका इन्तजाम इतना बढ़िया था कि इस साल जब वह मेला लगा तो पांच आदमियों को दिन दहाड़े फिर उठा कर ले गये। लार्ड विलियम बैंटिंग के जमाने में इतिहास जानता है कि सारे देश की हालत बहुत खराब हुई और चोरी, कत्ल, डकैती इतनी बढ़ी कि कंट्रोल नहीं कर सके। उस समय विदेशी हुकूमत थी फिर भी उनके दिमाग में यह असर पड़ा कि अगर हुकूमत करनी है तो इस तरह की चीजों को दूर करना पड़ेगा। और उसमें सुधार हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि अब हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। आज आपकी पुलिस को चालान करने में कहां तक सफलता मिलती है यह मैं आपके आंकड़ों से सिद्ध करूंगा कि आपके प्रदेश की पुलिस कितनी निकम्मी हो चुकी है। बांदा के अन्दर १ जनवरी, १९६१ से ४ जनवरी, १९६४ तक १५७ हत्यायें ५२ डकैती, २० राहजनी और ९ अपहरण हुए। इनमें से १७६ मामले अदालत में गये, इतना हसीन आपकी पुलिस का इन्तजाम है, और कुल ५७ सफल हुए। इसी तरह हमीरपुर में २०७ हत्यायें, ९८ डकैती, १२५ राहजनी, और १९ अपहरण हुए। कुल २६२ चालान हुए जिसमें से ७० सजायाफ्ता हुए। जालौन में ९१ हत्यायें, ९९ डकैती, ६१ राहजनी और ९ अपहरण हुए। १४६ का चालन हुआ और ९६ कामयाब हुए। झांसी में १०३ हत्यायें,

[श्री लखपतराम शर्मा]

२४४ डकैती, २२४ राहजनी और २९ अपहरण हुए जिसमें से १९६ का चालान हुआ, लेकिन सफल केवल ५२ हुए। इस तरह से ये कुल मिलाकर १४९९ मामले हुए जिनमें से ८८० चालान हुए और ३१५ सफल हुए। इससे आप अन्दाज लगा लीजिये कि आपकी पुलिस कितनी बढ़िया है। गृह मंत्री जी कृपया बतायें गे कि इतने मुकदमें छूटने के बाद आपने क्या ऐक्शन उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लिया। बल्कि सच्चाई से देखें तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि अदालत के फैसले के बाद भी ऐसे सबूत हैं, प्रमाण हैं कि उन्हीं थानेदारों को तरक्की तक दी जाती है। हमीरपुर जिले में दिन दहाड़े शहर में नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष का कत्ल कर दिया गया और उसके सिलसिले में पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी तक गिरफ्तार हुये हैं और जेल में बंद हैं। श्रीमन्, यदि इस तरह पुलिस वाले जनता के लोगों की हत्या करा दें तो मैं आप से कहनाये चाहता हूं कि प्रजातंत्र कितने दिन तक कायम रखा जा सकता है। इसमें सुधार होना चाहिये।

मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहता हूं। यदि कानून का ठीक से इस्तेमाल न किया जाय तो वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अपने अपने यहां एक कानून बनाया हुआ है कि ५ फुट ६ इंच लम्बे जवानों को पुलिस में लिया जायगा उससे कम ऊंचाई के नहीं लिये जायेंगे, लेकिन मैं आप से कहता हूं कि यह आपका कानून सारे हिन्दुस्तान में लागू है, लेकिन हमारे पुलिस के जो वजीर माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उनकी जरा लम्बाई देखिये। एक सिपाही के लिये कानून है, लेकिन केन्द्र के गृह मंत्री के लिये कोई कानून नहीं है। माननीय गुप्ता जी को ले लीजिये, मुश्किल से पौने चार फिट के होंगे। इस तरीके से कैसे काम चलेगा।

आपने एक कानून अपने यहां बनाया है कि ५८ वर्ष की उम्र होने पर आप गवर्नमेंट सर्वेन्ट को रिटायर कर देंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक युग था जब शासन करने वाले जनता को सुख पहुंचाने के लिये, वृद्ध होने पर अपने आप शासन से अलग हो जाते थे, लेकिन आज अपने यहां इसका बिलकुल उल्टा है। आपने ५८ साल के बाद रिटायर करने का कानून बनाया है और उसके अन्तर्गत आप चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक को ५८ वर्ष की उम्र होने पर रिटायर कर देंगे लेकिन आप यदि १०० साल के भी हो जायेंगे और आपका शरीर भी ठीक से काम नहीं देगा फिर भी कलम आपके हाथ में रहेगी। इस तरह से आप हमेशा कुर्सी पर रहने के लिये तैयार रहते हैं। इस तरह से क्या समाजवाद जिन्दा रह सकता है ? आपके लिये न कोई कानून है और न कोई उम्र का कायदा है।

श्रीमन्, मैं आपके सामने एक घटना रखना चाहता हूं। घौरा स्टेशन पर एक व्यक्ति माननीय अमृतलाल जी गये। उनको इत्तिला मिली कि डाकू उनको पकड़ ले जाने वाले हैं। डाकू आये और उनको ट्रेन से खींचकर ले गये और वहां पर जो २००, ३०० आदमी थे वे सब देखते ही रह गये। एक बड़ी लम्बी रकम लेकर उनको छोड़ा गया। कानपुर-झांसी रोड पर बस को रोककर डकैती डाली गई, लोगों को गोली से मारा गया, लेकिन आपकी पुलिस इतनी बहादुर है कि जब डाकुओं ने कहा कि तुम लोग ओवरकोट पहने हुये हो तो झट से पुलिस के तीन सिपाहियों ने ओवरकोट उतार कर डाकुओं के चरणों पर रख दिये, लेकिन पब्लिक से कहा जाता है कि तुम लोगों ने डाकुओं का मुकाबला नहीं किया। आपके जो ईमानदार कर्मचारी पुलिस में हैं, उनकी आप रक्षा नहीं कर सकते हैं और न उनकी तरक्की ही कर सकते हैं, क्योंकि बेईमान आदमी की सिफारिशें बहुत होती हैं और उनकी माली हालत भी अच्छी होती है क्योंकि उनके पास आमदनी का जरिया होता है। झांसी में चन्द्रपाल सिंह एस० ओ० थे वहां गढ़िया गांव वालों के गले में पिस्तौल डाल कर कहा गया कि तुम डकैती डालने जा रहे हो और लम्बी रिश्वतें ली गई व रुपया भी ले लिया गया। श्रीमन्, केस गवर्नमेंट में आया। बदनसीबी से मुझे भी जानकारीथी रुपया लौटाया गया। मेरा भी उसमें बयान हुआ। उस एस० ओ० वगैरह को जरूर नौकरी से निकाला गया उस एस० ओ० के खिलाफ कुछ अभियोग थे। उसमें एक अभियोग यह भी था कि फर्जी पिस्तौल

अलकर लोगों से जो रुपया छीना गया था वह लौटाया भी गया था । उसमें वह निकाले गये, लेकिन दूसरा अभियोग भी जो बहुत संगीन था जिसमें निर्दोष आदमियों को गोली चलाने के अभियोग में पकड़ा था व रुपया भी लिया गया जिसमें एक थानेदार का भी स्टेटमेंट है, और जिसकी डी० एस० पी०, सी० आई० डी०, कानपुर श्री टीकाराम ने जांच की, उसमें चार्जशीट तक नहीं दी गयी । दूसरी ओर डी० एस० पी०, श्री पंचोली जहां जहां गये, उनकी ईमानदारी की साख रही, लेकिन चूंकि ईमानदार थे जिन्दगी तबाह कर दी गयी । प्रोमोशन तक रुका हुआ है ।

आखिर में कहूंगा कि पुलिस को सुधारा जा सकता है । इंसान को इंसान बनाया जा सकता है । वह फरिश्ते से भी बनाई जा सकती है 'फरिश्ते से भी बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा' ।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं प्रदेश की पुलिस और माननीय गृह मंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया हमारे इस प्रदेश में कहीं भी नहीं हो सकी और उस पर पूरा काबू पाया और बढ़ती हुई महंगायी, पाले के प्रकोप से जो दिक्कतें आयीं उसका भी शान्ति से मुकाबला किया गया ।

अब मैं ललितपुर सब-डिवीजन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जहां का मैं निवासी हूं, यद्यपि वह मेरे क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन मेरे अलावा इस सदन में और कोई प्रतिनिधि ललितपुर सब-डिवीजन का रहने वाला नहीं है । पिछले छः सात महीने म लगभग दो दर्जन व्यक्ति वहां डकैतों द्वारा गायब किये गये । मंडल कांग्रेसकमेटी सैदपुर के अध्यक्ष का लड़का आठ बजे रात को पकड़ लिया गया । सिंगवारा बाजार से पांच आदमियों को पकड़ ले गये । नारहट थाने में एक नौजवान लड़का जो कि तालबेहट मंडल के अध्यक्ष का रिश्तेदार है उसको उठा कर ले गये । बुढ़वार से २०–२५ वर्ष का लड़का था उसको उठा कर ले गये । १ मार्च को २ बजे दिन को पाली से दो मील पर ललितपुर पाली बस को रोक कर तीन आदमियों को पकड़ कर ले गये, जिसमें सराफे का काम करने वाला राजघर का लड़का, जिसका हार्ट फेल होने पर मृत्यु हुई, उसको ले गये और उसके जेवर के बक्से को भी ले गये । मैं १० तारीख को पाली गया था । पाली के लोग बड़े परेशान थे । वहां बड़ा आतंक छाया हुआ है । उसके पहले एक आदमी को पाली से पकड़ ले गये थे । यह सब के सब रुपया देकर अपनी जान बचा कर आते हैं । पुलिस ने मुकाबिला करके छुड़ाया । सैदपुर के सभापति का जो लड़का था उसको छुड़ाने के लिये पुलिस ने मुकाबिला किया और वह उसे छीनकर ले आयी । सुन्दरलाल सिंघई मडारा के जो पकड़े गये थे थाना हेडक्वार्टर से उन को भी पुलिस मुकाबिला करके छुड़ाकर लायी । वहां लोगों के पास श्रीमन्, चिट्ठियां भी आ रही हैं धमकी की । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ललितपुर सब-डिवीजन में चार लाख निवासी हैं और उस क्षेत्र के खास तौर से चार पांच थाने इससे सम्बन्धित हैं जाखलौन, नारहट, मडावरा, सौजना और महरौनी, इन थानों के लिये कोई विशेष व्यवस्था कर दी जाय । एक तरह से ये ट्रेनिंग सेंटर डकैतों का हो गया है । वहां सड़कें नहीं है, मुसीबत है । मैं मानता हूं कि पुलिस के सामने भी मुसीबत है दिक्कत है, वहां डाकुओं को पनाह देने वाले लोग भी हैं, उनकी मदद करने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है । वह जंगलों में रहते हैं, किसी तरह अपना काम करते हैं, अपने जीवन की रक्षा का प्रश्न उनके सामने होता है । उनकी गर्दन पर हर समय छुरी लटकती रहती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई विशेष व्यवस्था की जाय तो मैं वहां जाने को तैयार हूं, और आप करें या न करें, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं वहां का निवासी हूं, मैं वहां मुंह दिखाने लायक नहीं हूं । जब दो चार आदमी हर महीने वहां से अपहृत होते हैं और हम यहां विधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी]

सभा की कुर्सी पर बैठे रहते हैं । १५ मई से मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहां गांव की पैदल यात्रा करूंगा । ऐसी बात नहीं है कि वहां पर डकैत मिलते नहीं हैं । ऐसे भी मौके आये हैं कि पुलिस ने देखा उनको । अभी आठ दिन हुये दो गिरोह एक साथ गोल चक्कर बनाये बैठे हुये थे । पुलिस ने देखा, उनके थोड़े सिपाही थे, जितना मेरे यहां से अध्यक्ष महोदय की कुर्सी का फासला है उतनी ही दूरी उनके बीच में थी, उन्होंने देखा, लेकिन देखकर दूसरे रास्ते से उनको वापस हटना पड़ा । इसलिये वहां के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी १२ अप्रैल को वहां जा रही हैं । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी भी चलें और आई० जी० को भी ले लें । हम जितने उस सब-डिवीजन के कार्यकर्त्ता हैं अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं और पूरा सहयोग देने को तैयार हैं । हमारे बहुत से इन्फार्मर जो कि पुलिस को खबरें देते हैं वह भी एक एक करके वहां कत्ल कर दिये गये हैं । यह मैं नहीं कहता कि पुलिस ने वहां कुछ नहीं किया । उसने देवी सिंह के गिरोह को समाप्त किया, सूरतसिंह के गिरोह को समाप्त किया और जंडैलसिंह के गिरोह को समाप्त किया । एक दिक्कत यह भी है कि वहां से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है, मध्य प्रदेश का छतरपुरा जिला, सागर, टीकमगढ़, गुना ये सब लगे हुये हैं । बड़ी ऊबड़ खाबड़ जमीन है । इसलिये वहां का अध्ययन करने के लिये आप दो एक दिन का समय दें और हम लोगों से आप मदद लें । एक निवेदन मैं आपसे यह करूंगा कि पाली में एक थाने की स्थापना कर दी जाय और जितने थाने और चौकियां वहां हैं उनके लिये चार छः दस जीपों का इन्तजाम कर दें, केवल तीन महीने के लिये । कोई ज्यादा डकैत वहां नहीं हैं । पचास साठ डकैत होंगे । और पांच सात सौ पुलिस वहां पड़ी है । उन पर काबू पाना कोई बहुत दिक्कततलब बात नहीं है । जरूरत इस बात की है कि आप खास तौर से उस क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और महीने दो महीने के लिये डी० आई० जी० का कैम्प वहां पर डाला जाय । एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० को विशेष रूप से वहां रखा जाय और गाड़ियों तथा वायरलेस का इन्तजाम कर दिया जाय । गर्मी के दिन आ रहे हैं, उनका भी सीजन है और हम लोग भी खाली होंगे, आप चलें, हम अपने यहां के निवासियों को साथ में लेकर पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उनका मुकाबिला करने को तैयार हैं, लेकिन डी० आई० जी० का हेडक्वार्टर ललितपुर में होना चाहिये और एस० पी० और डी० बाई० एस० पी० को वहां डकैती के क्षेत्र में रहना चाहिये । अगर आप यह नहीं करते हैं तो समस्या का हल बड़ा मुश्किल है । आज वहां गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं । एक शब्द में और कहना चाहता हूं कि बड़ी सख्ती के साथ आपको डकैतों की मदद करने वालों और उनको कारतूस सप्लाई करने वालों के ऊपर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि झांसी के गुरसराय नामक जगह में जो डकैती पड़ी थी वह डकैती डालने वाले हमीरपुर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के मकान पर गिरफ्तार हुये, उनकी आलमारी के पीछे गिरफ्तार हुये । आज उरई की बात आप करते हैं । माननीय चरणसिंह ने यहां पर आंकड़े दिये थे । बलवानसिंह जी ने जालौन का जिक्र किया । जो जालौन के सज्जन आपके प्रतिनिधि हैं उनके क्या काले कारनामे हैं इसको उठाकर देख लीजिये कि किस तरह से उन्होंने कत्ल करनेवाले आदमी की वकालत की है । जिसको आजन्म की कारावास हुई थी उसकी उन्होंने वकालत की है । इस तरह के लोगों को यदि राजनैतिक आश्रय मिलेगा तो निश्चय ही डकैतियां रुक नहीं सकती हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि राजनैतिक लोगों के ऊपर भी अंकुश लगाना जरूरी है ।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद । इस पर कल से आलोचना और समालोचना हो रही है । मैं आलोचना इस दृष्टिकोण से करता हूं कि आलोचना के पीछे शिष्टाचार और सदाचार होता है । अन्य समर्थन के पीछे भ्रष्टाचार होता है । पुलिस सम्बन्धित कर्मचारियों के विषय में कोई आलोचना नहीं करना चाहता । मैं पुलिस के प्रति सरकार की नीति की आलोचना करना चाहता हूं । कर्मचारियों के प्रति आलोचना इसलिये

नहीं करना चाहता कि जब अंग्रेज भारत से गये तो सत्तारुढ़ पार्टी सत्ता में आई। मैंने एक अधीक्षक पुलिस से पूछा कि आपका क्या कर्त्तव्य होगा। उसने कहा कि अंग्रेज को एक सलाम झुकाते थे इस सरकार को दो सलाम झुकायेंगे और आनेवाली सरकार के लिये हमने अपनी जेब में ३ सलाम रख छोड़े हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फिर कहा कि मैं तो एक नाइन हूं। कैसे नाइन हो, तो उसने बतलाया कि एक मुहल्ले में दो घटनायें एक साथ घटी, एक स्थान पर तो एक युवक की मृत्यु हुई वहां पर तो कोहराम मचा और एक बूढ़े के लड़का हुआ वहां पर मंगलाचार गाया गया। तो पहले पहल वह नाइन उस घर में गई जहां पर मृत्यु हुई थी दरवाजे पर पहुंचकर उसने गाना शुरू कर दिया कि "बन के बिगाड़ी दीनानाथ तूने तो मेरी" सब स्त्रियां रोने लगी। वहां से उस स्थान पर गई जहां पर मंगलाचार हो रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही नाचने लगी और गाना शुरू किया कि "धूम गोकुल में भई भारी, ननद के जनमें औतारी"। इस वजह से मैं कर्मचारियों की भर्त्सना क्यों करूं। मैंने उनकी नीति को समझ लिया। "उन्हें सर झुकाया तुम्हें सर झुकाते, हमें भी झुकायेंगे अब यार गम क्या, नाराज नौकर तो दुश्मन की दर है जो बेकार छोड़ हैं वे अकल हम क्या।" बस बढ़े चलो 'बढ़े चलो' चले चलो। उन्होंने आपकी लगाम ढीली की है—हम उसे बिलकुल ही उतार देंगे। श्रीमन्, अगर हम सरकार से अपनी कुछ वेदना कहें तो वह नहीं सुनती, पुलिस के अत्याचार को कहें तो वह सुनती नहीं, देखती नहीं और करती भी कुछ नहीं। हमारी सरकार के आंख कान, हाथ कुछ नहीं हैं। बिलकुल ब्रह्मस्वरूप है।

बिनु पद चलै सुनै बिन काना। कर बिन कर्म करै विधि नाना।।
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी।।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहे प्राण विनु वास अशेषा।।
अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा तासु कौन कवि वरनी।।

श्रीमन्, मैं कांग्रेस की कभी आलोचना नहीं करता, क्योंकि यह पूज्यवाद महात्मा गांधी की कांग्रेस है। मैं तो काग रेस अर्थात् कौओं की दौड़ की आलोचना करता हूं कौआ काला होता है, सर्वांग काला, पैर भी काला, पर भी काले, मुंह भी काला और हृदय भी काला। एक बोष और होता है वह कांव कांव बड़ी जोर से करता है। कौवे की एक आंख कानी होती है, उसके एक आंख नहीं होती और जब वह हाथ में ढेले को देख लेता है तब उड़ता है। इससे भी बड़ा एक अवगुण और एक होता है वह बहुत बुरी चीज खाता है। उससे भी बड़ा दुर्गुण और उसमें होता है कि वह उनके बच्चों को पालता है जो उनके बच्चों को मार डालते हैं अर्थात् कोयल के बच्चे को पालता है।

कोयल के सुत कागा जाये, नित उठ कंठ लगाये।
सूर कहैं सब बड़े भये पै घर अपने को धाये।।

सीतापुर में एक पुलिस बटालियन है। वहां आप चांदमारी वट पर कोकिल पंथी लोगों को देखेंगे जो बड़े बड़े आफिसर्स हैं। ये सब कोकिल पंथी अपने बच्चों को ही मारा करते हैं। श्रीमन्, एटा में १५ थाने हैं, लेकिन इन्चार्ज कोकिल पंथी वहां पांच हैं। एटा वह जिला है जो शुरू से ही उपेक्षित रहा है। हमारी पुलिस वहां भी सफल हुई है, क्योंकि वहां विरोधी दल के लोग जीते हैं सिर्फ एक व्यक्ति कांग्रेस का एक वोट से जीत कर आया है। शेरशाह और सूरी, अकबर जैसे बादशाह जहां फेल हुये, जहां कांग्रेस फेल हुये वहां हमारी पुलिस सफल हुई एटा में। वहां हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने रामचन्द्र नामक एक बदमाश को अपनी जीप में बैठाकर जेल में हाजिर किया और पुलिस कप्तान को एक सिफारिश की चिट्ठी लिखी। यह तो वहां की कांग्रेस है। वहां पर बहुत सी डकैतियां पड़ीं, लेकिन पुलिस ने वहां पर काम किया और उनको सफलता मिली। इनाम जिनको मिलने थे मिले। लेकिन मौर्या डी० वाई० एस० पी० जो जाट (चमार वंश) का था जिस ने मनिया को पकड़ा, उसको उचित पुरस्कार नहीं मिला। बहुत से दरवाजे खटखटाये गये, लेकिन किसी का कोई परिणाम नहीं हुआ। क्यों, वह हरिजन थे।

[श्री लोकपालसिंह]

अब मैं पुलिस के सम्बन्ध में दो कवितायें रखकर समाप्त कर दूंगा, क्योंकि लाल बत्ती हो गयी है ।

मौर्या की उपेक्षा

"ज्ञानी गुनी अपमान सहें, अनभिज्ञ अनक्षर आदर पायें ।
भार धरै हय हाथी हरै, नित थार में कुक्कुर जायं जिमाये ।
चाबुक के डर सिंह नचे, खर खाय खड़े नित जायं खुजाये ।
रात भई दिन को कब तें, जब तें जगवंचक पंच कहायें ।।

वर्त्तमान पुलिस

जलूसों का जलवा पुलिस बन गयी है ।
हर-सिंह नलवा पुलिस बन गयी है ।।

शासन की थी सर्वदा जो समर्थक, इशारे पै नचती थी जैसे कि नर्तक ।
महा शान्ति की भी रही जो प्रवर्त्तक, हुई आज वह किन्तु बिलकुल निरर्थक ।

लड़ाई और बलवा पुलिस बन गयी है ।
हर-सिंह नलवा पुलिस बन गयी है ।।

मुअस्सर जिसे हो न सूखी भी रोटी, बिलकुल ही हो जिसकी तकदीर खोटी ।
करे वह निरन्तर दरोगा की पूजा, है साक्षात् भगवान यह आज दूजा ।

मलाई औ हलवा पुलिस बन गई है ।
हर-सिंह नलवा पुलिस बन गयी है ।।

गरीबों की दुनिया तो फुंक सी चुकी है, अतः राष्ट्र की रीढ़ झुक सी चुकी है ।
अधिकारियों के हैं अधिकार भारी, सुनाई न पड़ती जिन्हें आहोजारी ।

नटवर सी छलवा पुलिस बन गयी है ।
हर-सिंह नलवा पुलिस बन गयी है ।।

मैं मर गया मर गया मर गया मैं, मैं लुट गया लुट गया लुट गया मैं ।
चारों दिशा से यह आवाज आती, लोरी यही है, यही है प्रभाती ।

दीनों का मलबा पुलिस बन गयी है ।
हर-सिंह नलवा पुलिस बन गई है ।।

पुलिस के मिनिस्टर से फरियाद करना, है मानिन्द भगवन को याद करना ।
मैं तो हृदय को मसोसे हुये हूं, तथा भाग्य को खूब कोसे हुये हूं ।

अकर्मण्य ठलवा पुलिस बन गयी है ।
हर-सिंह नलवा पुलिस बन गई है ।।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिये मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं । माननीय पुलिस मंत्री जी ने जो आज अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं सोचता था कि आज पुलिस मंत्री जी के विरोध में अच्छे भाषण होंगे, लेकिन लगता है कि पुलिस ने कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य किये जिनके द्वारा लोगों के मुंह बन्द ह । मैंने

सभी भाषणों को सुनने की कोशिश की। कुंवर श्री पार्लसिंह ने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट झलक रहा था कि वह जौनपुर से संबंधित था और आपसी मन मुटाव को यहां रख रहे हैं। कुंवर श्रीपार्लसिंह जी का मैं आदर करता हूं और वह भी मेरे प्रति स्नेह करते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वे पारस्परिक द्वेष की भावना को निकालने के लिये खड़े हुये हैं। माधोप्रसाद जी ने तो उस दूकानदार की भांति अपना भाषण किया जो सड़क की पटरी पर बैठ कर बहुत सी जड़ी-बूटियां और सांप के खेल से लेकर हर मर्ज की दवा बेचते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने पत्तरे खोले, बहुत सी दवायें दिखलायीं, संजीवनी बूटी से लेकर मृत्युंजय पर विजय प्राप्त करने की भावना रखी लेकिन वास्तव में तो उनके पास जड़ी बुखार की भी दवा नहीं निकली। मैं कोई विनोदी व्यक्ति नहीं हूं मैं यथार्थ बात कहता हूं। पुलिस में भ्रष्टाचार है, लेकिन क्यों है और कैसे है वह मैं आपको बतलाऊंगा।

आज हमारे अन्दर इतना मारेल तो है नहीं कि अगर हमारा भाई चोरी करे तो हम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखायें और उसे गिरफ्तार करायें। बड़ी मुश्किल से तो पुलिस को गिरफ्तार करने का मौका मिलता है। जब केस को मुकदमें के लिये भेजते हैं जुडीशियल प्रोसेस ऐसा है कि २५–२५ पेशियां पड़ती हैं। जहां जिले की कचेहरी है वहां से अगर ४० मील दूर वह जगह और थाना है तो ४ गवाह लेने पड़ते हैं। २५ बार लाने में कितना खर्चा होता है? चार रुपया प्रति गवाह रख लीजियें तो भी कितना होता है। फिर जब शहर में आते हैं तो गवाहों को बढ़िया पूड़ी, रबड़ी, कलाकंद और बालूशाही हलवाई के यहां खिलानी होती है इस प्रकार से ४ पेशी में ही दो सौ रुपया दारोगा जी का व्यय हो जाता है। तब गवाही दिलाकर केस सक्सेस होता है। अगर न करें तो माननीय कप्तान साहब का वार्निंग आर्डर सर पर है। अगर उनका केस फाइल हो जाय, फाइनल रिपोर्ट लग जाय तो उनकी आफत! ऐसी स्थिति में हमको अपना निर्णय सोच-समझ कर देना चाहिए हमको मंत्री जी से सहयोग करके यह जो जाब्ता फौजदारी पुराना बना हुआ है उसके लिए कोशिश करें कि वह बदला जाय और भारत सरकार से उसे बदलवायें ताकि इतना लम्बा जुडीशयल प्रोसेस न बने।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं किसी भी सदस्य से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि किसी थानेदार को आपने कभी लखपती पाया? मैं एक दिन बरेली रिक्शे पर जा रहा था तो देखा मुहल्ला कुल्हाड़ा पीर पर एक थानेदार लकड़ी चीर रहा था। हमारे पूछने पर उन्होंने कहा कि लकड़ी की ठेकी का काम कर रखा है। मैं मानता हूं कि दरोगा जी २, ४ हजार रुपया रिश्वत ले लेते हैं, लेकिन उन्हें मुक़दमों को सरसब्ज कराने में भी तो खर्च करना पड़ता है।

कहा गया कि डकैती बढ़ती जा रही है। पुलिस के पास, दरोगा के पास, कौन सी जादू की लकड़ी है जिससे वह डकैती के स्थान पर पहुंच सकें? उनके पास जीप नहीं है। जीपें आपने दे रखी हैं वहां जहां ब्लाकों में रंगरेलियां होती हैं। दरोगा को तो आपने ४०० रुपये का घोड़ा दिया है। आज के युग में ४०० रुपये की तो भेड़ें बिकती हैं ४०० रुपये में घोड़ा अच्छा गधा मिलता है। कैसे ४०० रुपये में घोड़ा खरीदा जा सकता है? और उसके खाने के लिये केवल ४५ रुपये आप देते हैं। ४५ रुपये में राजकुमार प्रेमसिंह अगर एक कुत्ता पालें तो उसका भी काम नहीं चलेगा। तो ३० मील के एरिया में दरोगा कैसे पहुंच सकता है?

जब दरोगा पास होकर आता है तो आप उसे सारे जीवन के लिये १५० रुपया वर्दी बनाने के लिये देते हैं। हमारे साल में ४ जोड़ी कपड़े फटते हैं। ३० रुपये वार्षिक एलाउन्स उनको दिया जाता है, वे अपने उसी में झब्बे भी बनाते हैं। यह उस समय का अलाउन्स है जब कि सोना २० रुपये और २२ रुपये तोला था, जो आज १५० रुपये है। आप इस शो को खत्म करके पी कैप, जैसा और प्रदेशों में कर दिया ह, वसा ही यहां भी कर दें।

[श्री राममूर्ति 'अंचल']

थानों में स्टेशनरी नहीं होती है। हेड मुंशी अपने पैसे से स्टेशनरी खरीदता है। तो क्या वह २ रुपये रिपोर्ट लिखने के नहीं लेगा? यात्रा के लिये उन्हें १२ रुपये पर २ आना भत्ता मिलता है यानी १०० रुपये पर १ रुपया। वे कैसे ईमानदारी से काम कर सकते हैं? थानेदार का वेतन १५० रुपये, इंस्पेक्टर का २०० और कांस्टेबिल का ४५ रुपये है और फिर आप चाहते हैं कि वे ठीक से काम करें?

हमारे कुंवर श्रीपालसिंह ने खास तौर से खाकसारों का जिक्र किया और चाहा कि उन पर पाबन्दी लगा दी जाय। अगर वे अराष्ट्रीय काम करते हैं तो जरूर लगा दी जाय, लेकिन गांधी जी की हत्या के समय खाकसार नहीं थे। उस वक्त जो लोग थे उनकी ओर अगर श्रीपालसिंह जी संकेत किये होते तो मैं उनके व्यक्तित्व को बहुत सराहनीय समझता। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर कोई संकेत नहीं किया। उनकी दाढ़ी में मालूम होता है कि तिनका है।

सन् १९५३ में जब मैं "नागरिक" का सम्पादक था तो मेरे जिले में भिखारी डाकू इतना खूंखार था कि पुलिस के बहुत से आदमी उसने मारे। उसके ऊपर हजारों रुपया का इनाम था। हमारे यहां के एस० पी० पांडेय ने उसके साथ निरन्तर ६ घन्टे तक गोली चला कर उन ४ डाकुओं को मारा और उसके बाद एक चित्र मुझे प्राप्त हुआ अखबार "नागरिक" में छापने के लिये। उसे मैं सदन में प्रस्तुत करता हूं।

हमारी पुलिस ने बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में, स्कूल के लड़कों के दंगे रोकने में कितनी सहायता दी है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और अगर हम मंत्री जी को और आई० जी० को बधाई नहीं देते हैं तो यह शिष्टाचार के विरुद्ध होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय अब समाप्त हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अंचल जी ने शायद आर० एस० एस० का नाम गांधी जी की हत्या के सम्बन्ध में लिया। उसकी वह सफाई कर दें, यह बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जरूरत नहीं है। यह बात अखबारों में छपी है। सब लोगों ने कहा है उन्होंने कह दिया है तो क्या बात है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इसमें आपको क्या आपत्ति है? अखबारों में छपने से क्या होता है? कांग्रेस पार्टी के अखबार तो ऐसा अलाप किया ही करते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—

आर० एस० एस० को उन्होंने कम्युनल बतलाया। सफाई की जरूरत नहीं है।

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, ठाकुर साहब ने पुलिस के अनैतिक कामों के लिये बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आज नजरों में यही आ रहा है कि ज्यों ज्यों दवा की गई त्यों-त्यों मरज बढ़ता गया। यह रोग कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने पुलिस के गुण गाये हैं। कुछ आदमी अच्छे भी हो सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांस्टेबिल की भर्ती के बारे में मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मद में जो खर्चा है उसे ४ गुना होना चाहिये था। हमारा सूबा सरहद का सूबा है और दुश्मन का बड़ा भारी जमाव है। हमें सेना खड़ी करने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन हम सशस्त्र पुलिस का रेजीमेंट खड़ी कर सकते हैं। यह अनुदान लगभग पहले साल की तरह से ही है। मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य की यह राय होगी कि हमारे पास एक अजेय शक्ति होनी चाहिये जो बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सके। आज संकट ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ़ पाकिस्तान से संकट है और दूसरी ओर चीन है। इसलिये इस मद में काफ़ी पैसा होना चाहिये और मैं ठाकुर साहेब से प्रार्थना करूंगा कि जब वह अगली बार सप्लीमेंटरी बजट पेश करें तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। बुन्देलखंड को छोड़ कर बाकी और जिलों में धारदार हथियारों के द्वारा बहुत कत्ल हो रहे हैं। इसलिये धारदार हथियारों पर पाबन्दी लगाने के लिये जल्दी से जल्दी कोई बिल लाया जाय। लाठी से मर्डर बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े पहलवान को भी एक दुबला पतला आदमी बल्लम लेकर जाता है और उसके पेट में घुसेड़ कर उसकी हत्या कर देता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार हथियारों की स्वतंत्रता उन्हीं आदमियों को मिलनी चाहिये जिनमें आदमियत हो इसलिये धारदार हथियार हर एक आदमी को नहीं मिलने चाहिये।

अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस थी उसका वही सिलसिला चला आ रहा है। हम को उम्मीद थी स्वतंत्रता के बाद जो लड़के पुलिस में जायेंगे वे सच्चरित्र होंगे, लेकिन नतीजा उल्टा है। जो देशभक्त लोग देश की आजादी में लड़े उन्हीं के लड़के सबसे ज्यादा दुराचार कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है।

एक शिकायती पत्र ठाकुर साहब के पास जांच के लिये आया है, आप उसकी जांच कर रहे हैं लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब ठाकुर साहब ने कहा ट्रान्सफर करा कर जांच करायी जाय या वैसे ही कराई जाय, यह तो अपनी-अपनी राय का सवाल है। उनको यह बात नहीं कहनी चाहिये थी। जब सदन ने इस बात को कह दिया था तो उसको इंक्वायरी उसको वहां से हटा कर ही होनी चाहिये थी, लोकतंत्र और एकतंत्र में यही तो फर्क होता है। लोकतंत्र में चार गुनहगार भले ही छूट जायं लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिये, लेकिन एक तंत्र में यह होता है कि चाहे २० आदमी बेगुनाह सजा पा जायं, लेकिन एक गुनाह वाला नहीं छूटना चाहिये। आज डाकू छूट जाता है और २५ बेगुनाहों को फंसा दिया जाता है। अगर कहीं डाका पड़ता है तो आसपास के तमाम घर और गांव तबाह हो जाते हैं। शिनाख्त की कार्यवाही में रुपया वसूल किया जाता है। क्या ठाकुर साहब जानते नहीं हैं कि उनके वह सम्पूर्णानन्द जो के खिलाफ पुलिस वालों ने झूठी गवाहियां नहीं बनायीं? तो क्या वह पुलिस अब बदल गयी है? उसने क्या वह काम बन्द कर दिया है?

उधर से कहा गया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के घर में डाकू जालौन में निकला। सन् १९३२ में जब मैं जेल में बुलेटिन बांटने का काम करता था और उसमें यह निकला करता था कि किस जिले से कितने आदमी जेल गये तो जालौन जिले से विचित्रनारायण शर्मा का नाम निकला करता था। ऐसे आदमी के विरुद्ध जब ऐसी बात कही जाती है तो उसको असत्य तो कैसे कहूं लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता। और वह भी मैं जानता हूं कि कई मिनिस्टरों के बारे में होहल्ला मचा था। तो एक तरफ से कोई बात नहीं आ सकती, दोनों तरफ से बातें आनी चाहिये। अगर आपकी तरफ कोई ऐसा आदमी है तो आपको कह देना चाहिये कि देखो जी, तुम बेईमान आदमी हो। पार्टी मीटिंग में इस तरह की बात आप कह सकते हैं, वहां कोई लूज टाक भी हो सकती है, लेकिन यहां किसी के लिये इस तरह की बात नहीं कह सकते। यहां तो संयत भाषा का ही प्रयोग होना चाहिये। अगर आप अपने आदमियों को इस तरह से कहेंगे तभी भ्रष्टाचार को कुछ रोकथाम हो सकती है, वरना श्री जे० पी० मिश्रा आपका चाहे जितना भी प्रचार करें, लेकिन आज "आज" अखबार इस बात का प्रचार कर रहा है ——जो प्रदेश के गांव-गांव में, घर-घर में जाता है——कि चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार की मार से आज जनता खून के आंसू बहा रही है।

[श्री उमाशंकर]

मेरे सामने एक दरख्वास्त पड़ी हुई है। एक हबीब साहब हैं उनका मकान एलाटेड लिस्ट में है, लेकिन पुलिस उनके मकान के सामने पड़ी हुई है, उनके बाल बच्चे मौजूद हैं। श्री उदित-नारायण शर्मा और एक एम० एल० ए० श्री महमूद हसन खां हैं, ये दोनों आदमी मौजूद हैं, लेकिन बदमाश लोग पुलिस की देखरेख में इन लोगों पर हमला करते हैं। माननीय ठाकुर हरगोविन्द-सिंह को लिखा भी गया और आज मंत्री जी से मालूम हुआ कि उस मुकदमें के सम्बन्ध में फाइनल रिपोर्ट लगाने जा रही है। भला बतलाइये कि इस तरह का अत्याचार कब तक होता रहेगा और फिर इसका नतीजा आगे क्या होगा।

मेरे पास आजमगढ़ जिले की एक दरख्वास्त मौजूद है। एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर है जिसके एक रिश्तेदार ने एक आदमी का बैल चुरा लिया। जब बैल वाला रिपोर्ट लिखाने गया तो दरोगा जी ने कहा कि मैं बैल मंगवा दूंगा १४ रुपये दो और उस गरीब ने बैल मिलने की उम्मीद में १४ रुपया उनको दे दिया। बाद में भी जब बैल नहीं मिला, क्योंकि उस आदमी ने उस बैल को बेंच कर पार कर दिया तब फिर कल मेरे पास उसकी दरख्वास्त आयी। क्या कहूं, वक्त नहीं है वरना मैं बड़ा भारी गाथा आपको सुनाता, लेकिन मुझे विश्वास है कि ठाकुर हरगोविन्दसिंह भी पुलिस से भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और बराबर करते रहेंगे। मै किसी का अविश्वास नहीं करता जब तक कि उस चीज को साबित न कर लूं।

*श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और उनका भी जिन्होंने इसकी आलोचना की। प्रारम्भ में ही इस बात पर मैंने ध्यान दिया था कि मैं किसी भी व्यक्तिगत आलोचना न करूं। मेरे पास मिसालें, आंकड़े, प्रमाण लोगों के बताये हुए बहुत कुछ थे। मैं उसे अब भी नहीं कहूंगा, लेकिन उधर से जो आलोचनायें आयीं, माननीय बी० बी० शरण या अन्य व्यक्तियों ने कहा कि कोई स्पेसिफिक बात नहीं बतलायी गयी। उससे मैं कोई उत्तेजना नहीं लाता और उसे कहता भी नहीं हूं। कितनी बातें सत्य हैं, कितनी बातें असत्य हैं, पर सत्य हैं। अब मेरा कर्तव्य हो जाता है कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था उनका मैं जवाब दे दूं। श्रीमन्, कल सिद्धान्त की बात मैंने कही थी और आज भी मैं इस मत का हूं कि यदि सदन में सिद्धान्त की बात कह कर सरकार को कोई सुझाव दिया जाय और यह प्रेरणा दी जाय कि सरकार इस पर विचार करे तब निश्चय ही यह मानता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह उस पर विचार करे। मैं जानता हूं कि जो घटनायें हुईं, जो विभिन्न थानों की बातें हुईं, जो करप्शन की बातें हुईं, उन सबको दोहराना आवश्यक नहीं है। सदन के सामने कई मिसालें रखी गयीं, लेकिन श्री जे० पी० मिश्र के सम्बन्ध में यही कहूंगा कि सदन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। मैं उनकी सारी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वे साधारणतः ऐसी बातें कह दिया करते हैं। मेरे लिये कहा गया कि मैंने तहसील कोर्ट में वकालत कर दी। बात सही है। मैंने तहसील कोर्ट की वकालत की है और तहसील कोर्ट में वकालत करने के नाते उस स्टैंडर्ड से जो मेरी समझ में आया, मैंने पुलिस के बारे में बात की क्योंकि हाई कोर्ट की बात तो जस्टिस मुल्ला कह चुके थे। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैं उनके सामने तहसील कोर्ट का ही वकील था। दूसरी बात कही रुपया लेकर थैलियों में घूम रहे हैं, सारे विरोधी दल पर आक्षेप किया। हंसी आती है उनकी बात पर और क्या कहूं। सिराजुद्दीन कांड भूल गये। आपस में किसी माननीय सदस्य ने कहा मुख्य मंत्री के चेयर में रुपया लेना भूल गये, भाई से भाई के चुनने में रुपया लेते हैं, सारा देश जानता है। इसलिये हंसी ही आ सकती है। माननीय कृष्णानन्दराय जी इनसीनुएशन किया कदाचित् अप्रसन्न करने के लिये मुख्य मंत्री को, लेकिन वह असत्य बात थी। मुझे दुख है एक माननीय सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने इसलिये कहा था सम्भव है मुख्य मंत्री को न मालूम हो। पाकिस्तान वाली बात कहें तब भी गड़बड़ तो फिर कैसे क्या कहें। इसलिये कहते हैं कि अगर सत्य मानें तो उस पर अमल कीजिये, न सत्य मानिये तो न अमल करिये। हम भी उसी तरह सूचना एकत्रित करते हैं जिस तरह से आप करते हैं। माननीय बृजभूषण शरण जी ने कहा कुछ ही मिसाल दी और कुछ ही तथ्य कहे, हर थाने के बारे में नहीं कहा। क्यों दोहराऊ, क्या वह जानते हैं कि हर थाने के बारे में कहूं' क्या पूछते हो दर्द किधर होता है, एक जगह होता हो तो बताऊं। निगेटिव क्वैश्चन पूछते कि कौन सा थाना ठीक है तब बताता छान बीन करके। सरकार आंकड़े चाहती है तो वह उधर से आते हैं इधर से नहीं कहे जा सकते। चर्चिल से एक दफा पूछा गया कि फलां जगह जब हमला हुआ तो कितने मरे, कितने घायल हुए। उन्होंने कहा ४०० घायल हुए, ६०० मारे गये। अन्दाज से आंकड़े बता दिया। बगल वाले सदस्य ने कहा ऐसा न कहो जो गलत निकले तो उसने कहा कि कौन पता लगाता है और अगर लगावेंगे भी तो पता ही नहीं लगा पावेंगे और तब तक भूल जायंगे।

तीसरी बात कहते हैं कि एस० पी०, डी० एस० पी० और डी० आई० जी० के बारे में बात नहीं कही। मैंने कहा क्या किसी का नाम लूं। आज जितने उच्च अधिकारी हैं और उनके करप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले डिफाइन कर दें करप्शन, क्योंकि भ्रष्टाचार और सदाचार एक दूसरे के विरोधी हैं। हम उसकी भी संख्या दे सकते हैं। अगर एक दरोगा की शिकायत करें कि उसने घूस ली उसे आप निकाल दें तो उससे क्या फायदा, ९९ और उससे भी ज्यादा भ्रष्ट निकलेंगे। इसलिये व्यक्तिगत बात में नहीं करता। उसूल पर हमला होना चाहिये। कहा गया कुछ नहीं कहा। वह चाहते थे कि ऐसी बातें कहूं जो नहीं कहनी चाहिये। इन एफशियेंसी का प्रमाण आया और इससे बड़ा इनएफीशियेंसी का क्या प्रमाण हो सकता है कि तिब्बती जो जासूस आये उनको पकड़ कर ले जा रहे थे घोड़े से वापस कर दिया। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है। माननीय मंत्री जी कह सकते ह और क्या हुआ लायक अली भाग गय तो क्या हुआ, इसका हमारे पास क्या इलाज है ? यह तो आपके देखने की बात है हम तो प्रमाण देते हैं। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने अपने विचार प्रकट करने में विभाग की मर्यादा का ध्यान रखा तो उल्टे हम पर चार्ज लगाया जाता है।

हम उत्तेजित नहीं होंगे, हमने कहा मुख्य मंत्री से कि सारी पार्टी को जेल में भेज दो, लेकिन जब संकट में देश होगा तो हम आप के साथ होंगे, आपके सामने वोट रहता है, लेकिन हमारे सामने देश रहता है।

मैंने एक बात भार्गव जी के बारे में कही थी और इसलिये कही थी कि अनेक मुखों से मेरे सामने बात आती है। तो आपके सामने पुनः वह दलील हो रही थी कि एक भार्गव साहब हैं एक डी० आई० जी० के स्टेनो हैं, श्रीमन् बात सही है कि उनके खिलाफ कितने ही अभियोग लगाये जाते हैं, ट्रान्सफर या दफा ७ के बारे में। भगवान राम ने भी सती सीता को केवल शंका के ऊपर जंगल में भेज दिया था। कौन नहीं जानता था कि सती सीता कितनी पवित्र हैं। उनकी पवित्रता को कौन नहीं जानता था, लेकिन इसलिए जांच नहीं करते, क्योंकि यह तो विरोधी दल की ओर से आई है। सिद्धान्त से हम पर हमला कीजिए। हमारे सिद्धान्त पर हमला कीजिए।

फेवरिटिज्म का जहां तक सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि फोरेन्जिक लेबोरेटरी कायम हुई है। उसमें एक बहुत ऊंची पोस्ट क्रियेट हुई है, कायम हुई है। कोई साहब उसमें मुकर्रर हो गये। आपने एडवर्टाइज नहीं की आपको यह पोस्ट एडवर्टाइज करना चाहिए था।

अभी एक बहिन जी कह रही थीं कि देश में कुछ फिरकापरस्तों ने साजिश की। मैं इस सम्बन्ध में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ा। जनसंघ ने केवल अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। आज कहना यह है कि जनसंघ वाले सत्य

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

करेंगे चाहे असेम्बली में रहें या न रहें। हम सेवा अवश्य करेंगे। हमने केवल सरकार का एटेन्शन ड्रा किया। पर हमारे ऊपर फिरकापरस्ती का लांछन लगाया जाता है। बरसे कहीं बुझे अरोनी। आपने हमारे ऊपर इन्सीनिएशन किया पार्टीशन के सम्बन्ध में स्वयं महात्मा जी ने कहा था कि अगर देश का बटवारा होगा तो हमारे शरीर के टुकड़े हो जायंगे, लेकिन लोगों ने अहिंसा के स्थान पर हिंसा को अपनाना शुरू कर दिया है। पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था जिस वक्त पार्टिशन की स्कीम स्वीकार की थी :

"The truth is that we were tiredme.. Few of us stand the prospect of going to prison again. We saw the fires burning in the Punjab and heard every day of killings. The plea for partition offered a way out and we took it.

We expected that partition would be temporary, that Pakistan was bound to come back to us. None of us guessed how much the killings and the crisis in Kashmir would embitter relations."

मैं एक अंश पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें लिखने वाला कहता है कि सेल्समैन की ट्रिक की तरह से पंडित जी पंजे में आ गये। एक बात कह कर मैं बन्द करता हूं। महात्मा जी के बारे में इसमें यह है कि पंडित जी मुझसे कहते हो कि मैं पार्टीशन पर अपना समर्थन दे दूं? मेरा हृदय नहीं कहता। एक्सपीडिएंसी कहती है कि बहुमत की बात कह दूं। आज हम उस तथ्य को दूसरी तरह से कहते हैं तो हमको बदनाम करते हैं। यह तो याद है कि दुनियां का फैसला क्या हुआ, पटेल साहब का पार्लियामेंट के सामने भाषण क्या हुआ। इस जिम्मेदार जगह पर एक लांछन लगाने के लिये गैर-जिम्मेदारी का स्टेटमेंट शोभा नहीं देता, इसलिये मैंने यह कहा। मैं यही कह सकता हूं कि—

"God forgive him for he knows not his sin."

इतना कह कर मैं एक बात और कहूंगा। मैंने इस पुलिस विभाग के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। अन्त में मैं यह अवश्य कहूंगा इस जिम्मेदाराना जगह से कि न मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध है, न मुझे किसी पुलिस वाले ने सताया और मैं स्वयं इतना समर्थ हूं कि ऐसी बातों का मुकाबला कर सकूं। मैं कोई दया की भीख नहीं मांगता, लेकिन मेरा तो यह हिसाब है कि पुलिस की गोली से दो आदमी मरे थे। मैं मौके पर गया तो मुझे पता चला कि पुलिस से गलती इन गुड फेथ हुई थी, सारे लोग विरोध कर रहे थे लेकिन मैंने पुलिस का साथ दिया। किसी डर या दया के कारण नहीं बल्कि जो बात सत्य थी वह कही। तो आखिर किस तरह का क्रिटिसिज्म आप चाहते हैं? अगर आप मुझसे कभी यह कहेंगे कि मैं प्रमाण दूं तो मैं आपसे कहता हूं कि जितनी बातें मैंने कही हैं उन सबका एक-एक का प्रमाण मैं दूंगा, लेकिन मैं इस विचार का हूं कि हमारा और आपका सौहार्द रहे। यह न हो कि यहां खड़े होकर इम्बिटरनेस हो गई। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, पुलिस बजट पर जो वाद-विवाद इस भवन में हुआ उसका क्षेत्र इतना विस्तृत था कि यदि प्रारम्भ में ही मैं आप से क्षमा मांग लूं कि मेरे लिये यह असम्भव होगा कि मैं सबका समुचित उत्तर दे सकूं तो अच्छा होगा।

अभी-अभी उपनेता विरोधी दल ने अपनी सफाई में बहुत बातें कहीं। हमको विश्वास भी दिलाया कि उनके दिल में कोई बात नहीं है, सिद्धान्त पर ही उन्होंने अपना पूर्व भाषण दिया था लेकिन यदि मैं एक शिकायत उनके समक्ष पेश करूं तो शायद गलती नहीं करूंगा कि दर्द वाली बात तो उन्होंने कही कि सारे शरीर में दर्द है और एक शेर भी उन्होंने कहा कि कोई अंश बाकी नहीं ह जिसमें दर्द न हो, लेकिन पुलिस विभाग में तो एक अंश उनको मिल ही गया और वह है

जोगेन्द्र सिंह का, क्योंकि आपने यह कहा और एक आक्षेप भी लगाया। आपके सिद्धांत में यह क्षम्य है कि चाहे उनकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से या प्रदेश की खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हरगोविन्दसिंह जी इस प्रदेश के गृह मंत्री हो गये हैं, लेकिन यदि उसके व्यक्तित्व के खिलाफ आपको कोई शिकायत मिली तो सदन के एक सम्मानित सदस्य होने के नाते, उसके पहले आपको चाहिये था कि आप मुझसे बात करते और यदि मैं अपको उन बातों से संतुष्ट न कर पाता तब भी मैं समझता हूं कि यह परिपाटी भवन की नहीं होनी चाहिये और जहां प्रजातंत्र है और पार्लियामेन्टरी ढंग का है, वहां परिपाटी हुई भी नहीं होगी, फिर हिन्दुस्तान में यह डाली नहीं जायगी कि इसके ऊपर आप भवन में एक आक्षेप कर देंगे। मैं मजबूर हूं कि यह मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने मुझे भी अपनी रिट में एक पार्टी बनाया है। मैंने उसके संबंध में अपना एफीडेविट दिया है। इसलिये इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता।

हां, राजा श्रीपार्लसिंह जो कुछ दिनों से मुझसे रुष्ट हो गये हैं। वह किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि यहीं भवन में उन्होंने उसकी चर्चा की थी और मैंने उत्तर भी दिया था। यदि आज्ञा हो तो दुहरा दूं। मैं शायद इंडिपेन्डेंस डे के संबंध में जौनपुर गया हुआ था और १५ को गया और १९ को वहीं मौजूद था। मामला यह था कि रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल है और जिससे आपका और शायद राजा साहब जौनपुर का घनिष्ट संबंध है। यह खुशकिस्मती की बात है कि बहुत दिन अलग रहने के बाद फिर एकत्रित हो गये हैं। मेरे पास यह इत्तिला आई कि स्टेशन वालों से और स्कूल वालों से झगड़ा हो गया। किसका उसमें कसूर था, मैं नहीं जानता। दूसरे दिन घटना ऐसी हुई कि लड़के छांटे गये कि कौन लड़के अच्छी हाकी चला सकते हैं और टीचर और लड़के भेजे गये और स्टेशन पर झगड़ा हुआ। मेरे पास रिपोर्ट आई। मैंने डी० वाई० एस० पी०, एस० पी०, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि आप फौरन जाइये। मैं जाने वाला था और वे मेरे साथ चलने वाले थे, इसलिये मैंने कहा कि वहां आप लोगों का जाना जरूरी है वे लोग गये और जिसको उन्होंने दोषी पाया पकड़ लाये। पहले आप चाहे जहां रहे हों, लेकिन अब तो भारतीय संस्कृति के रक्षक हो गये हैं और आप सत्य की कसम खाते फिरते हैं। मैं गृह मंत्री होने के नाते कहता हूं कि इसमें जो लड़के और टीचर रहे, उनके नाम बता दीजिये। उनको पकड़ लूंगा, इनको छोड़ दूंगा। आज तक राजा साहब ने वह नाम तो दिये नहीं।

कुंवर श्रीपार्लसिंह—

मुझसे आप से कभी मुलाकात ही नहीं हुई।

श्री हरगोविन्दसिंह—

आपके भेजे हुए लोग थे।

कुंवर श्रीपार्लसिंह—

अगर सत्य सीखना चाहते हैं तो व्यवहार भी सत्य का कीजिए।

श्री हरगोविन्दसिंह—

सत्य का पुजारी तो मैं आपको समझता ही हूं। इस कारण आपको बड़ी शिकायत हो गयी। कर्मापुर का एक प्रधान पकड़ा गया। चूंकि वह मामला अदालत में नहीं है, इस लिये आपके समक्ष रखना गलत नहीं होगा। जौनपुर के इर्दगिर्द बड़ी चोरियां होने लगीं और मुझे वहां के पुलिस के अधिकारियों से यह शिकायत हुई कि बावजूद इसके इतनी चोरियां हो रही हैं और यहां तलाशी नहीं हुई। यही नहीं मेरे एक कार्यकर्त्ता ने मुझे यह भी खबर की कि कुछ चोरियों का माल कई जगह है और उस माल का वहां होना उनको मालूम है, पुलिस से उसने कहा भी कि चल कर वहां चोरी का माल रखा है तलाशी लीजिये। बावजूद इसके

[श्री हरगोविन्दसिंह]

उन्होंने तलाशी नहीं ली। २२ दिसम्बर को उस कांग्रेस के कार्याकर्त्ता ने अधिकारियों से कहा कि मैं आपसे कहता रहा आपने तलाशी नहीं ली, कल वह मंत्री जी आ रहे हैं और अगर कल तक आप तलाशी नहीं लेते हैं तो मैं गृह मंत्री जी से उसकी शिकायत करूंगा। तलाशी उस रोज हो गयी। ११ वर्ष की चोरियों का माल वहां निकला। जब मैं २३ तारीख को गया और मैंने यह देखा तो स्वाभाविक था मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि जौनपुर के जिले में जहां मैं रहता हूं, मेरी आंख के नीचे इतनी चोरियां होती रहें और एक का पता न चले। उसके पहले मैंने वहां के अधिकारियों से कह भी रखा था कि यह वह लोग हैं जिनका नाम रजिस्टरों में दर्ज है यह लोग यह चोरियां करते हैं। हमारे राजा साहब श्री पारसिंह भी जानते होंगे, एक हमारे मित्र हैं, उनके भाई का देहान्त हुआ उसके चार रोज बाद ५०-६० हजार रुपये की चोरी हो गयी, उसका कोई पता नहीं चला। मुझे यह भी शक हुआ, मैंने अधिकारियों को बुला कर कहा कि तीन बजे सुबह चोरी हुई, जो तीन बजे सुबह चोरी करता है वह कलकत्ता, बम्बई नहीं जा सकता। आपने क्या प्रबन्ध किया ? स्टेशनों पर आपने क्या प्रबन्ध किया ? शहर के जो चोर लोग हैं उनकी तलाशी की ? जब मुझे मालूम हुआ कि कोई प्रबन्ध नहीं किया गया तो मैंने समझ लिया कि यहां का पुलिस का भ्रष्टाचार इस सीमा तक पहुंच गया कि यह शायद चोरी भी कराते हों और उसमें माल भी लेते हों। उसके बाद मैं छिपाता नहीं, कोई बात छिपाने की आदत नहीं। कोशिश भी इस बात की करता हूं कि जो अपने सार्वजनिक जीवन में करूं वही बात कहूं, और जो हर जगह कह दूं कि मैंने किया है। गलती हो सकती है। यह नहीं कहता कि नहीं हो सकती, लेकिन नीयत में गलती नहीं होती। यह आज भी आपको चुनौती देता हूं। कि १, २ थानेदार के सस्पेन्शन की बात नहीं जो यह आप लोग करते हैं, बल्कि मैं जब से आया हूं करीब करीब ४५-५० तक वह फिगर पहुंच गई। मैं सोचता हूं कि उसके बाद और ज्यादा होगी। मैं हर एक के बारे में कह सकता हूं कि आप आयें और शुद्ध हृदय से आयें तो मैं एक एक केस को आपके सामने रख कर दिखला दूंगा कि जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं उसी नतीजे पर आप भी पहुंचेंगे, लेकिन वह केस चूंकि हाई कोर्ट में है इसलिये मैं उसकी बात नहीं करता। अब मैं उसी बात पर आता हूं। तो इन चोरों के लिये जौनपुर के चारो तरफ लोगों से और प्रधानों से कहा गया कि इनको पकड़वाइये। जिस प्रधान ने कहा था उस प्रधान की उम्र ६०,६५ वर्ष की है। वह राजा साहब जौनपुर के गांव का रहने वाला है। पारसाल राजा साहब जौनपुर ने कुछ अपने पेड़ उसके हाथ बेचे थे। रुपया लिया और पेड़ बेच दिये। उसने पेड़ के लिये कुछ किया तो राजा साहब नाराज हैं, लेकिन वह खाने पीने वाला आदमी है। वह प्रधान था। उसके पास कोतवाल और ये लोग गये और उनसे कहा कि गांव में फलां फलां लोग बाहर से चोरी करने आते हैं इनको पकड़ाओ। उसने गांव में जितने ज्वान लड़के थे उनको बुलाया और सब को आर्गनाइज किया और उन लड़कों ने रात में पहरा देना शुरू किया। वह दोनों चोर अक्सर उनकी एक आस्ना थी उसके यहां आया करते थे। जिस रोज उनको पता चला उन्होंने जाकर उसके घर को घेर लिया और वे दोनों चोर उनको पकड़कर वे प्रधान के पास ले गये और कहा कि ये पकड़ लिये है और आप चलिये कोतवाली उसने कहा कि मैं बूढा आदमी हूं, ६०, ६५ वर्ष का, रात में दिखाई नहीं पड़ता तो कोतवाली नहीं जा सकता। उसने एक चिट्ठी लिख दी कि ये पकड़ लिये गये और इनको भेज रहा हूं। वे लेकर चले गये। वह पीटा गया और रास्ते में भी पीटा गया और कोतवाली, में भी पीटा गया। उस वक्त तो यह संदिग्ध बात थी परन्तु बाद को मजिस्टीरियल इन्क्वायरी से मालूम हो गया। वह जेल ले जाया गया। जेल जाते ही दोनों फाटक के बीच में वह मर गया। तब उसके रिमान्ड को कोई लेकर ए० डी० एम० जे० के यहां गया था। जब वह मर गया तो जो लोग उसके साथ गये थे वह पकड़ लिये गये। यह स्वाभाविक था, लेकिन राजा साहब जौनपुर के पेट में चूहा कूदने लगा कि वह प्रधान नहीं पकड़ा गया। ये लड़के जो शाखा लगाते थे पकड़ लिये गये। मुझे एक एस० ओ० ने बतलाया कि वह इसलिये सस्पेन्ड किया गया कि राजा साहब ने उसे मंजूर किया कि किसी

केस की डायरी उनको महल में दिखाने के लिये वह आया। यह जरूरी समझा गया तो उसको सस्पेन्ड किया गया। अब राजा साहब को बड़ी फिकर पड़ी कि यह तो बच गये और हमारे सब आदमी जेल में बन्द हो गये और उनके ऊपर ३०२ का मुकदमा चल गया। उसके बाद चार रोज के बाद वह भी पकड़कर चले आये। जब वह आये तो जरा पूजा-पाठ वाले भगत आदमी हैं मुराऊ जाति के, बड़ी पूजा पाठ करते हैं,उन्होंने सोचा कि कोतवाल ने मुझसे कहा था मैंने इतना करके चोर पकड़वा भी दिया और उसका नतीजा मेरे ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, तो जिस रोज जेल में गया उसी रोज से खाना पीना बन्द कर दिया। पांच छः या सात रोज हो गये थे, तब मैं २५ या २६ तारीख को पहुंचा। जब शाम को २५ को मैं पहुंचा तो देखा कि मेरे मकान पर पचासों आदमी मौजूद हैं। मैं पहुंचा था ९ बजे रात को। मैंने कहा क्या बात है ? एक बात जरूर है कि उस कांस्टीट्युएंसी भर में जिस आदमी को राजा साहब जानते हैं उसको मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम दोनों वहां पर लड़े हैं। एक एक घर की वाकफियत उनको भी है और मुझको भी हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि बड़ी बदकिस्मती हो गई कि मैं और वह दोनों जौनपुर में पैदा हो गये। तो उन्होंने कहा कि प्रधान इस तरह से पकड़ लिया गया और जेल में है, खाना भी नहीं खा रहा है, भूखों मर रहा है। मैंने कहा सुबह देखेंगे। २६ तारीख को मैं केराकत जा रहा था रिपब्लिक डे का फंक्शन था। मैंने किसी को नहीं बताया था। धर्मापुर गांव सड़क पर है। केराकत से लौटते समय मैं धर्मापुर गांव में उतर गया और जाकर के मैंने पूछा कि क्या वाकया है, कैसे हुआ ? मालूम हो गया सब मुझको। फिर भी मैंने बुलाया इन लोगों को डी० वाई० एस० पी० और कोतवाल को। कोतवाल तो नहीं थे, वह तो कोतवाली से हट गये थे। डी० वाई० एस० पी० थे उनको बुलाया और मैंने पूछा कि प्रधान क्यों पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि वह तो बिलकुल बेकसूर है, कलेक्टर भी मौजूद थे। मैंने कहा कि मैं तो प्रान्त भर में घूम घूम कर सब से कह रहा हूं, पुलिस से कह रहा हूं कि तुम अपना सम्पर्क स्थापित करो जनता से और तभी तुमको अपने कार्य में सफलता मिलेगी और यहां तुमने एक काम दिया प्रधान को, उसने कर दिया, उस कर देने के कारण अब वह जेल में पहुंच गया और वहां पड़ा है। कोतवाली लेकर आया था क्या ? मालूम हुआ कि नहीं वह तो नहीं आया था। तो मैंने कहा कि क्यों बन्द कर दिया ? उन्होंने कहा कि वह बेकसूर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दीजिए, बदकिस्मती से मैं यहां हूं, खुशकिस्मती से अगर आप आ जायं यहां और आपसे मैं यह कहूं कि इस तरह से एक आदमी गलत फंसाया गया है, तो आप क्या करेंगे ? आप किसी से यही तो कहेंगे कि इसकी जांच कीजिए कि यह गलत फंसा है या नहीं ? आप यही तो कहेंगे कि अगर गलत फंसा है तो इसको हटाइए और अगर आप यह कहने वाले हों कि नहीं गलत फंसा है, हम जान भी गये कि गलत फंसा है, तहकीकात भी कर ली, लेकिन चूंकि फंसा है इसलिये फांसी होनी चाहिये तो ईश्वर करे आप यहां कभी न बैठें, यही मै प्रार्थना करूंगा। तो इसलिये यह मैंने किया और कलेक्टर ने भी यही कहा कि बड़े निकम्मेपन का काम हो गया कैसे वह पकड़े गये। और जब मैं प्रान्त भर में कहता फिरता हूं कि बिलकुल प्रेसर नहीं आना चाहिये, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं दावे से कहता हूं, इधर के बैठने वालों ने भी हमको कभी कभी दरख्वास्त दी और मैंने उसकी जांच की, जांच से मालूम हुआ कि सही है तो मैंने कहा कि नहीं मुकदमा चले, चाहे वह हमारा भतीजा ही क्यों न हो, हमारा लड़का ही क्यों न हो। अगर आप चाहेंगे तो नाम बता दूंगा।

मुझे आज बड़ा सन्तोष हुआ कि सिवाय इन दो महानुभावों के और किसी ने यह आक्षेप मुझ पर नहीं किया, सबने यही कहा कि मेरे पास जो आया मैंने फौरन इन्क्वायरी कराया और यह जितने बैठे हुए लोग हैं इनमें से बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मेरे पास लिखा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन माननीय सदस्यों में अगर कोई सत्य की सचमुच में रक्षा करना चाहता है तो वह यह नहीं कह सकता है कि मेरे साथ गृह मंत्री जी ने इसलिये दसरा व्यवहार किया कि मैं उनकी पार्टी का नहीं हूं। मैं आज चुनौती देता हूं सब माननीय सदस्यों को जो यहां हैं (एक सदस्य— वह तो आपके जिले की बात थी।) यही तो स्तर रह गया है

[श्री हरगोविन्दसिंह]

हम तो प्रतिनिधि होकर आये हैं, प्रान्त के सब मसले यहां पर करते हैं, क्या यह उचित है कि एक जिले की बात लेकर हम चलें ? मुझे भी सारे प्रान्त का खयाल रख कर चलना है । अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो आपके सामने सर भी झुकाऊंगा और झुकाना भी चाहिए, लेकिन हमको अपने व्यक्तिगत स्तर की बात छोड़कर इस भवन का स्तर ऊंचा रखना चाहिये, क्योंकि उस भवन के स्तर पर प्रान्त का सारा भार लदा हुआ है । तो इन दोनों बातों के कहने के पहले कम से कम मुझ से जानकारी तो कर लेते । एक दफा आप गये थे शायद कुछ देर हुई, मैं अपने यहां का मिलने का तरीका भी बतला दूं । ९ बजे सुबह आता हूं, ९ बजे रात को मैं जाता हूं । वकालत की वजह से एक बड़ी बुरी आदत पड़ गयी है कि हर एक कागज को जब तक देख न लूं तब तक दस्तखत नहीं कर सकता । बड़ा संयम किया, तखती लगायी कि इतने बजे से इतने बजे तक मिलने का टाइम रहेगा, लेकिन हमारे साथी चाहे इस भवन के हों या उस भवन के वह आ जाते हैं और जो पहुंच गया जल्दी उससे बात हो गयी । इसलिये आपको शिकायत तब करनी चाहिये थी जब आप पहले समय ले लेते और मैं न मिलता ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने समय लिया था ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

तो आपको कहलवाना चाहिए था कि मैं आ गया । जिस वक्त आप गये थे उस रोज २३ आदमी जनसंघ के पकड़े गये थे । आप उनको छुड़ाने गये थे, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया । अगर मैं छोड़ दिये होता तो आपको शिकायत न होती, लेकिन एक काम मैंने नहीं किया तो आपको शिकायत हो गयी । आप बैठे रहे, आपने मुझसे तो समय नहीं लिया, लेकिन अगर फिर भी तकलीफ हुई तो आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं । लेकिन यह जरूर कहता हूं कि इस भवन की मर्यादा की रक्षा आपने नहीं की जबकि इन दो चीजों का आपसे यहां जिक्र किया बिला मुझसे पूछे हुए और जाने हुए ।

बजट के बारे में मुझे संतोष हुआ इस बात का कि माननीय सदस्यों ने इस तरफ बैठने वालों और उस तरफ के बैठने वालों ने इस बात का समर्थन अवश्य किया कि जो अनुदान आपके सामने उपस्थित है उसकी रकम कम है । आवश्यकतानुसार और परिस्थितिअनुसार और जो आज हमारी सुरक्षा और शांति की व्यवस्था है उसके अनुसार और ज्यादा होना चाहिये । यह आप में से बहुत से लोगों ने कहा, उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, लेकिन पूछना यह चाहता हूं कि आज तक सन् ४६ से लगातार मैं इस भवन या उस भवन का सदस्य रहा हूं। लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं आया जब उधर की ओर से टेक्सेक्शन लगाने का समर्थन किया गया हो, हालांकि सन् ३८ में इस प्रान्त का बजट १३–१४ करोड़ का था और अब बढ़कर वह २३५ करोड़ का हो गया है । देश के ऊपर संकट था, लड़ाई में हमारे जवान मर रहे थे लेकिन चूंकि देश से अधिक वोट कीमती था इसलिये यह तय किया कि किसी चीज में भी समर्थन नहीं करेंगे। एक साहब ने यहां समर्थन किया था कि वह बेचारे अपनी लीडरी खो बैठे । आक्रमण के समय जो एकता हुई थी उसको देखकर बड़ी आशा हुई थी और दुनियां को जिस एकता का परिचय मिला था उससे यह आशा थी कि दुनियां का कोई देश भी अब आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब हमने टैक्सेशन किया तो कहा कि नहीं कर सकते हो । जवाहरलाल नेहरू तो निकम्मे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती । भला यह भी कोई बात है कि वैसे तो हम आपके साथी है, लेकिन फौज बदलिये, कमांन्डर बदलिये । कहीं इस तरह से तो यह नहीं कहा जा रहा है कि पुलिस का बजट कम है इसको बढ़ाइये । जब हम टैक्स लगाये तो आपको भूख हड़ताल का मौका मिल जाय ।

हमारे भाई ने कहा कि खाद्य की समस्या इतनी जटिल नहीं है । मैंने नेगी साहब से यह भी कहा कि पुलिस की मदद चाहिये तो ले लो लेकिन केवल सी० आई० डी० पुलिस लगाई

गयी और काम हो गया। हमारे पास एक दिन दरख्वास्त आयी कि १० हजार किसान आ रहे हैं, लेकिन १० भी न आये। उनको पकड़े जाने के लिये बहुत सा इन्तजाम कर रखा था, लेकिन कोई आया ही नहीं। यह जो यहां प्रोपेगेन्डा किया गया उसका नतीजा यह हुआ कि प्राइसेज एकाएक बढ़ीं। भूख, सुरक्षा, शांति जिस देश में राजनीति का विषय हो जाय उस देश का क्या होगा यह आपके लिये भी और हमारे लिये तो है ही, एक चिन्ता का विषय हो जाता है, लेकिन आपने यह समझा कि देश का कल्याण इसी में है कि उपद्रव किया जाय। चाहे फेमीन मैनमेड हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे नेगी जी की वजह से हुआ हो, लेकिन आपने अपना देश प्रेम दिखलाने का यही रास्ता ढूंढा कि हम दफा १४४ तोड़ेंगे, जेल जायंगे, भूख हड़ताल करेंगे और भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। इससे कोई समस्या हल होगी ?

कहा गया इतने मर्डर, और डाके पड़े, लेकिन वर्क आउट नहीं हुआ। कैसे हों ? आप बतायें, मैं उन्हीं से पूछता हूं, क्योंकि जो आदर्श उन्होंने अपनी निस्बत रखा, मैं उनसे पूंछता हूं कितने मुकदमों की असलियत मालूम हुई और कितने मुकदमों में गवाही दिलाई कि कहो ठीक है.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

यह पहला अवसर है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक नागरिक होने के नाते फर्ज है कि हमारी जान में कोई घटना होती है तो पुलिस को मदद करें। इंगलैन्ड में कत्ल हो कोरोनर फौरन पहुंचता है, हर एक आदमी अपना फर्ज समझता है कि घटना को बतायें। आपको शायद पता हो इंगलैन्ड में एक कानून बन गया कि स्त्री मर्डर के केस में कभी भी अपने पति को खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, उसकी गवाही इनऐडमिसिबिल है। स्त्री रोती जाती है, चिल्लाती है, लेकिन बात ठीक कहती है इसलिये वहां यह कानून बनाना पड़ा कि यह तो बड़ी भारी निर्दयता है कि स्त्री की शहादत ली जाय, क्योंकि वह बोलेगी सच उसका पति दोषी है, वह कहेगी, लेकिन चिल्लायेगी। तो कोर्ट के सामने जो निर्दयता होती है यह नहीं हो सकती। वहां पर कैनेडी की मृत्यु का रहस्योदघाटन नहीं हो सका। तो हमारे यहां तो हर एक चीज की कमी है। मैं कभी नहीं कहता पुलिस में धब्बे नहीं है, लेकिन ऐसा कौन है जिसके काले धब्बे नहीं है ? गृह मंत्री के नाते एक और अवसर मिल गया जिसके लिये बहुत दुख रहता है क्योंकि बहुत से आदमियों की सवानह उभरी मुझे मालूम हो गई। कभी कभी यह होता है कि क्या करूं, कराऊं इनकी निगरानी कि नहीं, मैं कुंवर श्रीपालसिंह जी से पूछता हूं अभी जो कहा था पोलिटिकल प्रेशर की बात, जरा आप भी सुन लीजिये। मैं श्रीपालसिंह जी से कहता हूं कि आप अपनी छाती पर हाथ रख कर बतलावें कि जन संघ ने कौंसिल के लिये जिन आदमी को जौनपुर से मनोनीत किया है, क्या वही सब से अच्छा आदमी है ? अगर इनको न मालूम हो तो....

कुंवर श्रीपालसिंह—

अगर पूछते हैं तो बतला ही दूं सदन को कि वह आदमी इनके जोड़ का है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं तो गुन्डा बदमाश हूं ही वरना गृह मंत्री कैसे होता। मेरे लिये तो सुचेता जी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया गृह मंत्री बना कर के, लेकिन आपने जो उस आदमी को सर्टिफिकेट दिया, आप लावेंगे तो ऐसे आदमी को और कहेंगे कि पोलिटिकल प्रेसर न हो। आपकी पार्टी में और हमारी पार्टी में फर्क है। कांग्रेस तो जनसाधारण की संस्था है जो सारे देश में फैली हुई है। हमारे यहां की कोई भी ४ आने पैसा दे दे और कहे कि हम आपके ध्येय में विश्वास करते हैं, तो वह कांग्रेस वाला हो गया, लेकिन जब यहां टिकट की बात होती है तो उसकी

[श्री हरगोविन्दसिंह]

खानबीन होती है और यह कोशिश होती है कि ऐसे आदमी को टिकट न दें, लेकिन आपके यहां तो इसका उल्टा है । आपकी पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दिया जो जिले में अव्वल नम्बर का है । तो हालत यह है कि राजनीति में यह काम तक किया जा सकता है और अगर कल ऐसा न हो कि ऐसी स्थिति आवे कि उनको पकड़ना पड़े तो वे अपनी वही हरकतें दिखलायेंगे । अभी अभी दो चार आदमियों की निस्बत जो यहां हुआ है, मैंने कहा कि ये हिस्टरी शीटर इनके बाप हिस्टरी शीटर, इनके दादा हिस्टरी शीटर, तीन को तो मैं जानता था जिसको मैंने कहा । जब यह कहा गया कि फलां जगह डाका पड़ा है और फलां के यहां डाके का सामान मिला है जो गलाया जाने वाला है तो फिर वहां न जायें तो क्या करें । जब मालूम हुआ कि माल हटाये जाने वाला है और उसमें एक एम० एल० ए० भी थे, तो फिर आप बतायें कि वहां पुलिस न जाय तो क्या करे । इसलिये जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, आज फिर यहां कह रहा हूं कि अगर सुरक्षा और शांति की व्यवस्था हो तो वह एक सम्मिलित प्रयत्न के फलस्वरूप ही हो सकता है। जैसा कि नौरंग लाल जी ने ठीक ही कहा कि राज दण्ड समाज का एक बहुत अच्छा अंग है । बिना उसके समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती, शांति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती । आज सुबह एक साहब आये थे । यही यहां की राजनीति है । जब तक हम एक वातावरण पैदा नहीं करते हैं तब तक यहां ये चीजें सुधर नहीं सकती हैं । प्रयत्न हो सकता है उस प्रयत्न में मैं पहले भी कह चुका हूं आज भी मैंने कहा और फिर आपके सामने उसको दुहराना चाहता हूं कि उस प्रयत्न में हमें सब की मदद चाहिये । माननीय श्री पाल सिंह ने कहा कि यहां कोई ट्रांन्सिस्टर सैट है जिसको पाकिस्तान और चीन को खबरें भेजी जाती हैं और शायद वे इसको जानते थे । उनको चाहिये था कि वे मेरे पास आकर बतलाते । जब मैंने उनसे कहलाया लेकिन फिर भी वे मेरे यहां नहीं आये । यह देश प्रेम है । देश का भले ही नुकसान हो जाय, लेकिन वे कहीं जा नहीं सकते । फिर मैंने कहा कि अगर वे कहते तो मैं ही उनके यहां आ जाता ....

कुंवर श्रीपालसिंह---

जब चाहिये पधारिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

उनमें ऐसा देश प्रेम है कि देश चाहे जहां चला जाय, लेकिन वे गृह मंत्री के यहां जाना मुनासिब नहीं समझे । यह बात नहीं है कि वे मेरे यहां पहले से जाते नहीं थे। स्कूल वाली घटना के पहले जाते थे । लेकिन यह तो देश का काम था । यह तो हमारा और आप दोनों का काम था । आप बता देते । न होता तो एक पत्र ही लिखकर भेज देते । १-२ पैसा जो खर्च हो जाता हम से ले लेंगे । यह भी न होता तो बैरंग ही भेज देते, लेकिन हम को बता देते कि यह है, पढ़ लीजिए, लेकिन जब आपके देश प्रेम को हम कसौटी पर रखते हैं, यह पाते हैं कि यह तो पीतल है सोना नहीं है रंग ही दूसरा है । मैंने तो आपसे यह प्रार्थना की कि आइये हम और आप सब मिलकर इसका संकल्प करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उस निस्बत में हममें जरा भी त्रुटि नहीं पावेंगे । हम और आप मिलकर संकल्प करें कि हम एक होकर जो देश का कार्य हो, प्रान्त का कार्य हो उसको करेंगे । जब तक देश और प्रान्त में शांति की व्यवस्था कायम रहेगी तभी तक हम और आप अपने मनसूबों में सफल हो सकते हैं। इसलिये हम और आप मिलकर इस बात का प्रयत्न करें । हरगोविन्दसिंह और जोगेन्द्रसिंह तो इस देश के लिये नाचीज वस्तुएं हैं जिनको देश के लिये आप कुर्बान कर सकते है तो इसलिये अपसे कह रहा हूं कि पूरे प्रान्त की बात कीजिए । आप लोगों से यह भिक्षा मांगता हूं, आपको यह निमंत्रण देता हूं कि आप इसमें ईमानदारी से सहयोग करें । आप केवल उस दरोगा के विरुद्ध न कहें जोकि आपको आकर सलाम नहीं देता बल्कि सही रिपोर्ट करें । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी माननीय सदस्य ऐसा न होगा जिसको यह शिकायत हो सके कि उसने मेरे को शिकायत दी और उस शिकायत पर जो मेरे लिये संभव हो सकता था नहीं किया ।

यहां बहुत से सुझाव दिए गये। इन सुझावों में एक सुझाव बहुत ही अच्छा है और उस पर मैं अमल भी कर रहा हूं और वह यह है कि संपर्क बढ़ाना चाहिये। मैंने उस पर काफी गौर किया और अब मैंने एक हुक्म भी भेजा है अपने कप्तानों को कि आप लोग इसका प्रयत्न कीजिए कि ब्लाक की मीटिंग में आप चाहे न जाइये, और अगर वे बुलवायें तो जाइयेगा, लेकिन आप जाइये और लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए तो आपको वहां की वस्तु स्थिति मालूम हो जायगी। यह भी कहा गया है कि जब आप वहां जाइये तो यह प्रयत्न कीजिए कि वहां के दरोगा आपके साथ न रहे। मैं जहां जाता हूं अपने कप्तानों से भी कह देता हूं जब मेरे पास कोई शिकायत आती है। एक रास्ता मैंने डायरी पढ़ने का, क्योंकि मैं तो जन्म भर क्रिमिनल वकील रहा हूं, अख्तियार कर रखा है। तो इसलिये जब मैं चाहता हूं तो कहता कहता हूं दरोगा को कि डायरी लेकर चले जाइये। जहां मैं जाता हूं वहां भी यही करता हूं।

एक बात मेरे विचार में है कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो सकता है। पूर्णतया तो इसका उन्मूलन शायद मुश्किल है। और उनसे यह भी कह रहा हूं कि हम तुम्हारी एफिशेंसी इसी से जज करेंगे कि कहां से कितनी दरख्वास्तें आयीं। एक बात और कह दूं कि आप लोग दरख्वास्त दीजिए, अगर आपको दरोगा से डर है तो अपना नाम मत दीजिए। और मैं उस दरोगा के पास जांच के लिये नहीं भेजता, बल्कि आई० जी० से कहता हूं कि आप पहले सी० आई० डी० से जांच करा लीजिए। अगर सीक्रेट इंक्वायरी से कुछ मिले तब ओपेन इंक्वायरी हो और इसमें काफी सफलता मिल रही है।

दूसरी बात तो नौरंगलाल जी ने कही और गेंदासिंह जी भी बहुत दफा हमसे कह चुके थे कि बल्लम वगैरह के बारे में। तो वैसे तो आज भी सभी जिले क्रिमिनल हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जिला क्रिमिनल है और कौन नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल है वहां बल्लम, फांता वगैरह पर रोक लगा रहे हैं और हुक्म गया भी।

इसके अलावा यह भी हमने सोंचा कि डकैती कम हो सकती है, अगर गांवों में इस बात का प्रयत्न किया जाय कि लोगों के पास लाइसेंसेज हो जायं। मेरा ख्याल है कि हमारे मित्र चौधरी चरणसिंह के टाइम से यह किया जा रहा है, लेकिन लोग धनाभाव के कारण नहीं लेते। यह गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं उसकी प्रोसेसिंग भी जानता हूं कि दरख्वास्त देने के बाद कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। लिहाजा मैंने यह सर्कुलर डी० एम्स० और एस० पीज० को भेजा है कि आप गांवों में जाइये और जो वहां अच्छे आदमी हैं, ऐसे नहीं जो अपने बन्दूक रात को डाके के लिये किराये पर दें, उन्हें परसुएड कीजिये कि वे दरख्वास्त दें और बिला लंबी दौड़ के उनको बन्दूक मिल जाय।

इसके अलावा जो होमगार्डस् की इतनी बड़ी फौज हमारे पास तैयार हो गयी तो हमने यह सोंचा कि अगर इस फौज को एक महीने की ट्रेनिंग के बाद घर भेज दें, चूंकि ये अवैतनिक हैं तो यह फिर भूल जायेंगे। तो इनको कुछ कंटीनुइटी भी रहे इस के अभी यह प्रयोग मात्र ८–१० जिलों में कर रहा हूं कि जो क्रिमिनल डिस्ट्रिक्टस् की क्रिमिनल तहसीलें हैं वहां इनको उजरत देंगे ये पुलिस के साथ मिलकर गांवों में घूमा करें। इससे डकैतियों की संख्या जरूर कम हो जायगी। और मैं इस अवसर पर विलेज डिफेंस फोर्स के आदमियों के प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्य में अपनी जान तक दे दी है और उनकी संख्या कम नहीं है।

अब जो स्टेट की बात आप कहते हैं तो जो ८४५ या ऐसे ही आपके थाने हैं इनमें से ५६० थानों में सी० आई० डी० के अफसरों द्वारा टेस्ट रिपोर्टिंग करायी गयी। आपको यह जानकर संतोष होना चाहिये कि ५६० टेस्ट रिपोर्ट्स में और किस्म की शिकायतें तो मिलीं, लेकिन ऐसी एक भी नहीं मिली कि दिवान जी ने कहा था कि ५ रुपये दिये जायं तब रिपोर्ट लिखेंगे। इससे इतना अंदाजा हो सकता है कि पहले से काफी सुधार हुआ है।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक ट्रैफिक का चेकिंग सी० आई० डी० के द्वारा किया गया और यह चीज मिली जैसा कि आप कहते हैं कि चौराहे पर पुलिस वाला लेता है, लेकिन उनके साथ कार्यवाही की जा रही है। आप होते तब भी यही करते और हम भी यही कर रहे हैं, इसलिये जितना संभव हो सकता है वह किया जा रहा है और किया जायगा।

मैं सदन को इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि कम्यूनेलिस्ट चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, दोनों के प्रति मैं पूर्णतया सतर्क हूं और रहूंगा। उनको यह समझ लेना चाहिये यदि उन्होंने संकट काल में देश की परिस्थिति इस दृष्टि से खराब की तो वे बड़े से बड़े क्यों न हों, उनके साथ कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने लखीमपुर के बारे में कहा मैंने उसको पकड़ लिया, फैजाबाद का भी पकड़ लिया। इसलिये आपको इतमीनान रखना चाहिये कि जितना संभव हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की मैं कमजोरी या ढिलाई करने वाला नहीं हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि इस अनुदान को बिना किसी विरोध के आप जरूर पास कर दें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जिस तरह से पुलिस विभाग में फिंगर प्रिंट ब्यूरो काम करता है उसी तरह से कार्टिरिजज ब्यूरो होना चाहिये ताकि डकैतियों का डिटेक्शन हो सके। इसमें माननीय मंत्री जी को क्या ऐतराज हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत १३,८२,३८,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, कानून यह है कि किसी प्राइवेट फारेस्ट को गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने प्रबंध में ले सकती है, १५ साल तक, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि गवर्नमेंट उसको एक नोटिस दे कि वजह जाहिर करो कि इस फारेस्ट को तुम्हारे इंटरेस्ट में या पब्लिक के इन्टरेस्ट में क्यों न गवर्नमेंट अपने प्रबंध में ले ले, लेकिन अगर वह मालिक वन, नोटिस की वसूलियाबी के बाद वन को कटवाये तो उसका स्पष्ट रोकथाम इसमें नहीं है। मान लो कि नोटिस लेने के बाद वह अपने दरख्तों को कटवाना शुरू कर दे और वन साफ कर दे तो नोटिस देकर गवर्नमेंट का परपज डिफीट हो जाता है। इसलिए इस छोटे से विधेयक के जरिये यह संशोधन किया जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद वह दरख्त नहीं काट सकता। वह अपना ऐतराज करे वह अदालत में माकूल होगा, लेकिन यह नहीं कि वह कटाना शुरू कर दे। यह छोटा-सा विधेयक है। मैं समझता हूं कि इस पर किसी दोस्त को कोई ऐतराज नहीं होगा।

---

† १० मार्च, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक आब्जेक्शन है । पहले तो यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया, न कापियां मिलीं ।

श्री चरणसिंह—

परसों हो गया ।

खण्ड २,३ तथा ४

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८-डी का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३८—डी में, खंड (ए) के उपखंड (३) में शब्द "and" और उसके पूर्व आय हुए कामा के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (एए) बढ़ा दिया जाय :—

"(*aa*) In the case of a notification affecting a corporation firm or body of persons, be served on the manager, principal officer or agent thereof in the manner provided in clause (*a*) and"

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८-एफ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३८-एफ में खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(i) breaks up or clears any land for cultivation or any other purpose, fires or clears any vegetation, girdles. taps, burns, lops, pollards, fells, cuts, saws, converts or removes any tree, or strips off the bark from any tree, in any forest in respect of which a notification under section 38-B or 38-C or 38-H has been issued, or does any of the aforesaid acts in contravention of the provisions contained in sub-section (4) of section 38-H, or"

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८-एच का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३८-एच में उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (४) बढ़ा दिया जाय :—

"(4) No person shall, after the service of the notice referred to in sub-section(2), do or permit or cause to be done, save with the permission of the Forest Officer, any of the following acts on or in respect of such forest or forest land, namely—

(*a*) the breaking up or clearing of the land for cultivation or any other purpose ;

(*b*) the firing or clearing of the vegetation ;

(*c*) the girdling or tapping or burning of any tree or the stripping off of the bark from any tree ;

(*d*) the lopping or pollarding of trees ;

(*e*) the felling, cutting, sawing conversion or removal of trees ;

until—

(i) where objections under clause (*a*) of sub-section (2) have been filed, the disposal thereof under clause (*b*)of

that sub-section and thereafter, unless the objections have been allowed, for a further period of six months or the publication of the notification under sub-section (1), whichever is earlier ;

(ii) where no objections under clause (*a*) of sub-section (2) have been filed, the publication of the notification under sub-sdection (1) or the expiry of six months from the date of service of the notice, whichever is earlier."

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

इंडियन फारेस्ट उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, १९६४

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ?)

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ — आगे दिये हुये कतिपय प्रयोजनों के लिए इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार । १—(१) यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३४ मिनट पर सोमवार, १६ मार्च, १९६४ के १०½ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१४ मार्च, १९६४ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४ एल० ए० १९६४—८६० ।